एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान के रुप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि के लिये प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्ता
भरत सिंह

निर्देशक
डॉ० शिव प्रताप सिंह
प्रोफेसर, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
१९८८

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विश्लेषणात्मक पक्ष की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यावहारिक-विश्लेषण का निरूपण भी यथोचित रूप में किया गया है ।

समस्त व्यावसायिक कार्यकलाप वित्तीय परिसीमाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं । प्रत्येक व्यावसायिक निर्णय का कोई न कोई वित्तीय पक्ष होता ही है । अतः यह भी साथ ही साथ आवश्यक हो जाता है कि यह वित्त पक्ष क्या होगा । वित्त की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र को अवश्य ही किसी वित्तीय संस्थान का सहारा लेना पड़ता है । शोध प्रबन्ध में इस बात को दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय पूँजी बाजार में किस प्रकार वित्त की भूमिका निभाकर एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है, विकास बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार अपनी वित्तीय भूमिका के द्वारा विकसित किया है आदि समस्त योगदान को समावेश करने का पूरा प्रयास किया है ।

एम० काम उत्तीर्ण करने के बाद पूज्य पिताजी की कृपा से मुझमें शोध के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और उनकी प्रेरणा से ही मैंने शोध करने का निश्चय किया । प्रस्तुत शोध कार्य गुरुवर्य डा० शिवप्रताप सिंह जी के निर्देशन में सम्पन्न हुआ, उनके प्रति मैं श्रद्धावनत हूँ । शोध कार्य को पूरा करने में पूज्य गुरुवर से समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्देश मिले । उन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान करके महत्वपूर्ण सुझावों के द्वारा समस्याओं का समाधान किया । उनके मार्गदर्शन के लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा । शोध ग्रन्थ के लेख में जिन ग्रन्थों एवं पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा मुझे सहायता प्राप्त हुई है उनके प्रति मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ ।

अपनी ममतामयी माँ, पिताजी तथा मामा-मामी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरी सारस्वत-साधन के लिए अनुकूल वातावरण दिया और मैं

निश्चिन्त होकर अपना कठिन शोध कार्य पूर्ण कर सका ।

शोध प्रबन्ध में हिन्दी टंकण त्रुटियों को दूर करने का सम्पूर्ण प्रयास किया गया है फिर भी यत्र-तत्र कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं जिनके लिए मैं विद्वज्जनों से क्षमा-प्रार्थी हूँ ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए कुछ कमियों का दर्शन भी किया गया है और उन्हें दूर करने के समुचित उपाय भी बताये गये हैं ।

मेरे इस परिश्रम से यदि वाणिज्य-जगत् का कुछ भी उपकार हुआ तो यही मेरी कृतार्थता एवं कृतकृत्यता होगी ।

वाणिज्य विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
1988

विनयावनत
भरत सिंह
(भरत सिंह)

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	(i - ii)
प्रथम अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की क्रियाएं - एक सामान्य अवलोकन	1 - 35
द्वितीय अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना - उद्देश्य एवं प्रबन्ध	36 - 51
तृतीय अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन	52 - 64
चतुर्थ अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय साधन	65 - 75
पंचम अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य	76 - 97
षष्टम् अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रवर्तनात्मक भूमिका	98 - 106
सप्तम् अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों की प्रगति	107 - 126
अष्टम् अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वित्तीय सहायता के विभिन्न स्वरूप	127 - 142
नवम् अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का औद्योगिक विकास में योगदान	143 - 156
दशम् अध्याय	: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आलोचनात्मक समीक्षा	157 - 164
एकादश अध्याय	: समाधान एवं सुझाव	165 - 170
	सहायक ग्रन्थ सूची	171 - 172

प्रथम अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की क्रियाएं - एक सामान्य अवलोकन

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की क्रियायें-एक सामान्य अवलोकन

भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली एक सुसंगठित संस्था की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जा रही थी। 1918 के औद्योगिक आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भारतीय औद्योगिक प्रमण्डलों के वित्त प्रबन्धन के महत्त्व पर जोर देकर यह सुझाव दिया था कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए एक अखिल भारतीय वित्तपूरक संस्था होनी चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारतीय पूँजी बाजार इतना विकसित नहीं था जो वृहद् रूप से विकास कार्यक्रम को संभालता और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आज देश में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वह स्थान प्राप्त कर चुका है जो शायद भारतीय पूँजी बाजार में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। इस बैंक ने अपने कार्यों का शुभारम्भ एक जुलाई 1964 को किया था, इसके पहले भारतीय पूँजी बाजार में अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएं निर्मित हो चुकी थी जिनका कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित था, उनकी गतिविधियों में कोई समन्वय नहीं था जिसकी वजह से पूँजी बाजार में रिक्तताएं पायी गयीं और इनकी पूर्ति के लिए इस बैंक की स्थापना की गयी और इसी मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकास बैंक को प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में वृहत्तर भूमिका निभाने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करने के साथ ही उनके अनुरूप उद्योगों के वित्त पोषण संवर्धन एवं विकास में लगी हुई अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य को समन्वित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

भारतीय पूँजी बाजार में औद्योगिक विकास बैंक की वित्तीय नीति अत्यन्त ही लोचपूर्ण है। यहाँ तक कि बैंक द्वारा वित्त की मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में बैंक की नीति उन सभी विशालकाय परियोजनाओं को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की है जिन्हें विद्यमान वित्तीय संस्थाओं से बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता के कारण अथवा लम्बी गर्भावधि के कारण पूँजी प्राप्त न हो सकी हो। गैर परम्परागत क्षेत्रों में प्राविधिज्ञों द्वारा स्थापित छोटे उपक्रमों को बैंक प्रत्यक्ष

सहायता प्रदान कर रहा है अन्य छोटे एवं मध्यम वर्ग के उपक्रमों को बैंक पुनर्वित्त योजना के आधीन राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कर रहा है।

विकास बैंक का औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने का ढंग विविध है। जैसे देशी ऋण, प्रत्यक्ष अंशों तथा ऋणपत्रों में अभिदान तथा अभिगोपन, पुनर्वित्त सहायता, बिलों की कटौती, निर्यात के लिए सहायता तथा वित्तीय संस्थाओं के अंशों तथा ऋणपत्रों में अभिदान इत्यादि।

ऐसी तमाम अन्य वित्तीय संस्थायें जिनके द्वारा बड़ी परियोजनाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। औद्योगिक विकास बैंक उन्हें वित्त प्रदान करता है। अनेक वित्तीय संस्थायें मिलकर संयुक्त रूप से बड़ी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती हैं इसके लिए बैंक प्रारम्भ से ही संयुक्त वित्तीय व्यवस्था पर बल देता चला आ रहा है। बड़े उपक्रमों के अतिरिक्त बैंक तकनीकी उद्यमकर्ताओं द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवर्तित परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों का अन्वेषण करने वाली ऐसी परियोजनाओं को, जिन्हें अन्य संस्थाओं से आसानी से सहायता प्राप्त नहीं होती है तथा योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रहा है।

छोटे तथा मझौले उद्यमियों की सहायता के लिए विकास बैंक ने 1976 के अन्त में 'सीड पूँजी योजना' चालू की। इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऐसे उद्यमियों को पूँजी सहायता प्रदान कर रहा है जिनके पास औद्योगिक कला एवं चतुरता तो पर्याप्त है किन्तु प्रवर्तक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम अभिदान देने की क्षमता नहीं है।[1] विकास बैंक ने राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से एक करोड़ लागत तक की

---

1. भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85, खण्ड-1, भाग-3, पृष्ठ संख्या [illegible]

मझौली परियोजनाओं को सीड पूँजी सहायता प्रदान किया है । इस योजना के अन्तर्गत सहायता की अधिकतम सीमा परियोजना लागत का दस प्रतिशत अथवा दस लाख रूपये (जो भी कम हो) की वित्तीय सहायता प्रारम्भिक बीज पूँजी के रूप में स्वीकृति की जाती है । इसके अन्तर्गत पहले ही 326 प्रस्तावों पर 19 करोड़ रूपये की सहायता दी जा चुकी है साथ ही इस प्रकार की सहायता बिना व्याज के दी जाती है बैंक केवल एक प्रतिशत के बराबर सेवा शुल्क वसूल करता आ रहा है ऋण का पुनर्भुगतान सहायता देने से पाँच वर्षों बाद किस्तों में ही किया जाता रहा है ।

बीज पूँजी सहायता के अन्तर्गत विकास बैंक ने छोटी तथा मझौली परियोजनाओं को विशेष सहायता प्रदान की है इस सहायता के अन्तर्गत बैंक ने 1982-83 में 8.02 करोड़ रूपयों की स्वीकृति की थी जिसमें से 3.74 करोड़ रूपयों का वितरण भी किया गया था पुनः 1983-84 एवं 1984-85 में क्रमशः 10.93 एवं 13.82 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये और क्रमशः 7.37 तथा 9.09 करोड़ रूपयों का वितरण हुआ । इसके बाद 1985-86 में 16.19 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये और 1986-87 में यही राशि घटकर 12.86 करोड़ रूपये हो गयी ।[2]

उपरोक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो रही है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बीज पूँजी सहायता योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को लगातार सहायता प्रदान की है जो भारतीय पूँजी बाजार में विशेष योगदान का प्रतीक है ।

औद्योगिक विकास बैंक ने नवम्बर 1976 में 'अनुदार ऋण योजना' के अन्तर्गत देश के महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, जूट, सीमेंट, चीनी तथा विशिष्ट इन्जीनियरिंग के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया । ताकि उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके ।

---

2. भारत में बैंकिंग विकास पर रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 90, सारणी संख्या 18.

छोटे तथा मध्यम वर्ग के उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों को प्रेरित करने के लिए बैंक ने अपने कार्यकाल के आरम्भ से ही पुनर्वित्त योजना चलायी । इस योजना के अन्तर्गत इन संस्थाओं द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को दिये गये मियादी ऋणों के लिए विकास बैंक उन्हें पुनर्वित्त की सुविधा दे रहा है । सामान्यतया ऋण स्थिर सम्पत्तियों के वित्त पोषण के लिए होना चाहिए फिर भी कार्यशील पूँजी के लिए भी यह सुविधा दी जाती है । बशर्ते कि दीर्घकालीन अवधि के लिए इस पूँजी की जरूरत हो । यह भारतीय पूँजी बाजार में बहुत ही महान् योगदान माना जा सकता है ।

औद्योगिक विकास बैंक सामान्यतया योग्य ऋणों के 90 प्रतिशत भाग तक के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है । पिछड़े इलाकों में स्थापित तथा ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए शत-प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा दी जा सकती है । यह सुविधा छोटी इकाइयों तथा छोटे सड़क वाहन चालकों तथा अन्य मामलों में दी जाती है ।

विकास बैंक जनवरी 1971 से उदार शर्तों पर पुनर्वित्त सुविधा प्रदान कर रहा है । ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत पुनर्वित्त सहायता छोटे उपक्रमों एवं लघु सड़क परिवहन चालकों को दी जाने वाली ऋण सुविधा के लिए स्वयंक्रिय आधार पर दी जाती है । बैंक पुनर्वित्त सुविधा योग्य संस्थाओं को विस्तृत मूल्यांकन किये बिना प्रदान करता है ।

औद्योगिक विकास बैंक उपक्रमों को वित्तीय सहायता पुनर्कटौती करके प्रदान करता है जिनकी कटौती व्यापारिक बैंक पहले ही कर चुका है तथा जो देशी मशीनों की बिक्री से प्रोद्भूत है । देशी मशीनों और मोटर गाड़ियों सहित उपकरणों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अधीन निर्माताओं के नाम पर था उनके द्वारा आहरित विपत्रों अथवा प्रामिसरी नोटों की अ उनके बैंकों द्वारा कटौती की

जाती है और इन दस्तावेजों की विकास बैंक द्वारा फिर से पुनर्कटौती की जाती है। यह सुविधा उन अनुमोदित इंजीनियरिंग संस्थाओं को दी जाती है जो अपनी विशिष्टियों एवं डिजाइन के अनुसार अपनी मशीनों का निर्माण कराती हैं और उन्हें अपने खुद के नाम से बेंचती हैं।

बिलों की पुनर्कटौती की सुविधा उद्योगों के अतिरिक्त राज्य के विद्युत मंडलों तथा राज्य के सड़क परिवहन निगमों को भी प्रदान किया जाता है। 1982-83 में विकास बैंक द्वारा 382.8 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गयी।[3]

पुनर्कटौती योजना के अन्तर्गत स्थगित भुगतान की या उधार की अवधि प्रायः 6 मास से 5 वर्ष के बीच होती थी और विशेष परिस्थितियों में यह समय 7 वर्ष तक हो सकता है। यह विनिमय बिल अथवा प्रतिज्ञापत्र की राशि दस हजार रूपये सेकम नहीं होनी चाहिए और एक व्यक्ति को 50 लाख रूपये से अधिक नहीं दी जा सकती है। राज्य विद्युत मण्डलों तक सड़क परिवहन निगमों के लिए यह सीमा क्रमशः 2 करोड़ और एक करोड़ रू0 है। नई परियोजनाओं के लिए भी यह सीमा 50 लाख रूपये तक है।

औद्योगिक विकास बैंक ने पुर्नकटौती की दरें समय-समय पर बदल दी हैं। 1974 में इन दरों को 8.5-9 प्रतिशत या वास्तविक दर विनिमय बिल की भुगतान तिथि की निकटता अथवा दूरी पर निर्भर करती है। व्यापारिक बैंकों को इन बिलों की कटौती पर 1.75 प्रतिशत का सीमांतर रखने की अनुमति है।

बिलों की पुनर्कटौती योजना निरन्तर लोकप्रिय होती जा रही है। इस तथ्य से लग सकता है कि पहले से अब कटौती अधिक रू0 की हो रही है। इस योजना का लाभ राज्य विद्युत मंडल तथा राज्यपथ परिवहन निगम जैसे लोकक्षेत्रीय उपक्रम अधिक

---

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 1982-83, पृष्ठ संख्या 170.

उठा रहे हैं । पुनर्कटौती सहायता योजना का लाभ पुरानी इकाइयों को अधिक मिला है । 1974-75 तक 114.4 करोड़ रूपये की पुनर्कटौती सहायता में 100.2 करोड़ रूपये की सहायता 867 पुरानी इकाइयों को तथा 14.2 करोड़ रूपये की सहायता 225 नई इकाइयों को दी गई । इससे इस बात की पुष्टि होती है कि विकास बैंक द्वारा छोटी नई इकाइयों को भी आर्थिक सहायता देकर उन्हें शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

पुनर्कटौती सहायता का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसका लाभ निर्यात उद्योगों ने भी उठाया है । जैसे वस्त्र उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, विद्युत मशीन उद्योग, परिवहन तथा खनन उद्योग । इसके अतिरिक्त चीनी, तेल, सीमेंट, पटसन, प्लास्टिक, कागज, शीसा, फिल्म आदि उद्योगों ने भी इस योजना का लाभ उठाया। वास्तव में इस योजना का लाभ निरन्तर सभी क्षेत्र उठा रहे हैं । यह प्रवृत्ति देश की आर्थिक नीति एवं आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल है । अत: यह ज्ञात होता है कि विकास बैंक ने इस क्षेत्र में महान योगदान देकर भारतीय पूँजी बाजार को सुदृढ़ बनाया है ।

इसके अतिरिक्त विकास बैंक का कार्यक्षेत्र यदि देखा जाय तो पुनर्कटौती के क्षेत्र में शुरू से ही निश्चित अन्तराल भुगतान के आधार पर योजना स्थापित हो चुकी थी । इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थाओं के पक्ष में जिस पर पुनर्कटौती विकास बैंक से अनुमोदित बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा {देय हो} होनी चाहिए । अनुमोदित संस्था विकास बैंक से समय-समय पर निश्चित दर पर पुनर्कटौती की सुविधाएं दिला रहे हैं । इस योजना में सुधार किया गया है और नयी योजना लागू की गयी है जो औद्योगिक बढ़ोत्तरी के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो रही है । इन नये तरीकों में सूद बिल की निर्भरता पर मशीनरी की कीमत 10.6-12 प्रतिशत की सीमा से घटाकर 9.8 प्रतिशत कर दिया गया है ।[4]

4. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1970-71, पृष्ठ संख्या 64, श्री रूमाई देसाई द्वारा स्टेट्स पीपुल प्रेस, बम्बई में मुद्रित ।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत जो सुविधाएं खरीददारों तथा उप-भोक्ताओं, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रों जैसे विद्युत, परिवहन, निगम और सरकारी कम्पनियों के क्षेत्र में दी गयी हैं। उनको प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

बिलों की पुनर्कटौती के क्षेत्र में बहुत पहले 1982-83 में ही एक अच्छी राशि 428.39 करोड़ रूपये की स्वीकृति की गयी थी जिसका लाभ भारतीय पूँजी बाजार को प्राप्त हुआ और यही राशि 1983-84 में बढ़कर 663.70 करोड़ रूपये हो गयी। जो राशि इन दो वर्षों में स्वीकृति की गयी उनमें से क्रमशः 317.94 एवं 499.76 करोड़ रूपये की राशियों का वितरण भी किया गया। बाद में बिलों की कटौती के सम्बन्ध स्वीकृत राशि घट गयी और यह राशि 1984-85 में घटकर 634.07 करोड़ रूपये ही रह गयी। पुनः 1985-86 तथा 1986-87 में कटौती राशि बढ़कर 928.01 तथा 1014.17 करोड़ रूपये हुई। इन राशियों में से क्रमशः 477.83, 697.75 तथा 758.71 करोड़ रूपये का वितरण भी किया गया। इस योजना का प्रारम्भ 37.3 करोड़ रूपये से किया गया था।[5]

औद्योगिक विकास बैंक की भारतीय पूँजी बाजार में भूमिका को हम मोटे तौर पर निम्नलिखित ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं :-

(1) प्रत्यक्ष सहायता :- इसके अन्तर्गत औद्योगिक फर्मों के ऋणों, शेयरों और डिबेन्चरों की जिम्मेदारी लेना और उनमें अंशदान करना।

(2) अप्रत्यक्ष सहायता :- (क) वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करना।

(ख) अस्थगित भुगतान के आधार पर स्थानीय मशीनों की बिक्री से जनित बिलों पर फिर से बट्टा काटना।

5. भारत में विकास बैंकिंग पर रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 90, सारणी संख्या 90-91.

﴾ग﴿ अन्य वित्तीय संस्थनों के शेयरों और बांडों में अंशदान करना ।

﴾3﴿ बैंकों के साथ-साथ निर्यातकों को प्रत्यक्ष ऋणों और गारंटियों, बैंकों द्वारा प्रदत्त निर्यात सम्बन्धी साख और विदेशी ग्राहकों की साख का पुनर्वित्त पोषण के रूप में निर्यात वित्त पोषण ।

﴾4﴿ सुविस्तृत परन्तु व्यवहार्य औद्योगिक प्रक्रिया हासिल करने के लिए प्रोत्साहन-गतिविधियाँ ।

﴾क﴿ <u>औद्योगिक प्रयोजनाओं को प्रत्यक्ष सहायता</u>

प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के प्रावधान के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का दृष्टिकोण उसके शीर्षस्थ स्थान, अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से उद्योगों के वित्त पोषण को सहायता प्रदान करने की अनुकूल स्थिति, औद्योगिक ढाँचे के रिक्त स्थानों को भरने का विशेष दायित्व और अर्थव्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी से परिचालित होता है । अन्तिम आश्रय होने के कारण यह न केवल अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त सहायता को सामने रखते हुए रिक्त स्थानों को भरने का प्रयत्न करता है बल्कि परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और वित्तीय सहायता की आवश्यक मात्रा का प्रबन्ध करने में भी अग्रिणी भूमिका निभाता है । तदनुसार प्रत्यक्ष वित्त पोषण की गतिविधियाँ प्राय: अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से चलायी जाती हैं और यही कारण है कि प्रत्यक्ष वित्तपोषण के परिमाण में असाधारण वृद्धि हुई है ।

1964 से 1970 की पूरी अवधि में औद्योगिक उद्यमों को प्रदत्त प्रत्यक्ष सहायता इसके गारंटी सहित कुल सहायता के लगभग एक तिहाई थी । यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा प्रदत्त सहायता के संयोजन में होने वाले परिवर्तन का सूचक है । प्रत्यक्ष सहायता के सापेक्ष अंश में गिरावट के साथ अप्रत्यक्ष सहायता और निर्यात वित्तपोषण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । संभवत: इसका कारण यह है कि

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक शीर्षस्थ विकास बैंक के रूप में अपेक्षाकृत बड़े मामलों में अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा आवृत न होने वाले वित्तपोषण के रिक्त स्थानों को भरने वाले अन्तिम महाजन और लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों की समस्याओं का देखरेख करने वाले संस्थानों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका पर विशेष ध्यान दे रहा है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता औद्योगिक उद्यमों को ऋण, अभिगोपन और गारंटी आदि तीन रूपों में प्राप्त होती है ।

औद्योगिक उद्यमों को दिये जाने वाले ऋण के अन्तर्गत विकास बैंक औद्योगिक उद्यमों को सामान्यतया 10 से 12 वर्षों की अवधि के लिए जिसमें 2 से 3 वर्षों की अनुग्रह अवधि भी सम्मिलित है प्रत्यक्ष ऋण देता है । वित्तीय सहायता के रूप में ऋण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्यमों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का अकेला सबसे महत्वपूर्ण घटक है ।[6]

अत: स्पष्ट है कि योग्य वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये जाने वाले मियादी ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पुनर्वित्त प्रदान करता है । सामान्यत: आस्तियाँ प्राप्त करने के लिए दिये जाने वाले ऋण पुनर्वित्त के आय हैं । किन्तु ऋण का एक अंश कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओं के लिए भी हो सकता है । किन्तु शर्त यह है कि ऐसी कार्य-कारी पूँजी नियत अवधि के लिए आपेक्षित हो । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 24 दिसम्बर 1972 से, मशीनों, मोटरों, जलयानों, मोटरवोटों, ट्रेलरों या ट्रैक्टरों के अनुरक्षण, मरम्मत, परीक्षण या सर्विस में लगे हुए यूनिटों और मछली पकड़ने या मछली पकड़ने के लिए समुद्री किनारे पर सुविधायें प्रदान करने या उनके अनुरक्षण में लगे हुए प्रतिष्ठानों

---

6. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट - 1972-73, पृष्ठ संख्या 57, श्री रूमाई देसाई द्वारा स्टेट्स पीपुल प्रेस, बम्बई में मुद्रित ।

को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की हैं । औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए दिये जाने वाले ऋण भी पुनर्वित्त के योग्य हैं । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की अधिकतम अवधि 15 वर्ष है और मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के मामले में उक्त अवधि 25 वर्ष है ।

ऋण देने के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निगमों, उद्यमों के ऋणपत्रों का अभिगोपन करके और प्रत्यक्ष अंशदान देकर उनका प्रत्यक्ष वित्त पोषण कर सकता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस प्रकार का वित्त पोषण सीमित परिमाण का है । तर्कसंगति रूप से यह माना जा सकता है कि विकास बैंक, भारतीय खाद्य निगम और राज्य वित्त निगम आदि अन्य विकास बैंकों की तरह ही प्रधानतया एक ऋण देने वाली एजेन्सी है और इसकी अभिगोपन करने की तथा विनियोजन गति-विधियाँ दयनीय रूप से निम्न स्तर पर हैं फिर भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतवर्ष में अभिगोपन करने की व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है । भारत में अभिगोपन के क्षेत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बैंक के रूप में उभरा है । इसके अतिरिक्त इसकी अभिगोपन गतिविधियों से औद्योगिक वित्त पोषण के प्रोत्साहन वाले पक्ष पर बल का परिचय करती है जो अत्यन्त प्रशंसनीय है । यह तथ्य कि इसके अभि-गोपन का अधिकांश जोखिम पूँजी जारी करने से सम्बन्धित है, निश्चय ही एक प्रशंसनीय कार्य का सूचक है ।

समान रूप से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि नई कम्पनियों द्वारा पूँजी जारी किये जाने का इसकी अभिगोपन योजना में एक प्रमुख स्थान रखता है ।

पूँजी निर्गमों के प्रयोजकों के नामों की उपेक्षा करना भी इसका एक पहलू रहा है जैसा कि सामूहिक अभिगोपन अर्थात् वित्त समिति (1969) द्वारा निर्दिष्ट प्रमुख व्यापार समूहों (Business Group) से सम्बन्धित कम्पनियों के द्वारा किये गये पूँजी निर्गमों की अभिगोपन के नगण्य अंश से सूचित होता है फिर भी एक अर्थ में विकास बैंक का प्रभाव व्यापक एवं सुविस्तृत है ।

औद्योगिक संस्थाओं द्वारा पूँजी बाजार में अथवा बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों तथा निर्यात के अस्थगित भुगतानों की गारंटी देने का अधिकार इस बैंक को प्राप्त है अर्थात् ऋणों और विनियोगों के सिवाय औद्योगिक विकास बैंक की उद्योगों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता ऋण व अस्थगित भुगतानों के लिए गारंटी के रूप में होती है ।[7]

बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभिगोपन से उत्पन्न दायित्वों के लिए भी विकास बैंक गारंटी दे सकता है । इसका प्रभाव यह होगा कि भारत में संघीय अभिगोपन तथा संयुक्त अभिगोपन के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो सकेगा जो भारतीय पूँजी बाजार की बढ़ोत्तरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों द्वारा ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों और राज्य वित्तीय निगमों की तकनीकी सहायता योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले तकनीशनों को दिये जाने वाले मियादी ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है ।[8]

ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों के सन्दर्भ में पुनर्वित्त ऋणों की न्यूनतम राशि 10,000 रूपये है, सड़क परिवहन चालकों और बंजरों के लिए यह राशि क्रमशः 20,000 और 25,000 रूपये थी किन्तु इन राशियों के लिए गारंटी रक्षा नहीं मिल सकती ।

राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योग यूनिटों/छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये जाने वाले दो लाख रूपये तक के ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त मंजूर करने की

---

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1985-86, पृष्ठ संख्या 112, अण्डर पब्लिसिटी, रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस, बम्बई ।

8. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट, 1972-73, पृष्ठ संख्या 157, श्री यू०एस० नवानी प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

क्रियाविधि को इस प्रकार सरल बनाया गया है कि इस योजना के आधीन पुनर्वित्त प्राय: स्वयमेव उपलब्ध हो जाय । राज्य वित्तीय निगमों के लिए 1971 में अमल में लाई गयी उदारीकृत योजना को इस प्रकार व्यापक बनाया गया है कि योग्य बैंकों द्वारा एक फरवरी 1975 को या इसके बाद प्रदान किये गये ऋण उसके अन्तर्गत आ सकें । औद्योगिक बस्तियों को दिये जाने वाले ऋणों के पुनर्वित्त के लिए दिसम्बर 1973 में अमल में आई योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार की बस्तियाँ, केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित बस्तियों को छोड़कर जिनका वित्त पोषण बजट के विनिधान में से किया जाता है, पुनर्वित्त के योग्य हैं । औद्योगिक बस्तियों को शेड बनाने के लिए, भूमि के विकास {किन्तु भूमि के अभिग्रहण को छोड़कर} तथा मूल-भूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रदत्त ऋण पुनर्वित्त योग्य हैं । राज्य वित्तीय निगमों द्वारा मछली पकड़ने के काम में लगे हुए यूनिटों को प्रदत्त ऋण के संदर्भ में भी पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध हैं । उक्त सुविधा बैंकों को नहीं दी जाती, क्योंकि कृषि पुनर्वित्त निगम पहले ही से उनको इस सन्दर्भ में पुनर्वित्त प्रदान करता आ रहा है ।

कुछ राज्य वित्तीय निगमों ने ऐसे स्वनियोजित तकनीशन उद्यमियों जो परि-योजना की पूँजी लागत में अपना अंश लगाने में असमर्थ हैं, प्रवर्तित लघु उद्योग क्षेत्र में दो लाख रूपये से कम लागत की परियोजनाओं के वित्त पोषण की योजनाएं शुरू की थी । इन ऋणों के सन्दर्भ में पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से 'गारंटी-रक्षा' के सन्दर्भ में छूट दी गयी है । सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन ऋणों की गारंटी देनी पड़ती है । इस वर्ग के आधीन आने वाले प्रस्तावों पर उदारीकृत योजना के अन्तर्गत विचार नहीं किया जाता, बल्कि सामान्य पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत विचार किया जाता है । ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों के बारे में 5 लाख रूपयों के तक के ऐसे ऋणों के सन्दर्भ में 100 प्रतिशत का पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों के लिए जून 1973 के पहले राज्य वित्तीय निगमों से ऋण प्राप्त करने वालों को अपनी परियोजनाओं की विदेशी मुद्रागत लागतों की पूर्ति के लिए अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता लेनी पड़ती थी । राज्य वित्तीय निगमों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विश्व की सहयोगी संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ विभिन्न मुद्राओं में 250 लाख डालर के ऋण के लिए समझौता हुआ था जिससे छोटे और मझोले आकार की औद्योगिक संस्थाओं द्वारा पूँजीगत माल का आयात किये जाने और विशेष मामलों में बाहर से तकनीकी जानकारों को बुलाये जाने के सन्दर्भ में वित्त पोषण किये जाने के लिए राज्य वित्त निगमों को ऋण प्रदान किया जा सके ।

देशी मशीनों की बिक्री के लिए अप्रैल 1965 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आस्थगित अदायगी के आधार पर देशी मशीनों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली हुंडियों, वचनपत्रों की पुनर्भुनाई की एक योजना प्रारम्भ की । मशीनों के निर्माता या उसके अधिकृत बिक्री एजेंटों, वितरकों द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि विनिमय, हुंडिया, वचनपत्र, निष्पादित करने के पहले निर्माता को एजेंट, वितरक पूरी रकम अदा कर दें । जो अनुमोदित अभिकल्प-इन्जीनियरी प्रतिष्ठान अपने निजी अभिकल्पों के अनुसार मशीन बनाते हैं और इन्हें स्वयं अपने नामों और गारंटियों के अधीन बेंचते हैं वे भी इस सुविधा का लाभा उठा सकते हैं । देशी मशीनों के सभी निर्माता, भले ही वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में, इस योजना के अन्तर्गत सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं । यदि इस योजना के अन्तर्गत वनस्पति निर्माता और शराब बनाने के उद्योग के लिए आस्थगित अदायगी के आधार पर की जाने वाली मशीनों की बिक्री का वित्त पोषण करना हो तो उसकी पूर्व स्वीकृति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को लिखना होगा ।

कृषि सम्बन्धी मशीनों की बिक्री के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं की गयी है । सामान्यत: यह योजना मशीनों के खरीदार-उपयोगकर्ताओं द्वारा केवल औद्योगिक उपयोगार्थ अस्थगित अदायगी पर की जाने वाली खरीदों पर लागू होती है । जब मशीनें औद्योगिक उपयोग के लिए अपेक्षित नहीं हैं तब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा । किन्तु कृषि सम्बन्धित उपकरणों और मशीनों के सम्बन्ध में उनके निर्माताओं से व्यापारियों, वितरकों द्वारा की जाने वाली खरीद के लिए भी इस योजना के आधीन वित्तीय सहायता मिलती है । यह रियायत इस आशा से की गयी है कि व्यापारी, वितरक इस प्रकार की सुविधाएं उन कृषकों को प्रदान करेंगे जो सारे देश में फैले हैं और जिनका निर्माताओं से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता ।

निर्यातों के वित्त पोषण के लिए योग्य बैंकों द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजीगत और अन्य इन्जीनियरी निर्यात माल के निर्यातकों ‡जिसमें निर्माता, स्वीकृत निर्यात प्रतिष्ठान या अन्य प्रतिष्ठित निर्यातक शामिल हैं‡ को प्रदान किये गये मध्यावधि निर्यात ऋणों पर विकास बैंक पुनर्वित्त प्रदान करता है । भारतीय प्रतिष्ठानों द्वारा विदेशों में निष्पादित की जाने वाली निर्माण परियोजनाओं की समग्र लागत के सन्दर्भ में भी यह सुविधा उपलब्ध होती है बशर्ते कि करार की गयी सभी परियोजनाओं में अधिकांशत: भारतीय मूल्य के उपकरणों, सामग्री एवं सेवाओं आदि का उपयोग हो । जिस निर्यात ऋण के सम्बन्ध में पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है उसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा लागू नहीं होती है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विकास बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से, बैंक वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्गमित अंशों एवं ऋणपत्रों को खरीदकर उसमें अपनी वित्तीय साझेदारी स्थापित करता है ।

विकास बैंक औद्योगिक विकास की संभावनाओं के विस्तार के लिए अविकसित

क्षेत्रों के आर्थिक तथा लघु उद्योगपतियों की समस्याओं का अध्ययन कर समुचित निदान प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त उद्योगों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु विकास बैंक तकनीकी सलाह एवं प्रबन्धकीय समस्याओं के सम्बन्ध में भी परामर्श प्रदान करता है ।

गत वर्षों में विकास बैंक द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की समस्याओं का विशेष अध्ययन प्रारम्भ किया है, इन अध्ययनों में अल्प विकास के कारण, विकास के प्रेरणा स्रोत तथा औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त व्यूल रचना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इन समस्याओं के अध्ययन की नीव पर भारत के कोटिशः निर्धन जनगण के आर्थिक विकास का श्रेष्ठ भवन खड़ा किया जा रहा है ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास बैंक भारतीय पूँजी बाजार में एक शीर्षस्थ एवं समन्वयकारी वित्तीय संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका f निभा रहा है । पुनर्वित्त के क्षेत्र में इसने लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को विशेष सहायता प्रदान की है । इस वित्तीय योगदान के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश के अद्धविकसित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य करके देश की औद्योगिक संरचना में अद्वितीय योगदान किया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से वित्तीय सहायता दिलाने में यह बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है । इस बैंक की निरन्तर बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना अन्य विशिष्ट संस्थाओं के सहयोग से निभाते हुए देश के औद्योगिक विकास में वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करना है ।

यहाँ तक कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में 28 अप्रैल से 3 मई 1986 तक आयोजित कार्यकारी प्रबन्धकों की कार्यशाला में जो व्याख्यान दिया गया था उसमें राष्ट्रीय बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री जी0पी0 भावे[9] ने

---

9. नेशनल बैंक न्यूज रिव्यू, मई 1986, खण्ड 2, संख्या 3, पृष्ठ संख्या 5, आर्थिक विश्लेषण एवं प्रकाशन विभाग गारमेंट हाउस, वर्ली बम्बई-400018.

कथा था कि "हमें यह अधिक आसान लगता है कि हम देश के समग्र लाभ के लिए अपने कार्यकलापों को समन्वित करें और रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राष्ट्रीय बैंके के बीच अधिकार की प्रत्यक्ष व्याप्ति से हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी । इस चल रहे कार्यक्रम के लिए आधारभूत सुविधाएं सरलता से उपलब्ध कराने के लिए मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबन्ध तन्त्र को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि सहयोग की यह भावना निरन्तर बनी रहेगी ।"

अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि वह तमाम सारे कार्य भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर रहा है जो एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान को करना चाहिए यहाँ तक कि अन्य वित्तीय संस्थान उन उद्यमों को सहायता नहीं प्रदान करते जो लाभ न कमाते हैं, बीमार चल रहे हों । प्रबन्धकों की कार्यशाला के व्याख्यान में इस बात को भी राष्ट्रीय बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने कहा था[10] कि "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बीमार इकाइयों की समस्याओं से जूझ रहा है और यह समस्या सभी वित्तीय संस्थान के सामने नहीं आनी चाहिए । अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय पूँजी बाजार की सभी दिशाओं में कार्य कर रहा है ।

§ख§ औद्योगिक परियोजनाओं को अप्रत्यक्ष सहायता

प्रत्यक्ष सहायता साथ-साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारत में स्थित औद्योगिक उद्यमों को अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है । यह अप्रत्यक्ष सहायता जो उद्यमों को दिया जाता है वह वाणिज्य बैंकों, राज्य वित्त निगमों, एस0आई0 डी0सी0 और इसी प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है ।

---

10. नेशनल बैंक न्यूज रिव्यू, मई 1986, खण्ड 2, संख्या 3, पृष्ठ संख्या 7, राष्ट्रीय कृषि और भारतीय विकास बैंक आर्थिक विश्लेषण एवं प्रकाशन विभाग गारमेंट, हाउसवली बम्बई 400018.

हाल के वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औद्योगिक वित्त पोषण के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । अन्य शब्दों में कुल सहायता में अप्रत्यक्ष सहायता का अनुपात महत्वपूर्ण हो गया है । 1964-69 की आरम्भिक अवधि में ही इस सहायता का वार्षिक औसत, जो 31 करोड़ रूपये था प्रत्यक्ष सहायता ≬42.6 करोड़ रूपये≬ की संगत राशि से कम था । किन्तु इसके अगले पाँच वर्षों में औसत ≬81 करोड़ रूपये≬ प्रत्यक्ष सहायता ≬56 करोड़ रूपये≬ के औसत से अधिक हो गया । यह कुल मिलाकर पिछली अवधि से 16.2 प्रतिशत या 32 प्रतिशत प्रतिवर्ष का सुधार प्रदर्शित करता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योगों के अप्रत्यक्ष वित्त पोषण से 1975-77 के तीन वर्षों में पिछले पाँच वर्षों के सम्बन्धित राशि के तिगुने से अधिक का कीर्तिमान स्थापित किया गया था जो 100 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर प्रदर्शित करती है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले अप्रत्यक्ष वित्त पोषण का वार्षिक औसत आकस्मिक वृद्धि को दर्शाते हुए तेजी से बढ़ रहा है ।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि शीर्षस्थ विकास बैंक की विकास मान भूमिका के अनुरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी परिचालानात्मक नीतियों को एक प्राकृतिक सहवर्ती के रूप में ढालता रहा है जिसका अधिक जोर प्रगामी रूप से औद्योगिक उद्यमों के वित्त पोषण में अप्रत्यक्ष सहायता के तीन रूपों में दिखाई देता है । वे तीन रूप निम्नलिखित प्रकार के हैं :-

1. वित्तीय संस्थाओं के अंशों और वाण्डों में अंशदान ।
2. पुन: वित्त पोषण ।
3. पुन: बट्टा काटना ।

पूरक श्रोतों के प्रबन्धक के रूप में विकास बैंक ने अंश पूँजी एवं बाण्ड निर्गमों में अंशदान करके अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है । जिन संस्थाओं को यह वित्तीय सहायता दी गयी है वे≬हैं -राज्य वित्त निगम, भारतीय

खाद्य निगम, आई0सी0आई0सी0आई0 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, यू0टी0 आई0, तकनीकी सलाहकार संगठन इत्यादि । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं की अंशपूँजी में अंशदान का लगभग 61.4 प्रतिशत (20.2 करोड़ रू0) राज्य वित्त निगमों से सम्बन्धित था जिसका एक भाग (3.1 करोड़ रूपये) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से 1975-76 में लिया गया था । कुल अप्रत्यक्ष सहायता की प्रतिशतता अंश में यद्यपि गिरावट आयी है । तथापि यह आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऐसे अंशदानों का अभिप्राय केवल उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना होता है जिससे उनकी ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि हो और इस प्रकार महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाने वाले अन्य रूपों में विद्यमान महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित करने वाले उनके संसाधनों की अनुपूर्ति हो सके ।

औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्तपोषण

शीर्षस्थ विकास बैंक के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उन क्षेत्रों और विधियों का अनुसंधान करता रहा है जिनमें यह अधिक प्रभावी रूप से औद्योगीकरण की प्रक्रिया में योगदान कर सकता है । इस प्रसंग में वित्तीय संस्थाओं विशेषतः लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा स्वीकृत औद्योगिक ऋणों का वित्त पोषण उल्लेखनीय है । यद्यपि इसे औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त पोषण की योजना, औद्योगिक पुनर्वित्त पोषण निगम (जिसका इसमें विलय हो गया) से प्राप्त हुई थी तो भी उसके अन्तर्गत आने वाली वित्तीय संस्थाओं तथा उद्यमों, उद्योगों और गतिविधियों की व्यापकता और प्रकार की दृष्टि से योजना का क्षेत्र विस्तृत हुआ है और व्याजदर, मूल्यनिर्धारण जैसे अनुबंधों की दृष्टि से योजना में उदारता भी आयी है ।

पुनर्वित्त पोषण की सुविधा भारतीय खाद्य निगम, राज्य खाद्य निगमों, व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा एस0आई0 आई0 निगमों को प्राप्त है । पुनर्वित्त पोषित होने वाले ऋणों की परिपक्वता कम

से कम तीन वर्ष तथा अधिकतम भारतीय खाद्यनिगमों एवं राज्य वित्त निगमों के मामले में 25 वर्ष और सहकारी तथा व्यापारिक बैंकों के मामले में 10 वर्ष होनी चाहिए । आरम्भ में सामान्यत: पुनर्वित्त पोषण होने वाले ऋण की न्यूनतम राशि 5 लाख रूपये होती थी जो बाद में घटाकर दो लाख रूपये कर दी गयी यद्यपि भारतीय सरकार की साख गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योगों या औद्योगिक उद्यमियों के द्वारा चलायी जाने वाली यूनिटों, छोटे सड़क परिवहन परिचालकों और हाउसबोट खरीदने वालों के मामले में ऋण और भी कम अर्थात् क्रमश: 10 हजार, 20 हजार और 25 हजार रूपयों के हो सकते हैं । सामान्यत: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों का 80 प्रतिशत प्रदान करता है । परन्तु लघु उद्यमों और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित इकाइयों केमामले में यह वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का सत्-प्रतिशत हो जाता है ।

वित्त पोषण योजना में ऐसे परिवर्तनों के फलस्वरूप जिनके कारण क्षेत्र और आवृत्ति, कार्य विधि में उदारता, पुनर्वित्त पोषण के उपयुक्त ऋणों की न्यूनतम राशि में कटौती रियायती शर्तों पर, पुनर्वित्त पोषण की सुविधा, फार्मों का सरलीकरण आदि सम्भव हो सका है । यह योजना लघु उद्यमों के क्षेत्र में सहायता की मात्रा बढ़ाने में प्रभावी साधन बन गयी है । 1977 में 789 करोड़ रूपये के परिमाण के औद्योगिक ऋणों के वित्त पोषण के रूप में संचयी सहायता के साथ यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वित्तीय गतिविधि के अकेले सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार के रूप में उभरा है । 1977 के बाद 1982-83 में उद्योगों के पुनर्वित्त के मद पर विकास बैंक द्वारा 788.12 करोड़ रूपयों की स्वीकृति दी गयी थी जो राशि आगे के वर्षों अर्थात् 1983-84 और 1984-85 में बढ़कर 862.71 तथा 1241.85 करोड़ रूपये हो गयी । इन स्वीकृति राशियों में से क्रमश: 660.52 करोड़, 730.80 करोड़ तथा 930.40 करोड़ रूपयों का वितरण भी किया गया । इसी क्रम में आगे के वर्षों में इस मद पर स्वीकृत की गयी राशि में निरन्तर वृद्धि होती गयी और 1985-86 में स्वीकृत राशि बढ़कर 1564.03 करोड़ रूपये हो गयी और पिछले वर्ष 1986-87 में इस योजना पर स्वीकृत

राशि बढ़कर 1643.43 करोड़ रूपये पहुँच गयी जो लगातार इस योजना पर विकास बैंक के सहयोग का विशेष प्रतीक है ।[11]

<u>पुनर्शोधन सहायता</u>

आस्थगित भुगतान के आधार पर स्थानीय मशीनरी की बिक्री के पुनर्शोधन बिलों के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष सहायता औद्योगिक उद्यमों की व्यापक वित्तीय अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए निकाला गया एक अन्य ढंग है, इसका तरीका यह है कि क्रेता अर्थात् मशीनरी का उपभोग करने वाले के द्वारा मशीनरी के उत्पादक के नाम बिल आहरित किये जाते हैं । जो इन पुपत्रों को बैंक से भुनाता है और बैंक स्वयं इन बिलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्शोधन कराता है ।

बिल पुनर्शोधन योजना, स्थानीय मशीनरी के उपभोग में सहायता देने विशेषत: ‡उस समय की मन्दी के सन्दर्भ में‡ 1965 में लागू की गयी थी और मूलत: यह 6 उद्योगों अर्थात् सूतीवस्त्र, जूट, रेशम, सीमेन्ट, चीनी और कागज मशीनरी के उद्योगों पर लागू थी, बाद के वर्षों में योजना के क्षेत्र में पर्याप्त व्यापकता आयी और इस समय इसमें भारत के सभी मशीनरी निर्माण उद्योग आते हैं । 1968 से इसका क्षेत्र बढ़ाकर इसमें राज्य विद्युत परिषदों, राज्य सड़क परिवहन निगमों और सरकारी कंपनियों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के खरीददारों, उपयोगकर्ताओं को सम्मिलित कर लिया गया है । आस्थगित भुगतान की अवधि सामान्यत: 6 महीने से 5 वर्ष होती है विशेष परिस्थितियों में यह 7 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है । उपयुक्त बिलों के एक समूह पर लागू समव्यवहार की न्यूनतम राशि 10,000 रूपये निर्धारित की गयी थी परन्तु कृषि मशीनरी एवं उपकरणों की बिक्री के मामले में कोई न्यूनतम सीमा नहीं

---

11. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 90, सारणी 18, कालम 3.

है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी एक अकेले उपकरण के क्रेता-उपभोगकर्ता से सम्बन्धित बिलों के पुनर्शोधन के राशि की अ उच्चतम सीमा निर्धारित की है जो अक्टूबर से आगामी वर्ष के सितम्बर तक की 12 मास की अवधि में एक करोड़ रूपये होगी । इसे अतिरिक्त उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को आधारभूत सुविधायें प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में स्थित राज्य विद्युत परिषदों, राज्य सड़क परिवहन निगमों को मशीनरी/उपकरण तथा व्यापारिक वाहन खरीदने के लिए छूट की विशेष रियायती दरों की सुविधा दी है ।

अन्त में पुनर्शोधन की योजना को परिचालन में लगभग स्वत: निर्भर बना दिया गया है । और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उस परियोजना (जिसके लिए मशीनरी आपेक्षित है) का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विल पुनर्शोधन योजना उक्त उदारीकरण और मूल योजना में परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए बड़ी प्रसिद्ध हो चली है । योजना के 12 वर्षों के परिचालन के दौरान पुनर्शोधित बिलों का अंकित मूल्य 656.7 करोड़ रूपये था और यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योगों को दी गयी अप्रत्यक्ष सहायता का 43 प्रतिशत होता है ।

<u>निर्यात वित्त पोषण</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की गतिविधियों का तीसरा पहलू निर्यात सहायता से सम्बन्धित है जैसा कि पहले देखा जा चुका है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक देश के आयात-निर्यात बैंकों के रूप में कार्य करता है । इसने अपनी स्थापना के समय औद्योगिक पुनर्वित्त पोषण निगम से निर्यात वित्त पोषण की एक योजना प्राप्त की जिसको उसने 1962 में प्रारम्भ किया था । इस योजना के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित आस्थगित भुगतान की सतों पर और निर्यात साख एवं गारंटी

निगम लि0 की एक उपयुक्त बीमा गारंटी से आवृत्त निर्यात के लिए सहायता प्राप्त होती है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शत्-प्रतिशत पुनर्वित्तीय सहायता देता है । पुनर्वित्त के लिए उपयुक्त साख कम से कम 6 महीने और अधिकतम 15 वर्षों के लिए होनी चाहिए । निर्यात साख के पुनर्वित्त पोषण से अलग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निर्यातकों को दिसम्बर 1968 से प्रत्यक्ष साख की सुविधा देता रहा है । यह प्राय: वाणिज्य बैंकों के साथ भागीदारी प्रबन्धन में सम्मिलित होता है जो ऋण की राशि का 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत होता है । दिसम्बर 1973 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक खरीददार साख योजना का परिचालन कर रहा है । जिसके अन्तर्गत यह विदेशी मुद्रा के कारोबार के लिए प्राधिकृत लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भागीदारी में आस्थगित भुगतान के आधार पर भारत से कैपिटल गुड्स के आयात के सिलसिले में विदेशी खरीददारों को सीधे साख प्रदान करता है । ऐसी साख के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित की गयी है । जबकि न्यूनतम सीमा एक करोड़ रूपये है ।

इस प्रकार गारंटी देने के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निर्यात सहायता के क्षेत्र में चार योजनायें चलाता है -

1. अनुमोदित बैंकों के द्वारा प्रदत्त मध्यम अवधि की निर्यात साख का पुनर्वित्त पोषण ।
2. निर्यातकों को सीधे साख की सुविधा ।
3. खरीददार साख का विस्तार ।
4. साख की विदेशी लाइन ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भारतीय पूँजी बाजार में अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है और औद्योगिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है ।

निर्यात ऋण ‡ब्याज उपदान‡ योजना 1968 के अन्तर्गत वाणिज्य मंत्रालय की विपणन विकास निधि से प्राप्त 1.5 प्रतिशत ब्याज उपदान और विदेश मंत्रालय द्वारा आबंटित निधि से 3 प्रतिशत ब्याज उपदान की अदायगी तीन बैंकों द्वारा की जा रही है जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रमुख है । इन तीन बैंकों ‡भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया‡ द्वारा निर्दिष्ट पूँजीगत माल का भारत से आयात करने के लिए बंगलादेश में स्थित कुछ वित्तीय संस्थाओं को 25 करोड़ रूपये का विशेष बैंक ऋण देने पर यह अदायगी की गयी । आलोच्य अवधि के दौरान इन तीन संस्थाओं को 1,01 करोड़ रूपये का कुल उत्पादन ‡1.5 प्रतिशत पर 22 लाख रूपये और 3 प्रतिशत पर 79 लाख रूपये‡ वितरित किया गया विपणन विकास निधि और विदेश मंत्रालय की निधि से 1.5 प्रतिशत की दर पर 9.01 लाख रूपयों का ब्याज उपदान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदत्त 4 करोड़ रूपयों के वाणिज्य ऋण पर दिया गया था ।[12]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संवर्धन कार्यकलापों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए रियायती दर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तथा रियायती पुनर्वित्त की सहायता योजनायें चला रहा है । पिछले कुछ वर्षों में योजनाओं को काफी उदार बना दिया गया है । वित्त के मामले में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती दर 6 प्रतिशत है जबकि प्राथमिक ऋणदाताओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर की उच्चतम सीमा 9.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रवर्तकों से कम से कम अभिदान ‡20 प्रतिशत के

---

12. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 72, भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई के लिए श्री एम0जी0 गायतोंड प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

सामान्य मापदण्ड की तुलना में 17.5 प्रतिशत स्वीकार करता है ।[13] और ऋण व अंशपूँजी के अनुपात एवं ऋण चुकाने के समय के सम्बन्ध में कठोर नीति अपनाता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1. ऋण और गारंटी सहायता के लिए 2 करोड़ रूपये की समवेत सीमा तक रियायती आस्थगित अदायगी गारंटी सहायता प्रदान करने और 2. ऋण और अंशपूँजी के समुचित अनुपात के लिए केन्द्रीय अभिदान सहायता को अंशपूँजी मानने के लिए सहमत हो गया है ।

जिन पिछड़े जिलों की परियोजनाओं के मामले में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सहायता मंजूर की है उनके लिए यह अखिल भारतीय संस्थाओं की ओर से केन्द्रीय अभिदान सहायता योजना का काम भी संभाल रहा है । एक करोड़ रूपये तक की अचल पूँजी के निवेशवाली परियोजनाओं के लिए 15 प्रतिशत तक का अभिदान सहायता उपलब्ध है, जिन इकाइयों की अचल पूँजी निवेश एक करोड़ रूपये से अधिक है, उनको गुणवत्ता के आधार पर 15 लाख रूपयों की अधिकतम सीमा के अन्दर अभिदान सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है ।[14]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संवर्धन, प्रयासों और आर्थिक सहायता तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए दी गयी अन्य प्रकार के सहायता के योगदान की मात्रा और भी अधिक दिखाई पड़ती है यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त और पुनर्भाजन योजनाओं से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रतिफल

---

13. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 61, इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

14. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 23, इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

और इस पृष्ठभूमि में अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाय । प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष लाभ एवं सम्बन्धित परिणाम भी हैं जो पिछड़े क्षेत्रों में विकास की ऐसी गतिविधियों को जन्म देते हैं जो वास्तविकता है किन्तु उनके परिणाम की सरलता को जाना नहीं जा सकता है ।

लघु क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के अन्तर्गत बिल पुनर्भाजन योजना के आधीन प्रदान की जाने वाली भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता का भी एक भाग लघु उद्योग क्षेत्रों को प्राप्त होता है । इन सबके अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक बस्तियों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करके और राज्य वित्तीय निगमों की अंश पूँजी एवं बंधपत्रों में अभिदान करके लघु उद्योग क्षेत्रों के विकास में अप्रत्यक्ष सहायता भी दे रहा है ।[15]

सहकारी एवं संयुक्त यूनिटों को सहायता के अन्तर्गत इस समय सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र के 63 आवेदन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है) के पास विचाराधीन हैं । और उनकी कुल अनुमोदित परियोजना लागत 900 करोड़ रूपये हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र की मझोले आकार की परियोजनाओं (जिनकी परियोजना लागत 20 करोड़ रूपये तक है) की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से विदेशी मुद्रा की एक प्रणाली प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्नशील है और भविष्य में विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता में अधिक गतिशीलता आने की संभावना है ।[16]

---

15. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 66, इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

16. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 69, रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस बम्बई ।

<u>प्रोत्साहन गतिविधियाँ</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की परिचालनात्मक नीतियों की एक विशेष बात उसके प्रोत्साहन या नये उपक्रमों के कार्य हैं । प्रोत्साहन गतिविधियाँ यह शब्द भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य की नीति के सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप एक अत्यन्त विकेन्द्रित और साथ ही व्यवहार्य औद्योगीकरण प्रक्रिया की प्रगति को प्रोत्साहित करने के प्रयत्नों के लिए प्रयुक्त होता है । अन्य शब्दों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्हता प्राप्त उद्यमियों को धन सुलभ कराने के परम्परा-गत कार्य और ऋण देने के लिए स्रोतों के एकत्र करने का ही कार्य नहीं करता, इसकी तुलना में यह राज्य की नीति के उपकरण के तौर पर कार्य करता है और इस प्रकार अपने संसाधनों के विनियोजन में यह उसके गुणात्मक संयोजन और भौगोलिक विस्तार का ध्यान रखता है ।

1970-71 का वर्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रोत्साहन कार्यों के विकास में मील का पत्थर है । जबकि उसने वित्त विकास के क्षेत्र में परिपक्वता का एक स्तर प्राप्त कर लिया था । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए कई प्रकार के तन्त्रों का विकास किया है । अन्य बातों के साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रोत्साहन कार्यों में (1) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता (2) बीज पूँजी योजना सहित नये और तकनीकी उद्यमियों को सहायता (3) अस्थिर ऋण योजना (4) प्रौद्योगिक विकास निधि (5) विकास सहायता निधि (6) लघु उद्यमों को सहायता आदि का समावेश है जो अपने क्षेत्र में पूर्ण रूपेण कार्य कर रहा है ।

भारत में पिछड़े क्षेत्रों का विकास सामाजिक, आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्यों में एक रहा है । पिछड़े क्षेत्रों और वित्तीय प्रोत्साहनों का सुझाव देने के लिए 1968 में योजना आयोग द्वारा गठित किये गये दो कार्यकारी वर्गों के सुझाव के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास की अविच्छिन्न

प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए सजग एवं सुविचारित प्रयत्न किये हैं । यह उपाय वित्तीय और गैर वित्तीय है :-

वित्तीय उपाय

कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आरम्भ किये गये वित्तीय उपाय तीन श्रेणियों में आते हैं :-

1. निर्धारित पिछड़े जिलों-क्षेत्रों में परियोजनाओं को रियायती शर्तों पर पर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता ।
2. ऐसे इलाकों में परियोजनाओं को रियायती पुनर्वित्त पोषण की सहायता और
3. बिल-पुनर्कटौती योजना के अन्तर्गत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को विशेष सहायता।

प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के मामले में रियायतें न्यूनतम ब्याज दर, अपेक्षाकृत लम्बी आरम्भिक कृपावधि, अधिक लम्बी परिशोधन अवधि, अनाहरित अवशेष पर सुपुर्दगी, प्रभार में कटौती, (Underwriting) गारंटी कमीशन, सहभागिता, लचीली ऋण ‡इक्विटी अनुपात‡ और सीमान्त अपेक्षाएँ एवं ऋण सेवा भुगतानों का अनुसूचीकरण करना इत्यादि के रूप में होती है । रियायती पुनर्वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक इकाइयों, राज्यवित्त निगमों, बैंकों के पास अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सम्पर्क कर सकती हैं और ये प्रारम्भिक ऋणदात्री संस्थाएं स्वयं पुनर्वित्त पोषण सुविधाओं के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सम्पर्क साधती हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक रियायती ब्याज दर पर पुनर्वित्त पोषण प्रदान करता है । अन्त में बिल पुनर्कटौती योजना को उत्तरी पूर्वी क्षेत्र -‡विकास में बाधक‡ प्रतिकूल भौगोलिक एवं आर्थिक तत्वों वाला एक पिछड़ा क्षेत्र‡ के लिए अधिक उदार बना दिया गया है ।[17]

---

17. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 76, कालम 6.

रियायती वित्तीय सहायता की योजना और प्रोत्साहन गतिविधियों के फलस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं को पुनर्वित्त पोषण और बिल पुनर्कटौती योजना के तहद अप्रत्यक्ष सहायता सहित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता 1970 से बढ़ती गयी है ।

गैर वित्तीय प्रोत्साहनात्मक उपाय

कम विकसित क्षेत्रों में निरन्तर औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन ही पर्याप्त नहीं होते । इस अत्यावश्यक बात को ध्यान में रखते हुए भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उच्च अखिल भारतीय विकास बैंकों के सहयोग से यथेष्ट गैर वित्तीय प्रोत्साहनात्मक कार्य भी हाथ में लिये हैं । प्रोत्साहनात्मक उपायों का लक्ष्य ऐसी बाधाओं को दूर करना है जो पिछड़े क्षेत्रों को सामान्य विकास प्रक्रिया से पूरा लाभ उठाने में रुकावट डालते हैं । वे निम्नलिखित हैं :-

1. राज्य-जनपद सर्वेक्षण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रयत्नों में पहला कदम पिछड़े क्षेत्रों का उनकी औद्योगिक संभावनाओं का आकलन करना और विशेषकर उनके संसाधनों, माँगों तथा उनके आधारभूत सुविधाओं के प्रकाश में परियोजनाओं की पहचान करना था ।

2. अनुवर्ती (बाद की) परियोजना

सर्वेक्षण के फलस्वरूप उनके परियोजनाओं का विचार बना है । और बाद की कार्यवाही के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अनेक व्यावहारिकता अध्ययन दल गठित किये हैं ।

3. अन्त: संस्थान वर्ग

सतत आधार पर परियोजनाओं के पहचान एवं उनके कार्यान्वयन की समस्या के निदान के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगम और प्रमुख

बैंकों को मिलाकर अन्त: संस्थान वर्गों के रूप में एक प्रभावी आधार पद्धति का निर्माण किया गया है। वे विभिन्न संस्थाओं की प्रोत्साहन गतिविधियों के समन्वय का उपयोगी आधार प्रदान करते हैं।

4. तकनीकी तथा अन्य सहायता

परियोजनाओं की पहचान एवं रूपरेखा तैयार करने में उद्यमियों की सहायता हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निम्न प्रकार से सहायता प्रदान करता है :

1. अनुरोध करने पर विशेष उत्पादों, कार्यविधियों और अन्य संगत आंकड़ों की सूचना दी जाती है।
2. परामर्शदाताओं के चयन में मार्ग दर्शन किया जाता है।
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में तैयार की गयी परियोजना के पार्श्व-चित्र उपलब्ध कराये जाते हैं।
4. नये उद्यमियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता दी जाती है।

5. तकनीकी परामर्शदाता संगठन[18]

लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों और राज्य स्तर के निगमों के द्वारा आपेक्षित सेवाओं की उपलब्धता के अन्तर को भरने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सात तकनीकी परामर्शदाता संगठन स्थापित किये हैं वे नये उद्यमियों और प्रयोगिक संस्थाओं के केवल सामान्य औद्योगिक प्रबन्धक और तकनीकी परामर्शदाता के तौर पर ही ही कार्य नहीं करते बल्कि संसाधन/क्षेत्र अध्ययन और उद्यमियों के प्रशिक्षण जैसे प्रोत्साहन गतिविधियों में भी मार्गदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कतिपय कुछ पिछड़े जिलों में योजनाओं के केन्द्रीय अनुदान भी दिलाता रहा

18. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 103, कालम संख्या 4.

है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विकासात्मक भूमिका में फरवरी 1976 में इसके पुनर्गठन के बाद नया मोड़ आया है । पिछड़े इलाकों में परियोजनाओं के प्रोत्साहन और सम्बन्धित विकास गतिविधियों की देखभाल करने के लिए क्षेत्रीय एवं अविकसित क्षेत्र विकास, नामक एक पृथक नये विभाग का गठन किया गया है । पर्वतीय इलाकों के विकास की समस्याओं को देखने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है।

<u>लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता</u>

आय के अधिक समानतापूर्ण वितरण और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व, उद्यम के आकार को विस्तृत करने और सुविकेन्द्रित औद्योगिक विकास की प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र द्वारा किये जा सकने वाले महत्त्वपूर्ण योगदान को दृष्टि में रखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योगों को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता रहा है । लघु उद्योगों का क्षेत्र अपनी कम उत्पादन क्षमता (Gestation lag)और पूँजी की अपेक्षा के साथ कम पूँजीगत लागत पर अधिक रोजगार देने में समर्थ है विशेष करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर उद्योगों के उच्च पैमाने से होने वाली आर्थिक बचत नहीं है । मुख्य रूप से औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त पोषण की सहायता इसी योजना के माध्यम से दी जाती है और बिल पुनर्कटौती योजना के माध्यम से एक निश्चित सीमा तक ही होती है । अपने कार्यकाल के आरम्भ से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योगों के लिए रियायती सहायता की एक विशेष योजना का परिचालन कर रहा है ।[19] उदारीकृत पुनर्वित्त पोषण योजना के तहद् जो जानकारी 1971 में लागू है राज्य वित्त निगमों को दो लाख रूपये के पुनर्वित्त पोषण के विभिन्न प्रस्तावों के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि ऐसे अनेक प्रस्तावों को एक ही आवेदनपत्र के द्वारा भेजा जा सकता है । पिछड़े इलाकों में परियोजनाओं के प्रोत्साहन और सम्बन्धित विकास गतिविधियों की देखभाल करने के लिए

---

19. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1971-72, पृष्ठ संख्या 90, श्री यू0एस0 जवानी प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

क्षेत्रीय एवं अविकसित क्षेत्र विकास विभाग जनवरी 1975 से यही सुविधायें व्यापारिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों को भी देने लगा है और आवेदनपत्र को भी सरल बना दिया गया है । पुनर्वित्त सहायता का क्षेत्र बढ़ाकर उसे शेडों के निर्माण के अतिरिक्त भी भूमि के विकास और आधारभूत सुविधायें प्रदान करने पर होने वाले व्यय के सन्दर्भ में औद्योगिक परिसम्पत्तियों को प्रदत्त ऋणों पर लागू कर दिया गया है । पुनर्वित्त पोषण सहायता के द्वारा राज्य वित्त निगमों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उनके शेयरों और बांड निगमों में भी अंशदान करता है जो लघु उद्योग क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रबन्ध हैं । भारतीय औद्योगिक -------- साख के द्वारा राज्य वित्त निगमों को दिये जाने वाले उधार परिचालन के द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योग के विदेशी मुद्रा की अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

लघु उद्योग क्षेत्रों को विकास बैंक द्वारा अभी हाल के वर्षों में विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है जो भारतीय पूँजी बाजार को महत्वपूर्ण बल प्रदान करता है । लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए 1984-85 में 883.0 करोड़ रूपये की सहायता इस बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी थी और यह राशि निरन्तर बढ़ती हुई 1985-86 में बढ़कर 1132.7 करोड़ रूपये हो गयी और हाल में पिछड़े वर्ष यह स्वीकृत राशि बढ़कर 1261.1 करोड़ रूपये पर पहुँच गयी ।[20]

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो अभी तक बड़े उद्योगों को ही सहायता प्रदान कर रहा था । अब अन्य वित्तीय संस्थाके साथ गारंटी लेने के बजाय लघु एवं मध्यम श्रेणी की ऐसी इकाइयों की अंशपूँजी में सीधे अंशदान करने की सहमति दे रखी है जहाँ सार्वजनिक निर्गमों में की राशि 25 लाख रूपये

---

20. भारत में बैंकिंग विकास पर रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 18, सारणी संख्या 413, कालम संख्या 8.

से कम हो इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत लघु इकाइयों को सार्वजनिक निर्गमों में भारी व्यय करने से बचाना है ।

आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली सहायता

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरणं को प्रोत्साहित करने के लिए नवम्बर 1976 से एक सुलभ ऋण योजना (Soft loan Scheme) शुरू की है । सुलभ ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य इकाइयों को 5 क्षेत्रों (सीमेन्ट, चीनी, जेट, सूती वस्त्र और इन्जीनियरिंग) में मशीन एवं संयन्त्र के आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन तथा नवीनीकरण में पिछले आर्डरों के संचय को हल करने में सहायता प्रदान करना है । यद्यपि सुलभ ऋण योजना के परिचालन की व्यापक जिम्मेदारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की है । तथापि इसका परिचालन एफ0 सी0आई0, आई0सी0आई0सी0आई0, के सहयोग से उद्योगवार आधार पर किया जाता है । किन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रमुखता सूती वस्त्र एवं सीमेंट उद्योग में है । जो कमजोर इकाइयाँ सामान्य व्याज दर को वहन कर सकने में समर्थ नहीं हैं उन्हें पूरे ऋण की रियायती सहायता दी जाती है ।

तकनीकी उद्यमियों को सहायता

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की एक और प्रोत्साहन योजना तकनीकी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से है । सितम्बर 1976 से आरम्भ करके इसने दो व्याज पूँजी योजनाएं आरम्भ की हैं । इसका लक्ष्य ऐसे उद्यमियों को सहा-यता प्रदान करना है जिनके पास उपयोगी परियोजनायें हैं जो तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से कार्यक्षम हैं और जिनके पास उद्यम है परन्तु यथेष्ट वित्तीय संसाधनों का अभाव है । बीज पूँजी सहायता योजना का अभिप्राय प्रोत्सा-हकों के अंशदान की अनुपूर्ति करना है ।[21]

---

22. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1969-70, पृष्ठ संख्या 203, इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

पहली योजना के अन्तर्गत राज्य वित्त निगम अपनी अंशपूँजी से लघु उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं को बीज पूँजी सहायता प्रदान करते हैं जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राज्य सरकारों द्वारा अंशदान के रूप में दी जाती है । सभी प्रकार की नई लघु इकाइयों को सहायता दी जा सकती है बशर्ते वे साख गारंटी योजना से आवृत्त होती हों परियोजना पर उनकी प्राथमिकता के हिसाब से विचार किया जाता है और नये तकनीकी उद्यमियों, दस्तकारों के द्वारा निर्धारित पिछड़े हुए क्षेत्रों मूें स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है ।

दूसरी परियोजना का परिचालन राज्य औद्योगिक विकास निगमों के द्वारा किया जाता है । यद्यपि विशेष मामलों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सीधे बीज पूँजी सहायता दे सकता है । इस योजना के अन्तर्गत उन परियोजनाओं को सहायता दी जाती है जिनकी लागत एक करोड़ रूपये तक है । यह परियोजना उद्यमी की पहली परियोजना होनी चाहिए और उसे इस सम्बन्ध में अधिकारियों को आश्वस्त करना होगा कि उसके पास सामान्य प्रवर्तक अंशदान का व्यय उठाने के लिए पर्याप्त धन के शिवा परियोजना को आरम्भ करने और क्रियान्वित करने के लिए अन्य आवश्यक योग्यतायें हैं । इन दोनों योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक/प्राईवेट कम्पनियों या साझेदारी/स्वामित्व वाले उद्यमों के तौर पर संगठित सभी प्रकार की औद्योगिक प्रयोजनायें सहायता पा सकती हैं । यह सहायता साझेदारी/स्वामित्व वाले उद्यमों को अर्ध-इक्विटी ऋणों और प्राइवेट लि0 कम्पनियों को संचयी, निष्क्रिय सहभागी वरीयता अंश में अंशदान के रूप में दी जाती है । बीज ऋणों पर एक प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर पाँच वर्षों तक का आरम्भिक स्थगन मिलता है ।

अब तक 18 राज्य वित्त निगमों में से 14 ने 3.7 करोड़ रूपयों की विशेष पूँजी निर्मित की है । और बीज पूँजी सहायता योजना का आरम्भ किया है । योजना के आधीन सहायता देने के लिए प्राधिकृत 21 राज्य औद्योगिक विकास निगमों/

एस0आई0आई0सी0 में 17ने आवश्यक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है । 1976 के अन्त में योजना की गतिविधि प्रारम्भ हुई इसलिए इस योजना के तहद मंजूरियाँ काफी कम हैं ।[22]

<u>ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की परिचालन नीतियों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष इक्विटी का ऋणों में परिवर्तन है । शासन द्वारा जारी किये गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सभी सम्बन्धित ऋण अनुबन्धों में रूपान्तरणों के शर्त की परिकल्पना करता रहा है ।

इस प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता के साथ-साथ बैंक के प्रयत्नों से पटना, कोचीन तथा गोहाटी में तकनीकी सलाहकार सेवाकेन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें क्रमशः विहार, केरल तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में औद्योगिक विकास एवं विस्तार के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध हो सकती है । भारत के विभिन्न राज्यों में औद्योगिक विकास में रुचि रखने वाले अंतर्संस्थागत दलों द्वारा लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों के संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । इन कार्यक्रमों में लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस0आई0एस0आई0) तथा प्रबन्ध संस्थानों का सहयोग लिया जाता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, साहसियों तथा रा0 औ0 वि0 निगमों को विकास परियोजना तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में निरंतर सहायता कर रहा है ।

---

22. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1971-72, पृष्ठ संख्या 63, धीरु भाई देसाई द्वारा स्टेट्स पीपुल प्रेस बम्बई में मुद्रित ।

गत वर्षों में औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की समस्याओं, क्षेत्रों का विशेष अध्ययन आरम्भ किया है । इन अध्ययनों में अल्पव्यूह रचना पर विशेष ध्यान दिया गया है । इन समस्याओं के अध्ययन की नींव पर भारत के कोटिशः निर्धन जनगण के आर्थिक विकास का श्रेष्ठ भवन खड़ा किया जा सकेगा, ऐसी आशा है ।

---------::0::---------

द्वितीय अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना-उद्देश्य एवं प्रबन्ध

औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना-उद्देश्य एवं प्रबन्ध

स्थापना

औद्योगिक क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के पूर्व सरकार द्वारा किये गये सुविचारित एवं सउद्देश्य प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय संस्थाओं का एक विस्तृत तन्त्र अस्तित्व में आया था । इस संस्थागत तन्त्र ने अकस्मात औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त सफलता के साथ की थी तथापि इसका योगदान तीव्र अनेकमुखी विकास के परिमाण एवं क्षेत्रों और वित्त पोषण के ढंग की दृष्टि से इसका समग्र योगदान यथेष्ट नहीं था । इन वित्तीय संस्थाओं के वैधानिक दायित्व एवं परम्पराएं स्पष्टत: गंभीर बाधक थे । इसके अतिरिक्त वर्तमान ढाचे में कार्यरत संस्थानों की गतिविधियाँ एवं एकीकृत करने की प्रभावी रचनातन्त्र का अभाव था । इस प्रकार वी0वी0 भट्ट के शब्दों में "अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित करने और संस्थानों के परस्पर सहयोग का एक तन्त्र खड़ा करने वाला एक संयोजन तन्त्र जो वित्तीय संस्थानों के तर्कपूर्ण और संश्लिस्ट ढाँचे के विकास में सहायक हो सकता है, उभरते हुए औद्योगिक ढाँचे और उसके परस्पर सम्बन्धों की बढ़ती हुई जटिलता की परिवर्तनशील अपेक्षाओं के अनुरूप ढल गया पुन: एक विकेन्द्रित और बहुमुखी फिर भी व्यवहार्य औद्योगीकरण की प्रक्रिया के प्रोत्साहन कार्य में गतिशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय विकास संस्था आवश्यक थी और इस पृष्ठभूमि में जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी । देश के लिए औद्योगिक विकास बैंक के निर्माण का सुझाव सर्वप्रथम केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति द्वारा सन् 1931 में किया गया था, किन्तु उस पर इससे पूर्व अमल नहीं किया जा सका और लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल 1964 को पास किये गये औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के अन्तर्गत एक जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गयी । औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होते ही औद्योगिक वित्त निगम का स्वामित्व केन्द्रीय सरकार के हाथ से निकलकर बैंक के पास चला गया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का आरम्भ भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक संस्था के रूप में किया गया था । लोक वित्तीय संस्था, विधियाँ ‡संशोधन‡ अधि0 1975 की शर्तों के अनुसार 16 फरवरी 1975 से इसका सम्बन्ध भारतीय रिजर्व बैंक से तोड़ दिया गया है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार इसे उद्योगों का वित्तपोषण, प्रोत्साहन या विकास करने जैसे संस्थानों के विकास में सहायता प्रदान करने और साख तथा अन्य सुविधायें देने वाली संस्थाओं के कार्यों के समन्वय के लिए राष्ट्र की प्रमुख वित्तीय संस्था बना दिया गया है । रिजर्व बैंक से असम्बन्धित करने का मुख्य उद्देश्य एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक को केन्द्रीय बैंक गतिविधियों के समुचित निस्तारण पर ध्यान देने और इसकी ओर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक विकासात्मक एजेन्सी के रूप में विकसित होने के योग्य बनाना था । इस आधारभूत परिवर्तन से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ढाचे में अनेक परिवर्तन हुए हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्वामित्व एवं नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक में भारत सरकार के हाथ में आ गया है । उसका प्रबन्ध वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाली निर्देशकों की एक अलग परिषद् द्वारा किया जाता है । इस नयी भूमिका के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों का एक विस्तृत क्षेत्र इसके कार्यक्षेत्र में आ गया है । इसके अतिरिक्त अपने कार्यों के निस्तारण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को शासन द्वारा लिखित रूप में सुझाई जाने वाली नीतियों के मामले में निर्देशों के अनुकूल चलना होता है । और अब इसे एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है ।

उद्देश्य

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय पूँजी बाजार में विद्यमान रिक्तताओं को दूर करना था । इस प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सर्वोच्च वित्तीय संस्था के रूप में वृहद भमिका

निभाने और देश की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करने तथा उनके अनुरूप उद्योगों के वित्त पोषण, संवर्धन, एवं विकास में लगी हुई अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों को समन्वित करने की दिशा में कार्य करेगा । इसके साथ ही साथ राष्ट्र के औद्योगीकरण के स्तर को ऊँचा उठाना तथा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना में सक्रिय भाग लेना है तथा औद्योगिक वित्त की पूर्ति करना भी इस बैंक का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है क्योंकि वित्त की पूरी व्यवस्था के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं हो सकता । वास्तव में जिन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी है वे इस प्रकार हो सकते हैं -

1. एक शीर्ष संस्था के रूप में औद्योगिक वित्त से सम्बन्धित विभिन्न वित्त संस्थाओं की नीतियों एवं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा अच्छे तरीके से औद्योगिक वित्त का विकास करने में उन सब का नेतृत्व करना जिससे कि प्रत्येक संस्था अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य कर सकें ।

2. देश के औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से कुछ विशेष उद्योगों के विकास को तीव्र करना, जैसे-रासायनिक खाद, लौह मिश्रित धातुएं, विशेष इस्पात, पैट्रोरसायन इत्यादि । ये विभिन्न प्रकार के ऐसे उद्योग हैं जिसमें तुरन्त और पूर्ण लाभ की संभावनायें कम पायी जाती हैं और जिनका विकास किया जाना अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की दृष्टि से अति आवश्यक है ।

पुनर्संगठन के पश्चात् इसके संचालक मंडल की प्रथम बैठक में भाषण देते हुए, राजस्व एवं बैंकिंग मंत्री ने बताया था कि "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को तीन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए -

1. पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना । मुद्रा एवं वित्त की वार्षिक रिपोर्ट से इस बात का

पता चलता है कि राजस्व एवं बैंकिंग मंत्री के इस बताये गये प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति काफी सीमा तक हुई है । विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वार्षिक[1] 5.5 प्रतिशत की विशेष रियायती व्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है । बशर्ते कि प्राथमिक ऋण देने वाली संस्था वार्षिक 9 प्रतिशत से अधिक व्याज न ले । निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में छोटे एवं मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिए राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले 30 लाख रूपये तक के ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सम्पूर्ण पुनर्वित्त प्रदान करता है । बशर्ते कि ऋण प्राप्त करने वाले यूनिट की चुकता पूँजी और प्रारक्षित राशि एक करोड़ रूपये से अधिक न हो । तीस लाख रूपयों से अधिक राशि के ऋणों के सन्दर्भ में, सामान्य व्याज दर और पुनर्वित्त की अन्य शर्तों पर ऋणों की अतिरिक्त राशि के 80 प्रतिशत तक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है और इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन भी कम होता जाता है ।

2. लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि औद्योगिक स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण हो सके । मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1974-75 से यह पता चलता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस उद्देश्य का काफी अनुकरण किया है और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों द्वारा ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु एवं मध्यम आकार के यूनिटों और राज्य वित्तीय निगमों की तकनीकी सहायता योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले तकनीशनों को दिये जाने वाले मीयादी ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान

---

1. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1974-75, पृष्ठ संख्या 137श्रीराज मुद्रा मुद्राणालय प्रभादेवी बम्बई 400025 में मुद्रित

किया जा रहा है । लघु उद्योग यूनिटों के सन्दर्भ में पुनर्वित्त योग्य ऋणों की न्यून-तम राशि [मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1974-75 के अनुसार][2] 10,000 रूपये थी । राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योग यूनिटों को दिये जाने वाले 2 लाख रूपये तक के ऋणों के बारे में पुनर्वित्त मंजूर करने की क्रियाविधि को इस प्रकार सरल बनाया गया है कि इस उद्देश्य के आधीन पुनर्वित्त प्राय: स्वमेव उपलब्ध हो जाय । इसी उद्देश्य के अन्तर्गत कुछ राज्य वित्तीय निगमों ने ऐसे स्वनियोजित तकनीशन उद्यमियों द्वारा जो परियोजना की पूँजी लागत में अपना अंश लगाने में असमर्थ हैं । पूर्वावित्त लघु उद्योग क्षेत्र में 2 लाख रूपयों से कम लागत की परियोजनाओं के वित्त पोषण की योजनायें शुरू की हैं । इन ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से "गारंटी रक्षा" के संदर्भ में छूट दी जाती है । और इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा की जा रही है और फलस्वरूप औद्यो-गिक स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण हो रहा है ।

3. निर्यात का प्रोत्साहन - इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग्य बैंकों द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजीगत और अन्य इन्जीनियरिंग माल के निर्यातकों [जिसमें निर्माता, स्वीकृत निर्यात प्रतिष्ठान या अन्य प्रतिष्ठित निर्यातक शामिल हैं] को प्रदान किये गये मध्यावधि निर्यात ऋणों पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पुनर्वित्त प्रदान करता है ।

इस उपर्युक्त उद्देश्य से साथ ही राजस्व एवं बैंकिंग मंत्री ने बताया था कि "नवीन औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन के साथ-साथ चालू इकाइयों को स्वस्थ दिशा प्रदान करना भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का उद्देश्य होना चाहिए और इसे एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिससे कि इकाइयों में आने वाली कमजोरी और अस्वस्थता का आभास पहले से हो जाय और उसे दूर करने का प्रयास किया

---

2. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1974-75, पृष्ठ संख्या 136, श्री एम0जी0 गायतोड़ प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

जा सके । बीमार इकाइयों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर भी रहा है क्योंकि अन्य बैंकिंग संस्थायें भी इस बात को महसूस कर रही हैं । नेशनल बैंक के प्रबन्ध निदेशक जी०पी० भावे ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रशिक्षण कार्यशाला में कहा था कि "इस समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बीमार इकाइयों की समस्याओं से जूझ रहा है और यह समस्या हमारे सामने नहीं आनी चाहिए । अतः स्पष्ट हो जाता है कि अन्य व्यापारिक संस्थायें भी इस बात को महसूस कर रही है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस उद्देश्य की पूर्ति भी अपने पूरे प्रयास से कर रहा है ।[4]

जिन कार्यकलापों का उल्लेख परम्परागत कार्यकलापों के रूप में किया जा सकता है उनमें कुछ अंश तक परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने बाद के पाँच वर्षों के चरण में नवीन क्रियाओं और संवर्धन उद्देश्यों का श्रीगणेश किया है । यदि परम्परागत कार्यकलाप का उद्देश्य देश के औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि करना है तो संवर्धन कार्यकलापों का उद्देश्य उसका क्षेत्रों तथा छोटे, नये उद्यमकर्ताओं दोनों के बीच सामाजिक रूप से आपेक्षित वितरण करना है । इसका व्यापक उद्देश्य यह है कि अल्प विकसित क्षेत्रों में उद्योगों का प्रवर्तन करके क्षेत्रीय संतुलन लाया जाय ।[5]

पहला प्रधान उद्देश्य यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की खाइयों को पाटा जाय तथा इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास

---

4. नेशनल बैंक न्यूज रिव्यू, मई 1986, खण्ड-2, संख्या 3, पृष्ठ संख्या 7, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक आर्थिक विश्लेषण एवं प्रकाशन विभाग, गारमेंट हाउस, वर्ली बम्बई-400018.

5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74, पृष्ठ संख्या 60, प्रबन्ध प्रशासन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज पो०बा०न० 1241, बम्बई ।

की संभावना का मूल्यांकन किया जाय । 1970 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता में पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्णित क्षेत्रों के सर्वेक्षण कराने में पहल की थी । इस समय तक इन सभी पिछड़े क्षेत्रों के पर्यवेक्षण पूरे हो चुके हैं ।

औद्योगिक संवर्धन में राज्य स्तरीय एजेंसियों के प्रयास में समन्वय लाने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आंतर सांस्थानिक दलों का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं । इन आंतर सांस्थानिक दलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सम्प्रेषण के माध्यमों में सुधार लाया जाय और एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जाय जहाँ परियोजना से सम्बन्धित अनुवर्ती कार्यवाही तथा राज्य के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर रचनात्मक विचार विमर्श किया जा सके ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का जो प्रमुख उद्देश्य बीमार इकाइयों से जूझने का था वह बीमार एवं बन्द यूनिटों को पुनर्निर्माण और पुनः स्थापन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि0 की स्थापना कलकत्ता में की गयी थी ।[6]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कोचिन (केरल), गौहाटी और पटना (बिहार) में तकनीकी परामर्श सेवा संगठनों की भी स्थापना की है ।[7] इन संगठनों के बहुमुखी उद्देश्य हैं - जैसे परियोजना सूझ बूझों का पता लगाना, विशिष्ट उद्योगों के समबन्ध में परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, संभाव्यता रिपोर्टें

---

6. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74, पृष्ठ संख्या 60, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज पो0वा0न0 1241 बम्बई ।

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74, पृष्ठ संख्या 60, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज पो0वा0न0 1241 बम्बई 400039.

तथा निवेश से पूर्व के अध्ययन तैयार करना । तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संभावित उद्यमकर्ताओं का पता लगाना, उद्यमों के सर्वधन और उनकी प्रबन्ध व्यवस्था के लिए उद्यमकर्ताओं को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, इसके अतिरिक्त विशिष्ट उत्पादनों के लिए विपणन का अनुसंधान और सर्वेक्षण हाथ में लेना और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों की ओर से परियोजनाओं के प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक मूल्यांकन कराने का काम हाथ में लेना इत्यादि अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों को निर्धारित करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने तकनीकी परामर्श एवं सेवा संगठन की स्थापना की है । इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न माध्यमों से करता है ।

प्रबन्ध

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्वामित्व पूर्णरूपेण रिजर्व बैंक में निहित था । फरवरी 1976 तक यह भारतीय रिजर्व बैंक के एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता रहा । साथ ही साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों का प्रबन्ध एवं संचालन भी भारतीय रिवर्ज बैंक के द्वारा ही किया जाता रहा क्योंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का संचालन मंडल रिजर्व बैंक का संचालक मंडल ही होता था । यहाँ तक कि रिजर्व बैंक के गवर्नर एवं डिप्टी गवर्नर, क्रमशः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हुआ करते थे किन्तु यह स्थिति केवल फरवरी 1976 तक रहीं और फरवरी 1976 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक रिजर्व बैंक से अलग होने के बाद अब इसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण एक पृथक संचालक मंडल द्वारा होता है । इस संचालक मंडल में अध्यक्ष को लेकर 4 सदस्य होते हैं । संचालक मंडल का अध्यक्ष विकास बैंक का प्रबन्ध संचालक भी होता है । दो महीने में एक बार संचालक मंडल की बैठक होती है । बैंक के कार्यों के प्रबन्ध के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया है जो संचालक मंडल के सभी अधिकारियों का प्रयोग करती है । कार्यकारी समिति के 7 सदस्य होते हैं जो संचालक मंडल के सदस्यों

में से चुने जाते हैं । समिति की बैठक महीने में एक बार बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता संचालक मंडल का अध्यक्ष करता है । परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिक परामर्शदाताओं की नामावली तैयार की है जिसके अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है । विभिन्न परियोजनाओं के लिए पृथक-पृथक तदर्थ समितियाँ गठित की गयी हैं । उक्त नामावली में शामिल किये गये विशेषज्ञों में से ही तदर्थ समितियों के सदस्य चुने जाते हैं । इस समिति का मुख्य कार्य अधिकारियो द्वारा तैयार की गयी परियोजना-मूल्यांकन रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करना तथा आवश्यक सुझाव देना है । वस्तुतः यह विशेषज्ञों की समिति होती है जो परियोजनाओं की उपयोगिताओं के मूल्यांकन का कार्य करते हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय बम्बई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में है । इसके अतिरिक्त अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंदीगढ़, कोचीन, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर तथा पटना इत्यादि स्थानों पर इसके शाखा कार्यालय हैं । इनकी देखरेख प्रबन्धकों द्वारा की जाती है । प्रधान कार्यालय की व्यवस्था महाप्रबन्धक द्वारा की जाती है जिसकी सहायता के लिए संयुक्त महाप्रबन्धक तथा उपमहाप्रबन्धक हैं । विकास बैंक का कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के लिए तीन क्षेत्रीय समितियाँ बनायी गयी थीं । यह समितियाँ क्षेत्रीय समस्याओं के विषय में केन्द्रीय निदेशक मंडल को सलाह देती हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संगठन को अब तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है :-

1. गृह वित्त विभाग ;
2. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग तथा
3. लघु एवं ग्रामीण उद्योग विभाग ।

गृह वित्त विभाग देश के अन्तर्गत विनियोग परियोजनाओं की सहायता से सम्बन्धित सभी समस्याओं की देखभाल करता है । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग आयात-निर्यात बैंक के रूप में कार्य करता है । इस विभाग के दो अंग हैं : निर्यात ऋण विभाग तथा आयात ऋण विभाग ।

मार्च 1978 में लघु एवं ग्रामीण उद्योग विभाग का गठन किया गया । यह विभाग देश के लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने तथा इन उद्योगों का निर्माण करने वाली विद्यमान संस्थाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की समय-समय पर बैठकें हुआ करती हैं और इनके निदेशक, प्रबन्धक, अधिकारी तथा सदस्य भी बदलते रहते हैं । जैसे वर्ष 1977-78[8] के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें हुई । 4 बैठकें बम्बई और शेष नई दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलूर में हुई ।

सर्वश्री टी0आर0 तुली, एम0 सेन शर्मा, आर0वी0 प्रधान, आर0के0 भार्गव और एम0सी0 बरूआ द्वारा क्रमशः अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, और प्रबन्ध निदेशक, असम वित्तीय निगम के अपने पदभार से मुक्त हो जाने के कारण निदेशक नहीं रहे, उपरोक्त कार्यालयों में उनके उत्तराधिकारी क्रमशः सर्वश्री ओ0पी0 गुप्ता, एस0 नियोगी, एस0 रंगराजन, पी0पी0 खन्ना और डी0पी0 हजारिका को उनके स्थानों पर निदेशक के पद पर नामित किया गया, श्री ए0 नियोगी के स्थान पर जो इसके पहले भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध

---

8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 102, डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लिमिटेड, बम्बई 400025.

निदेशक के पद से सेवा निवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक पद से भी मुक्त हो गये थे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री आर०पी० रामन को नामित किया गया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम[9], 1964 के अनुच्छेद 7 ग के अनुसार केन्द्र सरकार ने श्री एस०एम० बागले, डा० एफ० ए० मेहता, रियर एडमिरल एच०डी० कपाडिया, सर्वश्री हितेन माया और वी०के० दत्त को निदेशक के पदों पर नामित किया । इसके बाद भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम के नये अध्यक्ष श्री जेम्स एस० राज को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में परामर्श के लिए तकनीकी, वित्तीय और प्रशासकीय विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करता रहा । इसके लिए समय-समय पर परामर्शदाताओं की तदर्थ समितियाँ गठित की गयीं । इस वर्ष 1977-78 में वित्तीय सहायता सम्बन्धी 11 प्रस्ताओं की समग्र व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए बम्बई में परामर्शदाताओं की कुल 14 बैठकें हुई । निदेशक बोर्ड परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के प्रति उनके द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रदान की गयी अमूल्य सहायता के लिए आभारी हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक विकास के वित्त पोषण प्रवर्धन में संलग्न बैंकों सहित विभिन्न संस्थाओं के कार्यकलापों को समन्वित करने वाली प्रमुख

---

9. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 102, डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लिमिटेड, बम्बई 400025.

वित्तीय संस्था की अपनी भूमिका को अदा करता रहा । वर्ष 1977-78 के दौरान मीयादी ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय ऋण व गारंटी निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 13 अन्तर संस्थागत और 23 वरिष्ठ कार्यपालक बैठकें आयोजित की गयीं । इन बैंठकों में सहभागिता के मामले में होने वाले विचार विमर्शों में वाणिज्य बैंकों को भी शामिल किया गया ।[10] भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य संस्थाओं के नीति निर्धारण कार्य से भी अपने अधिकारियों और उनके निदेशक मंडलों में रहने वाले अपने नामित निदेशकों के माध्यम से जुड़ा हुआ था ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अक्टूबर 1976 में गठित हुए एशिया और प्रशांत देशों की विकास वित्तीय संस्थाओं के संघ (ए0डी0एफ0आई0ए0पी0) का स्थापना सदस्य है । इस संघ का उद्देश्य सदस्य संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना और समान हितों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष ने जनवरी और अप्रैल 1978 में क्रमशः मनीला और वेन्काक में हुई ए0डी0एफ0आई0ए0 पी0 की बैठकों में भाग लिया । फरवरी 1978 में वेन्काक में ई0एस0सी0ए0पी0के तत्वावधान में हुई क्षेत्रीय सहयोग समिति की बैठक में भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रतिनिधित्व किया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी सुविधा है और इस बैंक ने देश की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने कर्मचारियों को (प्रशिक्षण प्रदान करता रहा । कई अधिकारियों को विकास वित्त और संबन्धित विषयों पर बैंकर प्रशिक्षण महा-

---

10. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृ0 संख्या 103, डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लि0 बम्बई 400025.

विद्यालय बंबई, प्रबन्ध विकास संस्थान नई दिल्ली, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महा-विद्यालय हैदराबाद, वित्तीय प्रबन्ध एवं शोध संस्थान मद्रास, भारतीय प्रबन्ध संस्थान कलकत्ता और बेंगलूर लघु उद्योग संवर्धन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद औद्योगिक इंजीनियरिंग राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान बम्बई और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद तमिलनाडु जैसे प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया । बहुत से अधिकारियों ने अन्य कई संगठनों, संस्थाओं द्वारा आयोजित विचारगोष्ठियों में भी भाग लिया ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राजेक्शनल एनालिसिस इंस्टीट्यूट फार ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट, पूना में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारियों के लिए प्राजेक्शनल एनालिसिस पर पाँच अन्तर कम्पनी कार्यक्रम आयोजित किये । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने परियोजना मूल्यांकन में प्रबन्ध विकास पर दो अन्तर कम्पनी विचार गोष्ठियां आयोजित कीं । एक वरिष्ठ और एक प्रबन्धन विशेषज्ञ द्वारा ये विचार गोष्ठियां संचालित की गयीं ।[11] बैंक स्टाफ की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपमहाप्रबन्धक (प्रशासन) के आधीन एक प्रशिक्षण अनुभाग गठित किया गया है । इस अनुभाग के लिए पूर्णकालिक आधार पर एक प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है । नये भर्ती हुए क्लर्कों के लिए जून 1978 में प्रशिक्षण अनुभाग ने दो प्रवेश पाठ्यक्रम आयोजित किये । इसी तरह के पाठ्यक्रम अब प्रधान कार्यालय के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी नियमित आधार पर संचालित किये जा रहे हैं ।

पहले के समान ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में विकास बैंकों और दूसरी विदेशी संस्थाओं/बैंकों जैसे कि नेपाल औद्योगिक विकास निगम, बैंक आफ यूगांडा, लघु उद्योग संगठन (तंजानिया) निवेश बैंक, बैंक आफ सीरिया लिआन के

---

11. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 103, डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लि0 बम्बई 400025.

अधिकारियों को भी प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गयीं । देश के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों तथा विड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी एण्ड साइंस, तथा पिलानी एवं नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, बम्बई के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की गयीं । इसके अतिरिक्त भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद के द्वारा छोटे यूनिटों की प्रबन्ध/उद्यम सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन पूरा हो चुका है । इसके अलावा संभाव्य उधमियों द्वारा अपेक्षित मूलभूत व्यापक जानकी अर्थात् परियोजना लागत कल्पनाओं की सर्वांगीण सूची, विभिन्न शोध-प्रयोगशालाओं द्वारा बनायी गयी नई प्रक्रियाओं और परियोजनाओं का विवरण प्रदान करने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की जा चुकी है ।[12]

प्रधान कार्यालय में 14 और 15 अप्रैल 1978 को क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ । चर्चा मुख्य रूप से इस बात पर हुई कि लघु ग्रामीण और कुटीर उद्योग के संवर्धन के लिए प्रभावी वित्तीय सहायता देने और इन क्षेत्रों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं के पूरे कार्य में एक समन्वय, मार्गदर्शन देने तथा इस कार्य की देखरेख की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो भूमिका है शाखा कार्यालय उसे कैसे जीवन्त रूप अदा कर सकते हैं । क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता मंजूर करने और वितरित करने के सम्बन्ध में सीमाओं के भीतर अधिकार दिये जा चुके हैं ।

चन्दीगढ़ शाखा कार्यालय को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बैंक एक्वायर में एक अधिक बड़े स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए

---

12. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1974-75, पृष्ठ संख्या 76, अशोसियेटेड अंडवटाईजर्स एण्ड प्रिन्टर्स, ताडदेव, बम्बई 400034.

बम्बई आवास और क्षेत्र विकास मंडल से क्रमशः पंतनगर, घाट कोपर और सिद्धार्थ-नगर, गौरेगाँव में काफी बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदे । इसी प्रकार मद्रास में भी अधिकारियों और कर्मचारी स्टाफ के लिए तमिलनाडु आवास मंडल से फ्लैट खरीदे गये । कलकत्ता में वहाँ के कर्मचारियों के लिए पश्चिम बंगाल आवास मंडल से फ्लैट खरीदने के बारे में समझौता हो चुका था और मंडल द्वारा शीघ्र ही सनी पार्क और कालिन्दी स्टेट में फ्लैट प्रदान किये जाने की आशा है ।

उपर्युक्त प्रबन्ध व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने समन्वय कार्य के क्षेत्र के अन्तर्गत निर्यात वित्त को भी शामिल कर लिया गया है । उसने (1) परामर्श दल तथा (2) तदर्थ कार्यकारी दल नामक दो दल गठित किये जा चुके हैं । एक ओर जहाँ परामर्श दल निर्यात वित्त से सम्बन्धित व्यापक समस्याओं और नीतियों से सम्बन्धित है वहाँ दूसरी ओर तदर्थ कार्यकारी दल विशिष्ट निर्यात प्रस्तावों पर विचार करता है । ताकि काम की अनावश्यक पुन-रावृत्ति और विलम्ब से बचने के लिए शीघ्र एवं समन्वित निर्णय लेने में सुविधा हो सके ।

उद्योगों का वित्त पोषण करने से सम्बन्धित कार्यकलापों की वृद्धि और बढ़ती हुई जटिलताओं को देखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी संगठन व्यवस्था को सरल और उपयोगी बना लिया है । उसने दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न राज्यों में 12 शाखा कार्यालय खोले हैं । शाखा कार्यालयों से यह आशा की जाती है कि वे विभिन्न राज्यों के औद्योगिक, वित्तीय और विकास एजेन्सियों से निकटवर्ती संपर्क बनाये रखें और भा0औ0वि0 बैंक के संवर्धन कार्यकलापों के लिए संपर्क स्थलों के रूप में कार्य करें ।[13] क्षेत्रीय कार्यालयों को कति-पय निर्धारित सीमाओं तक प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार की सहायता प्रदान

---

13. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1073-74, पृष्ठ संख्या 59, न्यू इण्डिया सेंटर 17 कूपरेज, पो0बा0न0 7241 बम्बई 400039.

करने के अधिकार सौंप दिये गये हैं । इस परिपेक्ष में यह उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त निगम द्वारा दिये गये दो लाख रूपये तक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने की क्रियाविधि को सरल बना दिया गया है - इस उदारीकरण से क्षेत्रीय कार्यालय अधिकतर स्वचालित आधार पर इस प्रकार का पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं ।

इस प्रकार अन्त में यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन सभी उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिससे कि भारतीय पूँजी बाजार की जो रिक्तताएं हैं पूरी हो सकती हैं । साथ ही इसकी प्रबन्ध व्यवस्था भी इस प्रकार की हैं कि यदि इसी प्रकार इसकी प्रबन्धकीय व्यवस्था रही तो यह विश्व की एक शीर्ष वित्तीय संस्था हो जायेगी ।

-------::0::-------

तृतीय अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 16 फरवरी 1976 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में उसकी एक सहायक कम्पनी थी किन्तु 16 फरवरी 1976 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम में संशोधन करके इस बैंक को रिजर्व बैंक के संगठन से पृथक कर दिया गया । तब से यह एक स्वतन्त्र संगठन बन गया है । साथ ही अब इसका कार्य एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान के रूप में है तथा अन्य सभी वित्तीय संस्थाएं इसके आधीन कार्य करती हैं । इन संस्थाओं में वे सभी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं जो उद्योगों के प्रवर्तन, वित्त पोषण एवं विकास में संलग्न हैं जैसे आई० एफ०सी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, आई०आर०सी०आई०, एल०आई०सी०, यू० टी०आई० आदि । साथ ही स्टेट बैंक (अपने सात बैंकों सहित), चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक, अन्य अनुसूचित बैंक तथा राज्यों के सहकारी बैंकों के औद्योगिक वित्तपोषण के कार्यों को इसके समन्वय की परिधि में लाये जाने का निश्चय किया गया जिससे कि यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक देश की सार्वजनिक विशिष्ट संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करेगा । इसी दृष्टि से इसके संगठन और संरचना में भी परिवर्तन किया तथा इसके उद्देश्यों में कई नये उद्देश्य जोड़ दिये गये साथ ही इसे परियोजनाओं के निर्माण तथा मूल्यांकन आदि के समबन्ध में विशेषज्ञों का विकास करना है ।

16 फरवरी 1976 से पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक रिजर्व बैंक का एक ऐसा संगठन था जिसका सम्पूर्ण स्वामित्व रिजर्व बैंक में निहित था तथा शुरुआत से ही रिजर्व बैंक का संचालक मंडल ही इसके संचालक मंडल के रूप में कार्य करता था । संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक विकास बैंक की समस्त अंश पूँजी जो अब तक रिजर्व बैंक के नाम थी, अब केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर दी गयी है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन के बाद इसके संचालक मंडल का पृथक रूप से गठन किये जाने की व्यवस्था की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं - एक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध संचालक, (केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर (बैंक द्वारा मनोनीत), केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

22 संचालक ﴾अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए﴿ तक हो सकते हैं । अध्यक्ष का नामांकन केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा उपाध्यक्ष का नामांकन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जायेगा। शेष संचालक सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे जिसमें केन्द्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर औद्योगिक वित्तपोषण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है ।

संचालकों को निम्नलिखित प्रकार से मनोनीत किया जायेगा । दो संचालक जो केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से होंगे, पाँच संचालक जो स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, तथा राज्य वित्त निगम से होंगे, कम से कम पाँच संचालक, जो, विज्ञान, टेक्नॉलाजी, कानून, अर्थशास्त्र, उद्योग, विनियोग तथा लेखा शास्त्र के ज्ञाता और विशेषज्ञों में से होंगे । इसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है । इसके अनुसार एक अधिकारियों का और एक कर्मचारियों का प्रतिनिधि होगा ।

राज्य के वित्तीय निगमों एवं भारत के यूनिट ट्रस्ट की अंशपूँजी में अब तक रिजर्व बैंक का जो हिस्सा था वह अब पुनर्गठन के बाद ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया, जिससे कि विकास बैंक एक शीर्ष संस्था के रूप में अपनी व्यापक भूमिका का भली प्रकार से निर्वाह कर सके । उन सभी संस्थाओं के संचालक मंडलों में जिनके कार्यों का समन्वय औद्योगिक विकास बैंक करेगा, विकास बैंक के प्रतिनिधियों को स्थान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार फरवरी 1976 में किये गये पुनर्गठन के बाद बम्बई इसका प्रधान तथा कलकत्ता, मद्रास, तथा नई दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं । इसके अतिरिक्त अहमदाबाद, बंगलौर, जयपुर, जम्बू, कानपुर तथा पटना में शाखा कार्यालय हैं जिनकी देखरेख प्रबन्धकों द्वारा होती है ।

पुनर्गठन के बाद औद्योगिक विकास बैंक के संगठन को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है – गृह वित्त विभाग अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग तथा लघु एवं

ग्रामीण उद्योग विभाग । गृह वित्त विभाग देश के अन्तर्गत विनियोग परियोजनाओं की सहायता से सम्बन्धित सभी मामलों की देखभाल करता है । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग आयात निर्यात बैंक के रूप में कार्य करता है । इस विभाग के दो मुख्य अंग हैं : निर्यात ऋण विभाग एवं आयात ऋण विभाग ।

पुनर्गठन के बाद मार्च 1978 में लघु एवं ग्रामीण उद्योग विभाग का गठन किया गया । यह विभाग देश के लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को अधिकाधिक सहायता प्रदान करने तथा इन उद्योगों का निर्माण करने वाली विद्यमान संस्थाओं की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करेगा । और इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विकासात्मक भूमिका में फरवरी 1976 के बाद इसके पुनर्गठन से नया मोड़ आया है । लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों और राज्य स्तर के निगमों के द्वारा आपेक्षित सेवाओं की उपलब्धता के अन्तर को भरने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पुनर्गठन के बाद सात तकनीकी परामर्शदाता संगठन स्थापित किये हैं । वे नये उद्यमियों और प्रायोजक संस्थाओं के केवल सामान्य औद्योगिक प्रबन्धक और तकनीकी परामर्शदाता के तौर पर ही कार्य नहीं करते बल्कि संसाधन, क्षेत्र अध्ययन और उद्यमियों के प्रशिक्षण जैसी प्रोत्साहन गतिविधियों में भी मार्ग दर्शन करते हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का सम्बन्ध रिजर्व बैंक से तोड़ने का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार इस उद्योगों का वित्त पोषण करने, प्रोत्साहन या विकास करने तथा ऐसी संस्थाओं के विकास में सहायता प्रदान करने और साख तथा अन्य सुविधाएं देने वाली संस्थाओं के कार्यों में समन्वय के लिए राष्ट्र की प्रमुख संस्था बनाना था तथा साथ ही रिजर्व बैंक से असम्बन्धित करने का प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि भारतीय रिजर्व बैंक को केन्द्रीय बैंक गतिविधियों के समुचित निस्तारण पर ध्यान देने और दूसरी ओर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक विकासात्मक एजेन्सी के रूप में विकसित होने के योग्य बनाना था ।

उपर्युक्त आधारभूत परिवर्तन से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं अन्य

वित्तीय संस्थाओं के ढाचे में अनेक परिवर्तन हुए है । एक तो यह कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्वामित्व एवं नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक से भारत सरकार के हाथ में आ गया है । उसका प्रबन्ध वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाली निर्देशिकों की एक अलग परिषद् के द्वारा किया जाता है ।

इस नई भूमिका के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों का एक विस्तृत क्षेत्र इसके कार्यक्षेत्र में आ गया है । इसके अतिरिक्त अपने कार्यों के निस्तारण में औद्योगिक विकास बैंक को शासन द्वारा लिखित रूप में सुझाई जाने वाली नीतियों के मामले में निर्देशों के अनुकूल चलना होता है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से उसका सम्बन्ध विच्छेदन होने के फलस्वरूप संस्थानों के परस्पर सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । उदाहरण के लिए राज्य वित्त निगमों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखी गयी अंशपूँजी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अन्तरित कर दी गयी है और उसी के साथ उसके परिवेक्षण का दायित्व भी । उदाहरण के लिए प्रबन्ध निर्देशकों के नियुक्ति के विषय में राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान पर भारतीय औद्योगिक बैंक से परामर्श करना और उनकी राय लेना होगा । इसके अलावा राज्य वित्त निगम को भारतीय रिजर्व बैंक या जनता से मियादी जमा के रूप में ऋण लेने के पूर्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को भारतीय रिजर्व बैंक का आरम्भिक पूँजी अंशदान सम्बन्ध विच्छेदन किये जाने की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अन्तरित कर दिया गया है । यू0टी0आई0 के चेयरमैन की नियुक्ति अब सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से की जायेगी ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को असम्बन्धित करने के पूर्व यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती थी । पुनः अब तक एक अधिशाषी ट्रस्टी की नियुक्ति और चार अन्य ट्रस्टियों का मनोनयन जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था । अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा किया जाता है । जहाँ तक भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रश्न है निदेशक परिषद् एवं पूँजी निवेश समिति के सदस्यों की संख्या एक-एक बढ़ा दी गयी है जिससे कि दोनों निकायों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रतिनिधित्व दिया जा सके ।

अपने पुनर्गठन के बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आरम्भ किये गये उपायों में तकनीकी विकास सहायता का उपयोग किया गया । इसका उपयोग तकनीकी उन्नति और निर्यात विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया । तकनीकी विकास निधि कम मूल्य के संतुलन उपकरणों, तकनीकी जानकारी, विदेशी परामर्श सेवा और ड्राइंग तथा डिजाइनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करती है ।[1]

पुनर्गठन के पहले ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पूर्वोत्तरी क्षेत्र में स्थित राज्यों, संघशासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से गोहाटी में पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड नामक एक क्षेत्रीय संगठन का गठन करने में पहल की 2 केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन की तरह पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन भी तकनीकी परा-मर्श केन्द्रों के रूप में कार्य करेगा और उसके कार्य निम्न प्रकार होंगे - सर्वेक्षण करना, परियोजना सम्बन्धी पुस्तिकाएं और संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करना, संभाव्य उद्यम-कर्ताओं का पता लगाना, तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, विपणन सम्बन्धी अनुसंधान परियोजना का पर्यवेक्षण करना आदि ।

---

1. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1972-73, पृ0 78, अशोसिएटेड एण्ड प्रिन्टर्स ताडदेव, बम्बई 400034.

यह उल्लेखनीय बात है कि केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन ने कोचिन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध प्रशिक्षण केन्द्र के साथ मिलकर औद्योगिक परियोजनायें तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए 5 महीने की अवधि के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम का प्रवर्तन किया गया था । इस पाठ्यक्रम में 27 उम्मीदवारों ने भाग लिया था ।[2]

भारत सरकार के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य को कार्यान्वित करने के लिए लघु एवं ग्रामीण उद्योग पक्ष के एक हिस्से के रूप में लघु एवं ग्रामीण उद्योग नामक एक नया विभाग खोला गया था । लघु एवं ग्रामीण उद्योग पक्ष एक नया पक्ष था जिसके अन्तर्गत औद्योगिक ऋण पुनर्वित्त विभाग, राज्य वित्तीय निगम, और अन्य राज्य स्तरीय एजेन्सी विभाग तथा क्षेत्रीय और पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग आते हैं ।

एक महाप्रबन्धक की सेवाओं से युक्त यह पक्ष एक समुचित नीति निर्धारण तथा ग्रामीण और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिन क्षेत्रों में तुरन्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी उन क्षेत्रों को पहचानने के उद्देश्य से गठित किया गया ।

बैंक स्टाफ की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपमहा प्रबन्धक (प्रशासन) के आधीन एक प्रशिक्षण अनुभाग गठित किया गया है । इस अनुभाग के लिए पूर्णकालिक आधार पर एक प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है । पुनर्गठन के बाद नये भर्ती हुए क्लर्कों के लिए जून 1978 में प्रशिक्षण अनुभाग ने 2 प्रवेश पाठ्यक्रम आयोजित किये । इसी तरह के पाठ्यक्रम अब प्रधान कार्यालय के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी नियमित आधार पर संचालित किये जा रहे हैं ।

---

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 103.

डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लि0 बम्बई 400025 द्वारा मुद्रित ।

पहले के समान ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में विकास बैंकों और दूसरी विदेशी संस्थाओं/बैंकों जैसे कि नेपाल औद्योगिक विकास निगम, बैंक आफ यूगांडा, लघु उद्योग संगठन ‡तंजानिया‡ निवेश बैंक, बैंक आफ सीरिया, लियान और द्युत्स्ये बैंक ‡पश्चिम जर्मनी‡ के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की गयीं।[3] देश के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों तथा बिड़ला इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड साइंस, पिलानी और नेशनल इन्स्टीट्यूट फार ट्रेनिंग इन इन्डस्ट्रीयल इन्जीनियरिंग, बम्बई के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन के पहले से ही औद्योगिक संवर्धन में राज्य स्तरीय एजेंसियों के प्रयास में समन्वय लाने के दृष्टिकोण से विभिन्न राज्यों में आंतर सांस्थानिक दल का गठन किया गया था । इस दल में इससे सम्बन्धित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे । इन दलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सम्प्रेषण के माध्यमों में सुधार लाया जाना तथा एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जाना था जहाँ परियोजना से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में रचनात्मक विचार किया जा सके ।[4]

अपने पुनर्गठन से पहले ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बीमार एवं बन्द यूनिटों को पुनर्निर्माण और पुन: स्थापना के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की थी । साथ ही विकास बैंक ने केरल, गोहाटी, और पटना में तकनीकी परामर्श सेवा संगठनों की स्थापना की थी ।

---

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 104. डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लि० बम्बई 400025 द्वारा मुद्रित ।

4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74, पृष्ठ संख्या 60, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो०बा०न० 1241, बम्बई 400039.

अपने पुनर्गठन के बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं उस प्रकार के कदम पहले भी उठाये जा चुके थे जो सम्भव नहीं थे । जैसे कि परियोजनाचक्र के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित कार्यों को सरल करने एवं लगातार परियोजनागत कल्पनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से 12 राज्यों में संस्थागत दल गठित किये गये थे । साथ ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मीयादी ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं के सहयोग से असम, अरूणाचल प्रदेश, विहार, त्रिपुरा, उड़ीसा और मेघालय के लिए अध्ययन दलों द्वारा 17 विभिन्न परियोजनाओं की व्यवहार्यता के सम्बन्ध में अध्ययन आरम्भ किये गये थे ।[5]

पुनर्गठन के पहले ही आलोच्य अवधि में हुई एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 में संशोधन किया गया, जिससे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मशीनों, जलयानों, मोटर वोटों, ट्रलरों और ट्रैक्टरों के अनुरक्षण और मरम्मत, जाँच या सर्विस में संलग्न प्रतिष्ठानों तथा मछली पकड़ने या मछली पकड़ने के लिए किनारे पर सुविधाएं उपलब्ध कराने या उनके अनुरक्षण में संलग्न प्रतिष्ठानों की सहायता कर सकें । औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए पुनर्वित्त प्रदान कर सकें, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने वाले किसी व्यक्ति को या पूँजीगत वस्तुओं का भारत से निर्यात करने के सम्बन्ध में भारत के बाहर स्थित किसी औद्योगिक संस्थापना द्वारा भारत के बाहर तैयार हालत में परियोजनाओं को निष्पादित किये जाने के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान कर सके ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने पुनर्गठन से पूर्व ही अपने कार्य अध्ययन दल द्वारा आरम्भ किये थे । औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षणों में से असम, अरूणाचल

---

5. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1974-75, पृष्ठ संख्या 76, अ0अ0 अंड प्रिन्टर्स ताडदेव बम्बई 400034.

प्रदेश, बिहार, जम्बू और काश्मीर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा से सम्बन्धित 12 रिपोर्टें प्रकाशित की गयीं थी । आन्ध्र प्रदेश, गोवा दमन और दीप, लक्षदीव और अमीनदीव तथा पान्डेचेरी के सर्वेक्षण तैयार किये जा चुके हैं । इन सर्वेक्षणों मे जो परियोजना संकल्पनायें उभरी थीं उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य संस्थाओं और सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया । मीयादी ऋण प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं की सहायता से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और मेघालय से सम्बन्धित अध्ययन दलों द्वारा पता लगायी गयी । इस परियोजनागत संकल्पनाओं के औचित्य सम्बन्धी अध्ययनों के लिए व्यवस्थाएं कर चुका था ।

अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय विभिन्न संस्थाओं के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक समन्वयकर्ता की भूमिका अदा करता रहा और उसने औद्योगिक परियोजनाओं से सम्बन्धित मामलों पर किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँचने के निमित्त 12 राज्यों में अन्तर सांस्थानिक दल गठित किये गये थे । इसके अतिरिक्त मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं और भारत सरकार के बीच सम्पर्क के माध्यमों को 1972 में ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन कर मजबूत कर दिया गया था । उक्त समिति के सरकारी वित्तीय संस्थाओं के प्रधान और भारत सरकार के वित्त, उद्योग, के कम्पनी कार्य मंत्रालयों और योजना आयोग के सचिव बने थे और वह समिति औद्योगिक विकास और वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीति विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करती थी ।

अपने पुनर्गठन के बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1964 की धारा 26 के अन्तर्गत लगभग 35 प्रतिशत स्टाफ ने रिजर्व बैंक में सेवा करने का विकल्प चुना और समीक्षाधीन वर्ष की समाप्ति तक उनमें से अधिकांश कर्मचारी रिजर्व बैंक में लौट गये । रिजर्व बैंक को कर्मचारियों का पूरा प्रत्यावर्तन 1978 के मध्य तक पूरा हुआ ।

प्रत्यावर्तन के साथ विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की भर्ती भी हुई । वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लिपिक, गैर लिपिक संवर्ग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध भर्ती का कार्य पूरा कर लिया था ।

चण्डीगढ़ शाखा कार्यालय को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बैंक स्क्वायर में एक अधिक बड़े स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था ।

राजकीय उद्देश्यों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय में एक हिन्दी अनुभाग स्थापित किया जा चुका था एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गयी थी । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुस्तिकाओं और फार्मों को द्विभाषिक रूप से अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में छापने के लिए कदम उठाये जा चुके थे । और बैंक के विज्ञापनों, प्रेस विज्ञप्तियों, निविदा सूचनाओं, वार्षिक प्रतिवेदनों और डायरियों आदि को छापने में अब दोनों भाषाओं का प्रयोग हो रहा है । स्टाफ को सेवा कालीन हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तथा कार्यालय के दैनिक पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को काफी बढ़ाया जा चुका है ।

अखिल भारतीय संस्थाएँ

समन्वय के क्षेत्रों का दिन प्रतिदिन विस्तार हो रहा है ताकि अनुचित दोहराव और विलम्ब को टाला जा सके । परियोजना सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन और उनके अभिसंस्करण के लिए एक जैसा आधार के लिए एक जैसा आधार बनाया जा चुका है ।

पुनर्गठन के पूर्व ही सर्वेक्षणों के माध्यम से पता लगायी गयी परियोजना की रूपरेखा सम्बन्धी नई सूझ-बूझ को अमल में लाने की प्रक्रिया तथा संवर्धनात्मक गतिविधियों की पहल का पर्यवेक्षण कार्य तीन संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण नि0 नि0, के बीच विभाजित कर दिया गया है । जबकि उनके समग्र पर्यवेक्षण तथा मार्ग दर्शन का कार्य भारतीय विकास बैंक को करना होगा ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन के पूर्व ही राज्य औद्योगिक विकास निगमों और ऐसी अन्य संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन करने तथा इन संस्थाओं ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सुसंबद्ध करने की संभाव्यताओं का सुझाव देने के उद्देश्य से एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गयी थी । इस दल ने अनेक राज्यों में विचार विमर्श पूरे कर लिये हैं और वह फिलहाल इन संस्थाओं के पारस्परिक कार्यकलापों का आपस में तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ समन्वय कर रहा है ।

उपर्युक्त पुनर्गठन के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इन्जीनियरी माल के निर्यातों के लिए आवधिक ऋणदात्री विभिन्न संस्थाओं के कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए अपने पुनर्गठन से पूर्व ही दो दलों की स्थापना की थी :

(1) <u>अनौपचारिक परामर्शदाता दल</u> - जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निर्यात ऋण और गारंटी निगम और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग और बैंक परिचालन तथा विकास विभाग शामिल हैं ।[6]

(2) <u>तदर्थ कार्यकारी दल</u> - इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है जिसमें फिर से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सम्बन्धित बैंक, निर्यात ऋण और गारन्टी संगठन तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग और बैंक परिचालन

---

6. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1972-73, पृष्ठ संख्या 15-16, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो0बा0न0 1241, बम्बई 400039.

तथा विकास विभाग हैं । परामर्शदाता दल निर्यात वित्त के क्षेत्र की व्यापक समस्याओं और नीतियों तथा इन्जीनियरी मालों और तकनीकी सेवाओं तथा चालू हालत में कारखाने सौंपने के काम के निर्यात और विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की संभाव्यता पर विचार विमर्श करता रहता है । इस दल ने अब तक चार उप दलों का पुनर्गठन किया है - (1) खरीददार ऋण (2) निर्यात ऋण के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड (3) विदेशी बैंकों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्यात ऋणों का पुनर्भाजन और (4) निर्यात ऋणों के लिए समन्वय यन्त्र/खरीददार के ऋण से सम्बधित पहले उपदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और बाद में अन्य उपदलों ने भी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था ।

तदर्थ कार्यकारी दल निर्यात के विशिष्ट प्रस्ताव से सम्बन्धित संस्थाओं को एकत्रित करता है । ताकि शीघ्र और समन्वित निर्णय लिये जाने में सुविधा हो और अनुचित पुनरावृत्ति या विलम्ब से वंचित रहा जा सके । अब तक ऐसे 6 दल गठित किये जा चुके हैं ।

पिछले वर्षों में परियोजना कार्य से सम्बन्धित दृष्टिकोण, क्रियाविधि और और मापदण्ड बहुत पहले तैयार किये जा चुके हैं । इसके बाद कई क्षेत्रों में जो अभिनव खोजें हुई हैं और अब परियोजना से सम्बन्धित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के दृष्टिकोण, उनकी प्रणालियों और उनके मापदण्डों को निश्चित रूप दिया जा रहा है ।

परियोजना कार्य की नियम पुस्तिका तैयार करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा रिजर्व बैंक के अर्थ विभाग और सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों का दल बहुत पहले गठित हो चुका है । यह नियम पुस्तिका ~~भारतीय~~ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों तथा अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं और साथ ही बैंकों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन के बाद अब परियोजना की रूप रेखा की सूझबूझ का पता लगाने से लेकर परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में अंतरसांस्थानिक दल गठित किये गये हैं और यह निश्चित किया गया है कि उनका कार्य सुचारु रूप से चलता रहे । इस उद्देश्य से कि यह दल अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाये और यह पिछड़े राज्यों में केरल के औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदाता संगठन के समान ही तकनीकी परामर्शदाता सेवा केन्द्रों पर भी प्रभावी ढंग से कार्य हो ।

व्यापक जिला विकास के लिए उद्यमकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकास केन्द्र और क्षेत्रीय विकास निगम जैसे अन्य संस्थागत तन्त्रों की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति भी की जा रही है । साथ ही सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे आन्तर सांस्थानिक दल की सहायता से ऐसे तन्त्रों की स्थापना करें ।[7]

अन्त में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनर्गठन के बाद अब यह कहा जा सकता है कि विकास बैंकों की इस नई भूमिका के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों का एक विस्तृत क्षेत्र इसके कार्य क्षेत्र में आ गया है । इसके अतिरिक्त यह बैंक अपने कार्यों के निस्तारण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को शासन द्वारा लिखित रूप में सुझाई जाने वाली नीतियों के मामले में निर्देशों के अनुसार ही चलना होगा ।

इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के फरवरी 1976 में किये गये पुनर्गठन के बाद अब यह बैंक अपने संशोधित रूप में परिवर्तन, वित्त पोषण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की नीतियों के समन्वय की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है ।

-------::0::-------

---

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1972-73, पृष्ठ संख्या 21.

चतुर्थ अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय साधन

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय साधन

भारतीय औद्योगिक विकास के वित्तीय साधनों की व्यवस्था अंश-पूँजी, ऋणों एवं अन्य कई विभिन्न तरीकों से की जाती है जो अधिकांशतः वित्तीय निगमों के द्वारा काम में लाये जाते हैं। इस बैंक के वित्तीय साधनों के जुटाने में इसकी व्यापकता एवं विशालता को ध्यान में रखा गया है और भारत सरकार ने इस विषय में विशेष रूप से बड़ी उदारता का परिचय दिया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने विशाल वित्तीय साधनों के कारण ही पिछले कई वर्षों से प्रगति करता हुआ अब भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था बन गयी है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आर्थिक सहायता सुलभ कराने के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन) कोष बनाया गया है। रिजर्व बैंक ने इसमें 10 करोड़ रूपये की प्रारम्भिक रकम डाल दी थी तथा आगामी 5 वर्षों तक कम से कम 5 करोड़ रूपये वार्षिक डालता रहा। इस कोष में बैंक को अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋण पत्रादि खरीदने या अन्य कार्यों के लिए उधार दिया जा सकता है। प्रथम वर्ष में ही इस कोष द्वारा बैंक ने 2.17 करोड़ रूपये की रकम उधार ली थी तथा 1969 में ही इस कोष में 30 करोड़ रू० जमा हो चुके थे।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निम्नलिखित श्रोतों से पूँजी प्राप्त करता है -

(1) अंश पूँजी

प्रारम्भ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अधिकृत पूँजी 50 करोड़ रूपये ही थी। बाद में बढ़कर दुगुनी अर्थात् 100 करोड़ रूपये हो गयी तथा यही पूँजी बाद में बढ़कर 400 रूपये हो गयी है और इसकी निर्गमित एवं प्रदत्त पूँजी पहले 10 करोड़ ही थी बाद में यह 50 करोड़ रूपये हो गयी। इसको भारत सरकार ने 10 करोड़ रूपये का ऋण दिया था जिसमें यह शर्त थी कि 15 वर्ष तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा तथा 15 वर्ष में भुगतान कर दिया जायेगा प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही बैंक ने

सरकार से 44.88 करोड़ रूपये के ऋण 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त लिये थे ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 1983 तक अधिकृत पूँजी 400 करोड़ रूपये है तथा इसकी चुकता एवं निर्गमित पूँजी 225 करोड़ रूपये है । बाद के वर्षों 1983-84 तथा 1984-85 में इसकी अधिकृत पूँजी 500 करोड़ रूपये थी ।

2. ऋण पत्रों का निर्गमन

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपने ऋण पत्रों अथवा बाण्डों के आधार पर भी पूँजी बाजार से ऋण लेने का अधिकार है । यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस मामले में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । जैसा कि कुछ अन्य विशिष्ट वित्तीय निगमों के विषय में नियम बनाया गया है । इसकी सबसे बड़ी दूसरी विशेषता गारंटी देने के विषय में है । यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों या बाण्डों के लिए भारत सरकारसेगारन्टी दी जानी आवश्यक हो । यदि यह विकास बैंक चाहे तो भारत सरकार से इस प्रकार की गारन्टी देने की प्रार्थना कर सकता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जून 1983 तक बाण्डों की 29 सीरीज निर्गमित की जा चुकी थी जिनकी राशि 2,005 करोड़ रूपये थी ।[1] इसके द्वारा निर्गमित बाण्ड 12 से 15 वर्ष तक की अवधि के होते हैं और उनकी राशि 1000 रू0, 5000 रूपये, 10,000 रूपये, 25,000 रूपये, 1,00,000 रूपये अथवा 1000 रूपये के गुणितों में हो सकती है । जबकि 1979 तक ऋण पत्रों व वंच पत्रों के निर्गमन से लगभग 400 करोड़ रूपये एकत्र किये गये थे ।

---

1. इकोनामिक टाइम्स, दिनांक 7 जून सन् 1984, पृष्ठ संख्या 1, कालम 1.

3. भारत सरकार से ऋण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त किया है । विकास बैंक ने जून 1979 के अन्त तक भारत सरकार से 1076.81 करोड़ रूपये ऋण के रूप में प्राप्त किये थे । इसमें से 9.33 करोड़ रूपये के ऋण पर विकास बैंक व्याज नहीं देता । प्रारम्भ में इसने 10 करोड़ रूपये के ऋण से कार्य आरम्भ किया और और मार्च 1972 में पहली बार इसने 11.50 करोड़ रूपये के बांड जारी किये और यही ऋण की राशि बढ़कर 1983 में 2267.30 करोड़ रूपये हो गयी । जिसमें 1827.74 करोड़ रूपये राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन) निधि में से 6.66 करोड़ रूपये भारत सरकार से व्याज मुक्त ऋण तथा अन्य विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ एवं अन्य विदेशी मुद्रा में ऋण बकाया थे । किन्तु ऋण की अदायगी के विषय में शर्तें अत्यन्त उदार हैं । भारत सरकार से ऋण की मात्रा 1983-84 एवं 1984-85 में क्रमशः 33218 लाख तथा 33283 लाख रूपये थी ।

4. रिजर्व बैंक से ऋण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रन्यासी प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से 90 दिन तक का ऋण लेने का अधिकार प्राप्त है । विनिमय पत्रों अथवा प्रपत्रों के आधार पर भी यह बैंक रिजर्व बैंक से समय-समय पर ऋण प्राप्त कर सकता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक (राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण) निधि से लिये गये ऋणों में भारी वृद्धि हुई है । यह राशि 1974-75 में 86 करोड़ रूपये थी जो 1975-76 में बढ़कर 123.5 करोड़ रूपये हो गयी । इस प्रकार इसमें 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, साथ ही रिजर्व बैंक से विलों की जमानत पर लिये गये अस्थायी ऋणों में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।[2]

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 79, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन और आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

हाल के वर्षों में बैंक की अधिकृत पूँजी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा सहायता की मात्रा अधिक है । 1982-83 में रिजर्व बैंक द्वारा 32501 लाख रूपये तथा 1983-84 में 33283 लाख रूपये प्राप्त हुए थे ।

हाल के वर्षों में भी रिजर्व बैंक द्वारा काफी सहयोग प्राप्त हुआ है । 1984-85 में भारतीय रिजर्व बैंक से 334 करोड़ रूपये और 1985-86 में 300 करोड़ रूपये प्राप्त हुए थे और पुनः यही राशि 1986-87 में बढ़कर 300 करोड़ रूपये से 330 करोड़ रूपये हो गयी ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक औद्योगिक विकास बैंक के साथ विकासात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता चला आ रहा है ।

5. <u>जन निक्षेप</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को जनता से एक वर्ष या इससे अधिक समय की जमा प्राप्त करने का अधिकार है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1977 से कम्पनियों से जमा स्वीकार कर रहा है । जून 1979 के अन्त तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 50.10 करोड़ रूपये जमा के रूप में स्वीकार किये हैं ।

6. <u>विदेशी मुद्रा में ऋण तथा अनुदान एवं सहायता</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विदेशों के बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं या अन्य सूत्रों से विदेशी मुद्राओं में ऋण लेने का भी अधिकार प्राप्त है किन्तु इसके लिए भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है । विकास बैंक को प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा में कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है ।[3] भारत सरकार के माध्यम से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय विकास निगम क्रेडिट लाइन में

---

3. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1975-76, पृष्ठ संख्या 87, मुद्रक डी0वी0 सेठ गलिवाकोट वाला प्रिन्टर्स प्रा0लि0 फोर्ट, बम्बई 400039.

से ऋण अवश्य प्राप्त हुआ है । जैसे कि राज्य वित्तीय निगमों को ऋण के रूप में 1973 से 250 लाख डालर अमेरिका की पहली ऋण किस्त प्रदान की गयी थी उसका मार्च 1976 तक पूर्ण रूप से उपयोग किया गया तथा इस कार्य से प्रोत्साहित होकर विश्व बैंक ने 400 लाख अमेरिकी डालरों का एक और ऋण प्रदान करना स्वीकार किया । इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अब छोटे तथा मझौले आकार वाली परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपेक्षाओं की पूर्ति राज्य वित्तीय निगमों की एजेन्सियों के माध्यम से बेहतर ढंग से कर सकेगा । हाल के वर्षों में विकास बैंक को विदेशी मुद्रा में अच्छी सहायता मिली है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अनुदान, सहायता, भेंट अथवा दान स्वरूप प्राप्त होने वाली सहायता को भी स्वीकार कर सकता है किन्तु इस मद में अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है । हाल के वर्षों अर्थात् 1984-85 व 1985-86 तथा 1986-87 में क्रमशः 14.3, 217.3 तथा 278.5 करोड़ रूपये विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त हुए हैं ।

7. <u>संचित कोष</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 4 प्रकार के कोषों का निर्माण किया है यथा, सामान्य संचित कोष, प्रोद्योगिक सहायता कोष, विकास सहायता कोष, तथा विनियोजन कोष । प्रौद्योगिक सहायता कोष का निर्माण 1977 में बैंक की विकासात्मक क्रियाओं से सम्बन्धित उपयोगी कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया । विकास कोष को 1965 में स्थापित किया गया । जून 1979 तक विभिन्न कोषों से 61.21 करोड़ रूपये संचित किये गये थे ।

जून 1983 तक विकास बैंक के पास 193.60 करोड़ रूपये के संचित कोष थे जिनमें 158.53 करोड़ रूपये सामान्य संचित कोष में, 4.70 करोड़ रूपये तकनीकी सहायता कोष में, 15 करोड़ रूपये विशिष्ट कोष में, शेष निवेशगत प्रारक्षित कोष आदि में संचित थे ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन) कोष में से ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। इस कोष में रिजर्व बैंक ने प्रारम्भ में 10 करोड़ रूपये जमा किये तथा प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक इस कोष में 5 करोड़ रूपये जमा करता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक समय-समय पर इस कोष से ऋण प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा विकास सहायता कोष की स्थापना की गयी है जिसमें भारत सरकार सामान्य आय में से धन जमा करती है जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सबसे ज्यादा वित्त रिजर्व बैंक से प्राप्त होता है । रिजर्व बैंक ने 1974-75 में 86 करोड़ रूपये का ऋण दिया जो 1975-76 में बढ़कर 123.5 करोड़ रूपये हो गया था ।[4] बाजार ऋण जिनकी राशि 1974-75 में 16.5 करोड़ रूपये ही थी बाद में बढ़कर 55 करोड़ रूपये हो गयी जिससे इन राशि में 233 प्रतिशत भारी वृद्धि आज से बहुत पहले हो गयी थी तथा रिजर्व बैंक से बिलों की जमानत पर लिये गये अस्थायी ऋणों में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ऋण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित ऋणों की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार से आहरण कर सामान्य निधि में 4.1 करोड़ रूपयों की राशि डाली गयी थी । बहुत पहले ही 1973-74 में ही वित्त प्रदान करने का एक प्रभावशाली स्वरूप उभरा था यद्यपि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्वरूप अच्छा नहीं है । ऐसे नीति गत निर्णय जिन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1975-76 के दौरान ही कार्यान्वित करना चाहता था किन्तु जिनके लिए अपेक्षाकृत अधिक परिमाण में साधनों की आवश्यकता पड़ती, उन्हें पर्याप्त साधनों के अभाव में भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया था ।

---

4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1975-76 पृष्ठ संख्या 79, इन्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

आयात ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने राज्य वित्तीय निगमों को उधार देने के लिए 250 लाख अमेरिकी डालरों की ऋण प्रणाली प्रदान की थी तथा उसी समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सम्पूर्ण ऋण प्रणाली का अनुमोदन कर दिया था । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने इसकी ऋण प्रणाली के लिए वासिंगटन में विश्व बैंक के दल से 1976 में ही वार्ताएं की थी तथा वार्ताएं सफलतापूर्वक समाप्त भी हुई ।[5] और इस सम्बन्ध में ऋण करार पर हस्ताक्षर भी किये गये थे और यह करार बाद में प्रभावी भी हुआ ।[6]

विश्व बैंक से प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले प्रस्तावित ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से उपलब्ध पिछले पिछले ऋणों से भिन्न है । वित्त के लिए इकाइयों की परि-योजना लागत के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । जबकि पहले एक करोड़ रूपये की सीमा निर्धारित थी । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पहले ऋण की 60 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की तुलना में अब के ऋणों के अन्तर्गत अपनी पुनर्वित्त सहायता के 65 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कर सकता है । वैयक्तिक परियोजनाओं के मामले में विश्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त किये बिना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की जा सकने वाली पुनर्वित्त राशि की मुक्त सीमा को भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के अन्तर्गत दी जाने वाली 10 लाख रूपयों की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दिया गया है ।

पिछले अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के समान, प्रस्तावित विश्व बैंक का

---

5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1975-76 पृष्ठ संख्या 55. [आयात ऋण] इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

6. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1975-76 पृष्ठ संख्या 55, रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस बम्बई ।

ऋण राज्यवित्त निगमों के कार्यक्रम से सम्बद्ध है । जिसमें प्रत्येक राज्य वित्त निगम के लिए परिचालन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कार्यान्वयन और विकास कार्य-क्रम का बनाना शामिल है । विश्वबैंक के ऋण को अनुमोदन में लाने की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर 1978 रखी गयी थी और आहरण करने की अन्तिम तारीख 30 जून 1981 था ।[7]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अन्तर्गत 1975-76 के दौरान ही भारत सरकार ने 8 उर्वरक निर्माणी उद्योगों को उनके उत्पादन में होने वाली अड़चनों को दूर करने, प्रदूषण नियन्त्रण में सुधार करने और औद्योगिक रसायनों के उत्पादन के विशाखन में सहायता प्रदान करने के लिए 1050 लाख अमेरिकी डालर की एक ऋण प्रणाली प्राप्त की थी । इस ऋण से उर्वरक उद्योग के लिए पैट्रोलियम भरण परिष्करण कारखाने ﴾हिन्दुस्तान पैट्रोलियम﴿ की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायता दी जा रही है । ऐसी प्रत्येक परियोजना में पर्याप्त राशि लगती है । और चूँकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पहले ही कुछ उर्वरक यूनिटों को गुराऊ कम्पनी, दक्षिण परेड निगम और जुआरी, जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है भारी प्रत्यक्ष सहायता मंजूर कर चुका है । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से इन यूनिटों को ही करीब 280 लाख अमेरिकी डालर की राशि आबंटित की जा चुकी है । यह अनुमान लगाया गया है कि इस कार्यक्रम से क्षमता उपयोग का उद्योगवार औसत बढ़कर 85 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने गैसें सुविधा की स्थापना के लिए गुराऊ कम्पनी को इस ऋण के आधीन एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में जून 1976 में 3.8 करोड़ रुपये की सहायता अन्त-र्राष्ट्रीय विकास संघ की मंजूरी प्राप्त होने की शर्त के आधीन मंजूर की थी ।

---

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 1975-76, पृष्ठ संख्या 56, सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व एवं बैंकिंग विभाग, नई दिल्ली ।

<u>सरकारी एवं संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण</u>[8]

सरकारी और संयुक्त क्षेत्र में मझौले आकार की परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 250 लाख अमेरिकी डालरों के कुल ऋण में से 50 लाख अमेरिकी डालरों को तकनीकी सहायता के रूप में प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित करने का प्रस्ताव पास हुआ ताकि वे बैंकों से ऋण प्राप्त करने योग्य परियोजनाओं का पता लगाने, विकास करने और इस संबंध में उपयुक्त कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता कर सकें और इस पर शीघ्र ही वार्ता पूरा हो गयी । साथ ही भारतीय बैंक व्यवसाय के वार्षिक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि गैर सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं को उनके आधुनिकीकरण, उनके संतुलन-उपकरणों के क्रय आदि के लिए सहायता प्रदान करने के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 1975 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 240 लाख डालरों का एक और ऋण भी प्रदान किया है ।[9] सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्रों की मझौले आकार की परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी उपेक्षाओं की पूर्ति करने के निमित्त एक और ऋण प्राप्त करने के लिए भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बात-चीत पूरी हो चुकी है ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राज्य वित्त निगमों को उधार देने के लिए प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण प्रणाली के आधीन 30 करोड़ रूपये की कुल पुनर्वित्त सहायता मंजूर की थी, इस प्रकार अब पूर्ण ऋण प्रणाली का अनुमोदन कर दिया गया है । 30 जून 1975 को 257 परियोजनाओं को 14.4 करोड़ रूपयों की मंजूरियाँ प्रदान की गयी थीं ।

---

8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1975-76, पृष्ठ संख्या 56. डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी, रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

9. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1975-76, पृष्ठ संख्या 86, मुद्रक : डी0 वी0 सेठ गलियाकोट वाला प्रिन्टर्स प्रा0लि0, फोर्ट बम्बई 400023.

<u>भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए 38 करोड़ रूपये का अनुदान</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आधुनिकीकरण के निमित्त कमजोर सूतीवस्त्र उद्योगों को दिये जाने वाले रियायती ऋण पर होने वाली व्याज के हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने 38.5 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया है ।[10] इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय साधनों में सरकार का प्रमुख स्थान है जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार अनुदान देती है । इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का यह वित्तीय साधन माना जाता है । इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक साख [दीर्घकालीन] कोष में से ऋण प्रदान करने की व्यवस्था भी की गयी है । इस कोष में रिजर्व बैंक ने प्रारम्भ में 10 करोड़ रूपये जमा किये तथा प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक इस कोष में अपने लाभ में से 5 करोड़ रूपये जमा करता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक समय-समय पर इस कोष में से ऋण प्राप्त करता है । इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा विकास सहायता कोष की स्थापना की गयी है जिसमें भारत सरकार सामान्य आय में से धन जमा करती है जिसमें से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ऋण प्राप्त करने की सुविधा की गयी है ।

इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलापों में हो रही निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्तमान योजनाओं, छोटे पैमाने की इकाइयों और पिछड़े हुए जिलों में स्थिति इकाइयों और पिछड़े हुए जिलों में रिक्त इकाइयों को अxx उदार शर्तों पर सहायता देने की नई योजनायें, दोनों के अन्तर्गत बढ़ती हुई मंजूरियों से और दूसरी ओर अन्तिम चरणों में पहुंची हुई अपेक्षाकृत बड़ी परियोजनाओं के कारण आगामी वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की निधियों सम्बन्धी आवश्यकता में भारी

---

10. फाइनेन्शियल इक्सप्रेस, शुक्रवार 17 सितम्बर 1986, पृष्ठ संख्या 1, कालम 3.

मात्रा में वृद्धि होगी ।[11] आगामी वर्षों के लिए सहायता के वितरण, भारत सरकार और रिजर्व बैंक आदि के प्रति देनदारियों के भुगतान के लिए आवश्यक निधियों की मात्रा अन्तिम आधार पर आंकी गयी है । इसमें ऐसी कई इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक सहायता को नहीं जोड़ा गया है जिन्हें भारत सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संरक्षण में भेजने का निर्णय ले सकती है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कई नई परियोजनाएं शुरू की हैं साथ ही साथ चालू योजनाओं में और अधिक लोच लाया गया है । जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों, लघु उद्योगों क्षेत्रों, और नये तथा तकनीकी उद्यमियों की परियोजनाओं को पहले से कहीं अधिक लाभ पहुंचेगा । चूँकि ये योजनायें विशेष रियायती दरों पर चलायी जाती हैं इसलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को न केवल अपेक्षाकृत बल्कि अधिक निधियों की आवश्यकता पड़ेगी ।

---------::0::---------

11. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 80, प्रबन्धक ।प्रशासन। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जालीमेकर चम्बर्स नं0 1, नारीमन पाइंट, बम्बई 400021.

पंचम अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य क्षेत्र अत्यन्त व्यापक रखा गया है क्योंकि इसके पुनर्गठन के बाद इस बैंक पर अधिक उत्तरदायित्व आ गया है । इसमें उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया गया है जो दीर्घकालन वित्त एवं विकास निगमों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । इसकी कार्य सूची में वित्त एवं विकास सम्बन्धी सभी कार्य आ जाते हैं । पुनर्गठन के बाद जैसा कि बताया गया है कि संचालक मंडल की प्रथम बैठक में भाषण देते हुए, बैंकिंग एवं राजस्व मंत्री ने बताया था कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रमुख रूप से तीन कार्यों की पूर्ति करनी है :-

(1) पिछड़े क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना और इस प्रकार क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना ;

(2) लघु एवं मध्य स्तर के उद्यमियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि औद्योगिक स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण हो सके ;

(3) निर्यात का प्रोत्साहन ।

उन्होंने कहा कि नवीन औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ चालू इकाइयों को स्वस्थ दिशा प्रदान करने में इस बैंक को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए तथा इसे एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिससे कि इकाइयों में आने वाली कमजोरी और अस्वस्थता का आभास पहले से हो जाय और उसे दूर करने का प्रयास किया जा सके । दूसरी तरफ इसी प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कार्यों को दो प्रमुख भागों में भी विभक्त किया जा सकता है :-

(1) समन्वय सम्बन्धी कार्य ;

(2) वित्तीय सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कार्य ।

समन्वय के रूप में विकास बैंक समस्त दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं की गति-विधियों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करता है । इसके लिए विकास बैंक विभिन्न वित्तीय

संस्थाओं से निकट सम्बन्ध बनाये रखता है । विभिन्न संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की मासिक आन्तर संस्था बैठकों में सहायता के आवेदनपत्रों का मूल्यांकन करने तथा उसके सम्बन्ध में अन्य बातों पर विचार किया जाता है । वित्तीय संस्था के रूप में विकास बैंक देश की उन सभी छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों की वांछनीय वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिन्हें अन्य संस्थाओं से पर्याप्त सहायता न मिल सकी हो ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विभिन्न विकासशील कार्य निम्नलिखित प्रकार से है :-

1. <u>ऋण प्रदान करना</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सभी ससंस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण देता है । ऐसी औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों को खरीदने का भी अधिकार इस बैंक को प्राप्त है । विकास बैंक देश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है । ऋण पत्रों के खरीदने से सम्बन्धित समझौतों में यदि यह बैंक चाहे तो यह व्यवस्था कर सकता है कि ऐसे ऋणों को बैंक के विकल्प पर उस संस्था के सामान्य अंशों में परिवर्तित किया जा सके। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों की स्थापना विस्तार और विकास के लिए सहायता देता है । बैंक उद्योगों के बिलों तथा प्रतिज्ञापत्रों को स्वीकार करता है, अंश एवं ऋणपत्रों को क्रय करता है । साथ ही निर्यात के लिए भी विकास बैंक प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है ।

2. <u>ऋणों की गारन्टी देना</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को औद्योगिक संस्थाओं द्वारा पूँजी बाजार में अथवा बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों तथा निर्यात के अस्थगित भुगतानों की गारन्टी देने का अधिकार प्राप्त है । तथा साथ ही साथ यह बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं

एवं बैंकों द्वारा जारी किये गये अभिगोपन से उत्पन्न दायित्वों के लिए भी बैंक गारंटी दे सकता है । इस सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत में संघीय अभिगोपन अथवा संयुक्त अभिगोपन के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो सकेगा ।

प्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पहली बार 108 औद्योगिक परियोजनाओं को 116.4 करोड़ रूपये मंजूर करके 100 करोड़ रूपये के आकड़े पार कर गया ।[1] और उसके बाद यह बैंक लगातार प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रहा है ।[2] 1982 में बैंक ने 507.56 करोड़ रूपयों की सहायता प्रदान कर भारतीय पूँजी बाजार को मजबूत बनाया है । उपर्युक्त धनराशि में से 463.99 करोड़ रूपयों का वितरण भी हुआ है । 1982 के बाद लगातार दो वर्षों में स्वीकृत की गयी प्रत्यक्ष सहायता में सराहनीय वृद्धि हुई है । आगे के इन वर्षों में (1983-84 और 1984-85) जो धनराशि स्वीकृति की गयी है वह 711.31 और 1253.37 करोड़ रूपये थी इस राशि में से 494.20 एवं 552.78 करोड़ रूपये का वितरण भी हुआ । हाल के वर्ष 1985-86 में स्वीकृत राशि में कमी आयी और वह राशि 1121.32 करोड़ रूपये थी और पुन: 1986-87 में बढ़कर प्रत्यक्ष सहायता राशि 1725.61 करोड़ रूपये हो गयी तथा इन दो वर्षों की स्वीकृत प्रत्यक्ष सहायता राशि में से क्रमश: 794.42 एवं 921.92 करोड़ सहायता का विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में वितरण भी किया गया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पहली बार 1976 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास

---

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1975-76, पृष्ठ संख्या 28 प्रबन्ध (प्रशासन) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जारीमेकर्स चैम्बर्स नं0 1, नारीमन पाइंट, बम्बई 400021.

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 90-91, सारणी संख्या 18 व 19, कालम संख्या 1.

संघ की ऋण प्रणाली के अन्तर्गत ‡निजी क्षेत्र में निर्दिष्ट उर्वरक यूनिटों की मदद के लिए‡ गुजरात उर्वरक राज्य कम्पनी लि0 को 3.8 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की थी ।[3]

3. पुनर्वित्त की सुविधाएं देना

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा उसे 25 वर्ष तक के दीर्घकालीन ऋणों के लिए तथा अनुसूचित बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा औद्योगिक संस्थाओं के दिये गये उसे 10 वर्ष तक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधाएं देता है । यह अवधि 10 वर्ष से अधिक भी हो सकती है । इसी प्रकार बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यात के सम्बन्ध में दिये गये मध्यकालीन ऋणों के लिए भी पुनर्वित्त की सुविधाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाती है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सितम्बर 1964 को पुनर्वित्त निगम को औद्योगिक विकास बैंक में सम्मिलित कर लिया गया था क्योंकि पुनर्वित्त की सुविधाओं के लिए दुहरी व्यवस्था अनावश्यक थी ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह निश्चय किया कि वह राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों द्वारा निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों की छोटी और मझौली परियोजनाओं के लिए 30 लाख रुपयों तक के सभी पात्र ऋणों के सम्बन्ध में उनकी पूर्व राशि के लिए रियायती दर पर पुनर्वित्त प्राप्त करेगा बशर्ते ऋणप्राप्त करने वाली यूनिट की चुकता पूँजी और प्रारक्षित निधि की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक न हो । यह निर्णय 1972-73 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋणों के सम्बन्ध में किया गया।[4]

---

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1975-76, पृष्ठ संख्या 28, प्रबन्ध ‡प्रशासन‡ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जारी मेकर चैम्बर्स नं0 1, नारीमन पाइंट बम्बई 400021.

4. वार्षिक रिपोर्ट भारतीय औद्योगिक बैंक व्यवसाय की प्रवृति एवं प्रकृति 1972-73, पृष्ठ संख्या 98 असोसियेटेड अण्ड व्हटाइज से अंड प्रिन्टर्स ताडदेव बम्बई 400034.

वास्तव में योग्य वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पुनर्वित्त प्रदान करता है । साधारण तौर पर अस्तियां प्राप्त करने के लिए दिये जाने वाले ऋण पुनर्वित्त के पात्र हैं किन्तु ऋण का एक अंश कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओं के लिए भी हो सकता है । शर्त यह है कि ऐसी कार्यकारी पूँजी नियत अवधि के लिए आपेक्षित हो ।[5] भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में हुए संशोधन के अनुसार इस बैंक ने 24 दिसम्बर 1972 से मशीनों, मोटरों, जलयानों, मोटरवोटों, ट्रेलरों या ट्रैक्टरों के अनुरक्षण, मरम्मत, परीक्षण, या सर्विस में लगे हुए यूनिटों और मछली पकड़ने के लिए समुद्री किनारे पर सुविधाएं प्रदान करने का या उनके अनुरक्षण में लगे हुए प्रतिष्ठानों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो कि मीयादी ऋण प्रदान करने वाली शिखर संस्था है ने अपनी मंजूरियों तथा वितरणों (रा०वि०नि०, रा०औ०वि०नि०, रा०औ० निवेश निगमों को दी जाने वाली सुविधाओं को छोड़कर) में 1977-78 में क्रमशः मार्च में 33.4 प्रतिशत तथा अप्रैल में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे 654 तथा 334.9 करोड़ रूपये हो गये । मीयादी ऋण प्रदान करने वाली कुल मंजूरियों एवं वितरणों का क्रमशः 577 प्रतिशत तथा 52 प्रतिशत अंश भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त हुआ ।[6]

4. <u>अंशों में प्रत्यक्ष अभिदान</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी किये

---

5. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1972-73, पृष्ठ संख्या 157, श्री यू०एस० नवानी प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।
6. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 161-163, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के लिए श्री एम०जी० गायतोंड प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

गये स्कन्ध एवं अंशों में प्रत्यक्ष अभिदान करने का अधिकार है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे संस्थान के लिए इस प्रकार की व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसके बिना उद्योगों के प्रवर्तन एवं विकास में सक्रिय सहयोग देना अत्यन्त कठिन हो जाता है ।

6. <u>अभिगोपन का कार्य</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य संस्थाओं द्वारा पूँजी बाजार में जारी किये जाने वाले अंशों, ऋणपत्रों एवं बाण्डों का अभिगोपन कर सकता है ।

7. <u>विकास सम्बन्धी कार्य</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विभिन्न उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी करता है जैसे आधारभूत उद्योगों के विकास के उद्देश्य से नई योजनाओं को मूर्त रूप देने में प्रशासनिक एवं शैल्पिक सहायता देना, विपणन, विनियोग एवं तकनीकी अनुसंधान तथा सर्वेक्षण आदि साथ ही नये उद्योगों के प्रवर्तन, प्रबन्ध, प्रशासन, आदि में भी बैंक सहायता प्रदान करता है । साथ ही उद्योग के विकास, विस्तार और विशेष रूप से तो नहीं किन्तु साधारण तौर पर प्रबन्धकीय एवं तकनीकी सहायता भी दे सकता है ।

हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रमुख कार्यों के निष्पादन के लिए इसे दो खण्डों में भी बाँट सकते हैं । ।1। घरेलू वित्त विभाग एवं ।2। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग ।

प्रथम खण्ड परियोजनाओं से सम्बन्धित सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनका चयन, जाँच पड़ताल, वित्त प्रबन्धन एवं अनुवर्तन भी करेगा । प्रार्थनापत्रों पर समय से विचार करने के लिए यह समय पर आधारित कार्यक्रम अपनाता है जिससे कि उनकी स्वीकृति में अनावश्यक देरी न हो । यह खण्ड सूती वस्त्र, इन्जीनियरिंग

सीमेंट और चीनी उद्योग की अस्वस्थ इकाइयों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त खण्ड एक निर्यात बैंक की तरह कार्य करे और इन्जीनियरिंग एवं अन्य निर्यात करने वालों को आवश्यक वित्त तथा परामर्श देता है । यह खण्ड विदेशी मुद्रा में ऋण देने का कार्य कर सकता है ।

सन् 1964-70 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को दी गयी 47 करोड़ (17 प्रतिशत) रुपयों की सहायता पिछले वर्षों की अवधि (1970-76) में बढ़कर 472.5 करोड़ रुपये, 38.8 प्रतिशत हो गयी थी ।[7]

पिछड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली परियोजनाओं की सहायता 1974-75 के 101.7 करोड़ रुपयों के करीब -करीब दुगुनी होकर 1975-76 में 200.9 करोड़ रुपये हो गयी और फिर यही राशि बढ़कर 1976-77 में 257.9 करोड़ रुपये हो गयी ।

गैर सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं को उनके आधुनिकीकरण, संतुलन उपकरणों के क्रम आदि के लिए सहायता प्रदान करने के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 240 लाख डालरों का ऋण 1975 में प्रदान किया था ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गयी तथा वितरित की गयी राशि की वृद्धि को देखने पर 1986-87 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य काफी सन्तोषजनक पाया गया ।[8]

1976-77 के बाद पिछले क्षेत्रों को दी गयी सहायता राशि में निरन्तर वृद्धि

---

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 62, प्रबन्धक (प्रशासन) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जालीभोकर चैम्बर्सनं० 1, नारीमन पाइंट, बम्बई 400021.

8. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति एवं प्रगति 1975-76 पृष्ठ संख्या 89, डी०वी० सेठ, गलिया भोर वाला प्रिंटर्स प्रा०लि० फोर्ट, बम्बई 400023.

हुई है । 1984-85 में विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को 1598.6 करोड़ स्वीकृत किये गये थे । पुनः 1985-86 में यह सहायता बढ़कर 1634.0 करोड़ रूपये हो गयी और अभी हाल के वर्ष में यह राशि ‡1986-87‡ बढ़कर 1846.8 करोड़ रूपये हो गयी । इस बात से यह स्पष्ट है कि विकास बैंक ने पिछड़े हुए क्षेत्रों पर काफी ध्यान दिया है ।

उर्वरक परियोजनाओं पर भी विकास बैंक का ध्यान आकर्षित हुआ है और हाल के वर्षों ‡1984-85 में‡ इस क्षेत्र में 390.95 करोड़ रूपये की स्वीकृत हुई और हाल में 1986-87 में 426.40 करोड़ रूपये स्वीकृत कर 136.95 करोड़ रूपये वितरित किये गये जो इस क्षेत्र में विशेष योगदान कहा जा सकता है ।[9]

<u>लघु उद्योगों, यूनिटों एवं सड़क परिवहन चालकों को दिये जाने वाले</u> ऋण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों द्वारा ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों और राज्य वित्तीय निगमों की तकनीकी सहायता योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले तकनीशनों को दिये जाने वाले मीयादी ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है । राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों, छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त मंजूर करने की क्रिया विधि को इस प्रकार सरल बनाया गया है कि इस योजना के आधीन पुनर्वित्त प्रायः स्वतः उपलब्ध हो जाय ।[10] लघु इकाइयों के लिए दिये जाने वाले ऋणों

---

9. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 19 व 94,95, सारणी 23,24, कालम संख्या 6.

10. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1974-75, पृष्ठ संख्या 157, भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई के लिए श्री एम०जी० गायतोंड, प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

और अन्य यूनिटों के सम्बन्ध में 5 लाख रूपयों तक के ऋणों के सम्बन्ध में ऐसे ऋणों के 100 प्रतिशत तक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है साथ ही 5 लाख की राशि बहुत पहले बढ़ायी गयी है ।

<u>लघु इकाइयों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अन्य निधियां</u>[11]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री एस0एच0 खान के अनुसार 2500 करोड़ रूपयों के कारपस के साथ लघु उद्योग विकास निधि (एस0आई0 डी0एफ0) की स्थापना के साथ अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक देश के छोटे आकार के उद्योग के लिए व्यापक सहायता प्रदान करने में समर्थ होंगे । बुधवार 18 सितम्बर 1986 को इन्जीनियरिंग उद्योग संघ (पूर्वी क्षेत्र) के द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा कि लघु आकार के उद्योग को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता पिछले 5 वर्षों में प्रदत्त 4 करोड़ रूपये से आगामी 5 वर्षों में बढ़कर 5 करोड़ रूपये कर दी जायेगी ।[12] और लघु उद्योग क्षेत्रों का विकास आसानी से हो सकेगा ।

उपर्युक्त अनेक बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योग क्षेत्रों को प्राथमिकता देता रहा है । यह क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण

---

11. फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, 19 सितम्बर 1986, पृष्ठ संख्या 1, कालम 3, दिन वृहस्पतिवार,

12. फाइनेन्शियल इक्सप्रेस, 19 सितम्बर 1986, पृष्ठ संख्या 1, कालम 2, दिन वृहस्पतिवार ।

योगदान द्वारा आय के न्यायपूरक वितरण, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, उद्यम के आधार को व्यापक करने और अधिक छितरी हुई औद्योगिक वृद्धि से सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सका है ।[13] स्थापना और उत्पादन प्रारम्भ होने की अवधि के अन्तराल में कमी और पूँजी की सघनता होने से लघु उद्योग क्षेत्र कम लागत पर अधिक रोजगार प्रदान करने में समर्थ है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ आकार की विशालता में पर्याप्त मितव्ययिता की संभावना नहीं है ।

लघु उद्योग क्षेत्र को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता मुख्यत: उसकी औद्योगिक ऋणों की पुनर्वित्त योजना और कुछ सीमा तक उसकी विल पुनर्भाजन योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है । स्थापना काल से ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योगों के लिए रियायी सहायता की एक विशेष योजना चला रहा है । उदारीकृत पुनर्वित्त योजना द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों की कार्यविधि को भी अर्द्धस्वचालित रखा गया है ।

पुनर्वित्त कार्यकलापों को उत्तरोत्तर उदार और सरल बनाने के फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता में गत 6 वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

बहुत पहले ही 6 वर्षों की अवधि 1964-1970 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र के 1012 आवेदनपत्रों पर प्रदान की गयी 9 करोड़ रूपयों की पुनर्वित्त सहायता बाद के 6 वर्षों 1970-76 के दौरान 20791 आवेदनपत्रों पर 252.3 करोड़ रूपयों तक बढ़ गयी थी ।

---

13. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 65, प्रबन्धक ‡प्रशासन‡ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जालीमेकर चैम्बर्स नं0 1, नारीमन पाइंट बम्बई 400021.

बिल पुनर्भाजन योजना के आधीन प्रदान की जाने वाली भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता का भी एक भाग लघु उद्योग क्षेत्रों को प्राप्त होता है । इसके अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक बस्तियों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करके और राज्य वित्तीय निगमों की अंशपूँजी और बंधपत्रों में अभिदान करके लघु उद्योग क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष सहायता भी दे रहा है ।[14]

लघु उद्योग क्षेत्रों को विकास बैंक द्वारा दी गयी सहायता में निरन्तर वृद्धि हुई है अभी हाल के वर्षों में भी लघु उद्योगों को औद्योगिक विकास बैंक ने काफी सहायता स्वीकृत की है जिसे हम एक सारणी द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं[15]:

सारणी संख्या 1 (करोड़ रूपयों में)

वर्ष	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त				बिलों की पुनर्कटौती		कुल
	योग	एस0एस0 आई0	एस0आर0 टी0ओ0	योग 3+4	योग	एस0एस0 आई0	सहायता 5 + 7
1984-85	1241.9	499.1	296.2	795.3	634.1	87.7	883.0
1985-86	1564.0	746.2	275.2	1021.4	928.0	111.3	1132.7
1986-87	1643.4	832.7	297.6	1130.3	1014.2	130.8	1261.1

उपर्युक्त सारणी संख्या 1 से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विकास बैंक ने लघु उद्योगों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर भारतीय पूँजीबाजार में सुदृढ़ बनाया है ।

14. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 60, प्रबन्धक (प्रशासन) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जालीमेकर्स चैमबर्स नं0 1, नारीमन पाइंट बम्बई 400021.

15. भारत में विकास बैंकिंग पर रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 18, सारणी 4.3

साथ ही केन्द्रीय सरकार ने उद्घोषणा को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1983 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिक इकाइयों को पिछड़े क्षेत्रों तथा उन जिलों में जहाँ कोई उद्योग नहीं है वहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए नये-नये प्रोत्साहन तथा रियायतों का सूत्रपात किया ।[16]

औद्योगिक यूनिटों को प्रदान की गयी परियोजना सम्बन्धी कुल सहायता में निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को दी गयी सहायता का भाग पिछले वर्षों की अवधि की अपेक्षा अब काफी बढ़ गयी है ।

अधिकांश बातों से यह स्पष्ट होता है कि सहायता की सभी योजनाओं के अधीन पर्याप्त वृद्धि हुई है । यह इस बात का द्योतक है कि विगत वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदान की गयी सहायता देश के औद्योगिक विकास में पाये जाने वाले क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायक हुई है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक देश के भीतर एवं बाहर उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाता रहता है । आर्थिक विकास एवं योजना की एशियाई संस्था, बैंकाक में परियोजना और विकास बैंकरों के लिए मूल्यांकन पर आयोजित एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को काफी पहले भेजा जा चुका है ।[17]

इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारियों ने बैंकर

---

16. एन0आई0पी0 2 नवम्बर 1983, पृष्ठ संख्या 7, कालम नं0 4.

17. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74, पृष्ठ संख्या 57, प्रबन्ध (प्रशासन) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जालीमेकर चैम्बर्स नं0 1, नारीमन पाइंट बम्बई 400021.

प्रशिक्षण महाविद्यालय बम्बई, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद, राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान बम्बई जैसे देश के बड़े प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा प्रबन्ध संस्थानों द्वारा विकासोन्मुख वित्तपोषण तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेता रहता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय प्रबन्ध संस्थान हैदराबाद की सहभागिता में अपने अधिकारियों की सुविधा के लिए बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय बम्बई में "जोखिम विश्लेषण" पर एक त्रिदिवसीय पाठ्य-क्रम बहुत पहले आयोजित कर चुका है और जिससे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय पूँजी बाजार में काफी आगे है ।

पिछले वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विकास वित्त संस्थान, मनीला की सहयोगिता में "लघु और मझौले उद्योग परियोजना विकास" पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले आर्थिक विकास और योजना के एशियाई संस्थान के व्यक्तियों को अन्त: सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है उसने बैंक आफ थाईलैण्ड के एक अर्थशास्त्री को भी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की हैं ।

<u>आधुनिकीकरण सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पेनल</u> : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन एक विशेष गुण के गठन का प्रस्ताव किया गया है जिसमें सरकार और उद्योग दोनों के प्रतिनिधि होंगे और जिनका काम विस्थापन की अपेक्षा रखने वाली तकनीक एवं कार्य विधियों की पहचान करना होगा।[18]

इसके अतिरिक्त समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पहले की भाँति ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संवर्धन, प्रयासों और आर्थिक सहायता तथा पिछड़े क्षेत्रों एवं प्रदेशों के औद्योगिक विकास के लिए दी गयी अन्य प्रकार की सहायता के योगदान की मात्रा अधिक से अधिक दिखाई पड़ी है । यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

---

18. इकोनामिक टाइम्स, 13 अगस्त 1986, पृष्ठ संख्या 1, कालम 2.

की पुनर्वित्त एवं पुनर्भाजन योजनाओं से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रतिफल और इस पृष्ठभूमि में अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाय तो प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त परोक्ष लाभ एवं सम्बन्धित परिणाम भी हैं जो पिछड़े क्षेत्रों में विकास की ऐसी गतिविधियों को जन्म देते हैं जो वास्तविकता है किन्तु उनके परिणाम को सरलता से मापा नहीं जा सकता है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारियों के लिए प्राजेक्शनल एनालिसिस इन्स्टीट्यूट फार ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेन्ट, पूना में प्राजेक्शनल एनालिसिस पर पाँच अन्तर कम्पनी कार्यक्रम आयोजित किये गये । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने परियोजना मूल्यांकन में प्रबन्ध विकास पर दो अन्तर कम्पनी विचारगोष्ठियाँ आयोजित की ।[19]

<u>आस्थगित अदायगी के आधार पर देशी मशीनों की बिक्री के लिए</u> : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अप्रैल 1965 में ही आस्थगित अदायगी के आधार पर देशी मशीनों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली हुंडियों, वचनपत्रों के पुनर्भाजन की एक योजना प्रारंभ की थी । मशीनों के निर्माता या उसके अधिकृत बिक्री ऐजेन्टों, वितरकों द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है । इसके लिए शर्त यह है कि खरीददार उपयोगकर्ताओं को मशीन बेंचने के पहले ऐजेंट, वितरक निर्माताओं को पूरी रकम अदा कर दें । जो अनुमोदित डिजाइन इन्जीनियरी प्रतिष्ठान अपने निजी डिजाइनों के अनुसार मशीन बनाते हैं और स्वयं अपने नामों और गारंटियों के अधीन बेंचते हैं वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

---

19. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 103, डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लि0, बम्बई 400025 द्वारा मुद्रित ।

देशी मशीनों के निर्माता भले ही सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के हों, वे भी इस योजना के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं । यदि इस योजना के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं तो वनस्पिति उत्पादन और शराब बनाने के उद्योग के लिए आस्थगित अदायगी के आधार पर की जाने वाली मशीनों की बिक्री का वित्तपोषण करना तो उसकी पूर्व स्वीकृति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सूचित करना चाहिए।[20] इसके बाद उसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है ।

सरकार के विभागीय प्रतिस्थानों के रूप में कार्य करने वाले खरीददार उपयोग कर्ताओं को छोड़कर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सभी खरीदार-उपयोगकर्ताओं को देशी मशीनों को जो बिक्री की जाती है वह भी इस योजना के अन्तर्गत आती है । आस्थगित अदायगी की अवधि सामान्यतः 6 महीने से पाँच वर्ष के बीच रहती है, किन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ विशेष मामलों में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है । सात वर्षों की आस्थगित अदायगी सुविधाओं की रियायत खरीददार यूनिटों की वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्धारित प्रस्ताव में उपयुक्त यूनिटों तक सीमित रखी गयी है ।[21]

भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थ विभाग के साथ सम्पर्क

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण देशों की वित्तीय और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक के अर्थ विभाग के साथ गहरा सम्पर्क स्थापित किया है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया विभिन्न देशों से

---

20. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1972-73 पृष्ठ संख्या 158, श्री यू०एस० नवानी, प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

21. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1972-73 पृष्ठ संख्या 158, श्री रूमानी देसाई द्वारा स्टेट्स पीपुल प्रेस, बम्बई में मुद्रित ।

सम्बन्धित रूपरेखायें तैयार करके उसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को देता है । जो निर्यात वित्त के अलग-अलग मामलों पर निर्णय लेने में सहायक होती है ।[22]

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों के साथ भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सम्बन्ध बढ़ाये हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से अपने संयुक्त महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में अगस्त 1971 में खनन उद्योग के वित्तपोषण के लिए एक समिति का गठन किया था ताकि यह समिति खनन क्षेत्र को संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि करने की दृष्टि से छोटे और मझौले आकार के खनन यूनिटों का वित्तपोषण करने के लिए एक उपयुक्त योजना बना सके और इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का विकास हो सके । इस समिति में खनन विभाग, भारत सरकार, भारतीय खनन व्यूरो, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के औद्योगिक वित्त विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं साथ ही उसने अपना पूरा कार्य कर लिया है तथा यह आशा की जाती थी कि वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और वही हुआ भी । यह पहले कहा जा चुका है कि सहायता की योजनाओं और सहायता के मंजूर तथा वितरित किये जाने से सम्बन्धित प्रणालियों, क्रियाविधियों और मानदण्डों का समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण किया जाना जरूरी है जिससे कि उनमें बदलती हुई परिस्थिति की दृष्टि से संशोधन किया जा सके ।

इन योजनाओं के अन्तर्गत एक नवम्बर 1983 को प्रेस कान्फ्रेन्स को सम्बोधित करते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष मि०वी० पुन्जा ने रियायती

---

22. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1971-72, पृष्ठ संख्या 17, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो०बा०नं० 1241 बम्बई 400039.

सहायता की सीमा पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं में ए वर्ग के जिलों के लिए 5 करोड़ तथा 2.5 करोड़ रूपये तथा 'बी' वर्ग जिलों में 3 करोड़ एवं 1.5 करोड़ निर्धारित किया था ।[23]

मि0 पुंजा ने कहा था कि योजनाओं ने परियोजनाओं की कुल लागत के न्यूनतम योगदान को परमोटर्स के द्वारा घटाकर 17.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया । बहुत बड़ी परियोजनाओं जिनकी लागत 25 करोड़ रूपये से ज्यादा है और जो 'ए' वर्ग के जिलों में आती हैं की परमोटर्स योगदान को नई परियोजनाओं की पूँजी लागत से 10 प्रतिशत और कम कर दिया गया है ।[24]

यद्यपि विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रदान की गयी मंजूरियों और वितरणों की मात्रा में अधिक घट-बढ़ें हुई हैं । तथापि समग्र प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की ओर पूर्णतया उन्मुख है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने योजनाओं की शर्तों को काफी उदार बनाया है तथा उनका अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया है । साथ ही कुछ ऐसी नई परियोजनाओं को प्रस्तुत करने की दिशा में कदम उठाये हैं जिनका आगामी वर्षों में सहायता के स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संवर्धन कार्यकलापों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए रियायती दर पर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, रियायती पुनर्वित्त सहायता की योजनाओं को प्रमुख रूप से चलाकर योजनाओं को अधिक उदार बनाया है ।

---

23. नार्दर्न इण्डिया पत्रिका, 2 नवम्बर 1983, पृष्ठ संख्या 7, कालम 4.

24. नार्दर्न इण्डिया पत्रिका, 2 नवम्बर 1983, पृष्ठ संख्या 7, कालम 4.

बहुत पहले संयुक्त संस्थागत अध्ययन दलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा या अन्यथा पता लगायी गयी परियोजनाओं के प्रति उद्यमियों में अभिरूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन किये जाते हैं । राज्य सरकारों ने वित्तीय संस्थाओं वाणिज्य मण्डलों आदि के बीच व्यवहार्यता अध्ययनों के सारांशों को प्रचारित किया जाता है । इनमें रूचि रखने वाले उद्यमियों को उक्त रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती है । 36 राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा कतिपय अलग-अलग उद्यमियों ने इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में रूचि दिखाई है ।[25] भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संभाव्य उद्यमियों को उनके द्वारा अनुरोध किये जाने पर प्रबन्ध कार्यपालक अधिकारियों के नाम और विदेशी सहयोगियों के नाम सुझाने तथा अन्य जानकारी प्रदान करने जैसी विभिन्न प्रकार की सहायतायें समय-समय पर प्रदान करता रहा है।

छोटे तथा मझौले उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1976 के अन्त में बीज पूँजी सहायता योजना चलायी थी । इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऐसे उद्यमकर्ताओं को पूँजी सहायता प्रदान करता है जिनके पास प्रौद्योगिक चातुर्य एवं कौशल तो प्राप्त है किन्तु प्रवर्तक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम अभिदान देने की क्षमता नहीं है । किन्तु सरकार की इस योजना का लाभ उद्यमकर्ता बिल्कुल नहीं उठा पा रहे हैं । तकनीकी एन0डी0 प्रबन्धक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्तपोषित) एक दिवसीय सेमिनार को सम्बोधित करते हुए श्री महादेवप्पा ने कहा कि राज्य में स्थित कम्पनियों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की तीनों लोकप्रिय योजनाओं अर्थात् बीज पूँजी योजना सहायता कार्यक्रम, आधुनिकीकरण सहायता योजना और उनके सामूहिक पुनर्वास ऋण के लिए ज्यादा आवेदनपत्र नहीं प्राप्त हो रहे हैं ।[26]

---

25. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1974-75, पृष्ठ संख्या 76, असोसियेटेड अण्डरडिसर्स अण्ड प्रिंटर्स ताड़देव, बम्बई 400034.

26. इकोनामिक टाइम्स 16 सितम्बर 1988, पृष्ठ संख्या 1, कालम 2.

बीज पूँजी सहायता योजना के बारे में श्री महादेवप्पा ने विशेष रूप से कहा था कि "बीज पूँजी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कर्नाटक में मुश्किल से दो करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं जबकि समीपवर्तीय राज्यों में उधार की राशियों अपेक्षाकृत ऊँची रही हैं ।[27] अतः इन कमियों को देखते हुए योजना आयोग ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन का काम अपने हाथ में लिया है तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस अध्ययन से पूर्णरूपेण सम्बन्धित है ।[28] साथ ही प्रयोजना के लिए गठित सलाहकारी समिति में उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है । अध्ययन के लिए चुने गये 13 राज्यों के निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयों को मंजूर और वितरित की गयी सहायता सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया गया और उन्हें योजना आयोग के 6 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सौंप दिया गया ।[29]

संस्थाओं के विकासोन्मुख कार्यकलापों और उनके दिये गये वित्तीय प्रोत्साहनों के अच्छे परिणाम अब क्रमशः अल्पमात्रा में नजर आने लगे हैं पिछड़े क्षेत्रों की वे इकाइयाँ जिन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्रत्यक्ष सहायता मिली है और जिन्होंने अपना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है । उनके कार्यकलाप अधिक अच्छे नजर नहीं आते हैं फिर भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संवर्धन, प्रयासों आर्थिक सहायता और पिछड़े प्रदेशों के औद्योगिक विकास के लिए दी गयी अन्य प्रकार की

---

27. इकोनामिक टाइम्स 16 सितम्बर 1986, पृष्ठ संख्या 1, कालम 2.

28. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 60, प्रबन्धक [प्रशासन] भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नारीमन पाइंट, बम्बई 400021.

29. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 60-61, प्रबन्धक [प्रशासन] भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जाली चैम्बर मेकर्स नं0 1, नारीमन पाइंट, बम्बई 400021.

सहायता के योगदान की मात्रा और भी अधिक दिखाई पड़ेगी यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त और पुनमार्जन योजनाओं से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रतिफल और इस पृष्ठभूमि में अन्य संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाय । प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त इसके अन्य परोक्ष लाभ एवं सम्बन्धित परिणाम भी हैं जो पिछले क्षेत्रों में विकास की ऐसी गतिविधियों को जन्म देते हैं जो वास्तविक तो हैं किन्तु उनके परिणाम को सरलता से मापा नहीं जा सकता है ।

एक नवम्बर 1983 को प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष मि0वी0 पण्डा ने कहा था कि छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्तीय निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों को 100 प्रतिशत पुनर्वित्त उनके ऋणों के अलावा 'ए' वर्ग के जिलों में प्रदान करेगा ।[30]

पिछले वर्षों में मूल्यांकन के रीतिविधान में सुधार लाने के लिए इस दृष्टि से सतत प्रयास किये जा रहे हैं कि मूल्यांकन के मानदण्डों में सख्ती लायी जा सके । जो बड़ी परियोजनायें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखती हैं । उनके प्रस्तावों को औद्योगिक आधारित आर्थिक व्यवहार्यता की सलाह के लिए तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की तदर्थ समिति के सदस्य उद्योग, सरकारी विभागों तथा अनुसंधान संस्थाओं से लिये गये हैं यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास उपलब्ध विशेषज्ञता उत्तरोत्तर अधिक उपयोग कर रहे हैं ।[31]

---

30. नार्दर्न इण्डिया पत्रिका, 2 नवम्बर 1983, पृष्ठ संख्या 7, कालम 4.

31. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74, पृष्ठ संख्या 61, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो0बा0नं0 1241, बम्बई ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योगों को सहायता प्रदान करता है । सभी प्रकार के उद्योगों को विकास बैंक से सहायता मिल सकती है जैसे रासायनिक खाद, पैट्रोरसायन, फैरोस्लोय, विशिष्ट इस्पात तथा अन्य उद्योग होटल, यातायात आदि । ऋणों की सीमा एवं ऋणों की सुरक्षा के लिए दी गयी जमानत की प्रकृति तथा ऋण प्राप्त करने वाली संस्था के संगठन आदि के विषय में विकास बैंक के लिए कोई प्रतिबन्ध अथवा परिसीमाएं नहीं हैं जैसा कि 36 अन्य वित्त निगमों के विषय में देखी जाती हैं ।

प्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत परीक्षण के समय को कम करने के लिए वित्तीय संस्थाओं ने अग्रणी संस्था और सामान्य मूल्यांकन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । उद्यमकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यक संख्या में एक सामान्य आवेदनपत्र सिर्फ इस संस्था को पेश करें और आवेदनपत्र पेश करने के बाद सिर्फ एक यानी अग्रणी संस्था के साथ पत्र व्यवहार करें । इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत हर तरह से पूर्ण आवेदनपत्र के परीक्षण में सिर्फ लगभग 4 से 5 महीने तक ही समय लगना चाहिए ।[32]

प्रोत्साहन गतिविधियाँ

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की परिचालनात्मक नीतियों की एक विशेष बात उसके प्रोत्साहन या नये उपक्रमों के कार्य हैं । प्रोत्साहन गतिविधियाँ यह शब्द भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य की नीति के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप एक अत्यन्त विकेन्द्रित और साथ ही व्यवहार्य औद्योगीकरण प्रक्रिया की

---

32. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 3, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी, रंगीन और आवरण मुद्रण टाटा प्रेस बम्बई ।

प्रगति को प्रोत्साहित करने के प्रयत्नों के लिए प्रयुक्त होता है । अन्य शब्दों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्हता प्राप्त उद्यमियों को धन सुलभ कराने के परम्परागत और ऋण देने के लिए स्रोतों के एकत्र करने का ही कार्य नहीं करता बल्कि इसकी तुलना में यह राज्य की नीति के उपकरण के तौर पर कार्य करता है । और इस प्रकार अपने संसाधनों के विनियोजन में यह उसके गुणात्मक संयोजन और उसके भौगोलिक विस्तार का ध्यान रखता है ।

अत: विभिन्न बातों की जानकारी करने से पता चलता है कि सहायता की सभी योजनाओं के अधीन वृद्धि हुई है । यह इस बात का द्योतक है कि विगत वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदान की गयी सहायता देश के औद्योगिक विकास में पाये जाने वाले क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने में सहायक हुई है ।

-------::0::-------

षष्ठम् अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रवर्तनात्मक भूमिका

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रवर्तनात्मक भूमिका

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक रखा गया है कि इसके अन्तर्गत अन्य सभी वित्त निगमों के कार्य आ जाते हैं। यदि यह कहा जाय कि औद्योगिक विकास बैंक अन्य समस्त वित्तीय निगमों का एक ऐसा 'वृहद् संस्करण' है जिसकी काया ही विशाल नहीं है बल्कि इसके उद्देश्य एवं कार्य भी अत्यन्त व्यापक हैं, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वस्तुतः यह एक ऐसा निगम माना जाता है जो अन्य समस्त विशिष्ट वित्तीय निगमों और कार्यों को पूरा करता है। पुनर्वित्त की सुविधाओं के द्वारा पुनर्वित्त निगम, दीर्घकालीन ऋणों के द्वारा औद्योगिक वित्त निगम, प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम तथा विकास एवं प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों के द्वारा औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम के कार्यों को अकेला सम्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि या तो इन आवश्यक दुहरी व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाय अथवा उनमें इस प्रकार के परिवर्तन कर दिये जायें कि जिससे वे समस्त नियम एक समान नियन्त्रण तथा पथ प्रदर्शन के अन्तर्गत औद्योगिक विकास में अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें। वस्तुतः 16 फरवरी 1976 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से पृथक करके भारत सरकार ने इसी उद्देश्य की पूर्ति की। अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका को अधिक व्यापक बना दिया गया है और इसे शीर्ष संस्था का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब औद्योगिक विकास बैंक अपनी नवीन भूमिका के अन्तर्गत औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली समस्त वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करता है जिसमें समस्त वित्तीय निगमों (आई०एफ०सी०आई०, आई०सी०आई०सी० आई०, आई०आर०सी०आई०, एल०आई०सी०, यू०टी०आई०, एस०एफ०सी०एस०, एस० आई०डी०सी०एस०) के अतिरिक्त स्टेट बैंक, चौदह तथा 6 राष्ट्रीयकृत बैंक, अन्य अनुसूचित बैंक तथा राज्यों के सहकारी बैंक सम्मिलित हैं। इन समस्त संस्थाओं द्वारा औद्योगिक वित्त की पूर्ति का जहाँ तक प्रश्न है, उनका समन्वय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है।

पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक

का ही निदेशक बोर्ड था । अब विकास बैंक का अपना अलग निदेशक बोर्ड है जिसमें मुख्य रूप से बहुमुखी औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकें और साथ ही साथ नये उद्यम कर्ताओं की सहायता कर सके जिससे पूँजी बाजार का विस्तार हो ।[1]

भारत सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नीति सम्बन्धी मामलों पर निर्देश जारी करने के अधिकार दे दिये गये हैं ।

राज्य वित्तीय निगमों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित अंश पूँजी भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को हस्तान्तरित कर दी गयी । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को राज्य वित्तीय निगमों के बोर्डों में अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व भी मिल गया है । राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप के पर्यवेक्षण से सम्बन्धित कार्यों को भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को बहुत पहले सौंप दिया गया है ।[2]

पुनर्वित्त निगम का विलीनीकरण

5 जून 1958 को पुनर्वित्त निगम की स्थापना एक प्राइवेट कम्पनी के रूप में की गयी थी जिसे बाद में सन् 1971 में पब्लिक लिमिटेड कं0 बना दिया गया था । इस निगम का प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्र की मध्यम आकारी वाली औद्योगिक संस्थाओं को मध्यकालीन ऋणों की पूर्ति करना था । ऐसे मध्यकालीन ऋणों की अवधि 3 से 7 वर्ष रखी गयी थी । यह निगम औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण देने के बजाय बैंकों द्वारा उन्हें दिये गये मध्यकालीन ऋणों के लिए पुनर्वित्त की

---

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 9, डिजाइन : अण्डर पब्लिसिटी, रंगीन और आवरण मुद्रण टाटा प्रेस बम्बई ।

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976 पृष्ठ संख्या 19, डिजाइन : अण्डर पब्लिसिटी, रंगीन और आवरण मुद्रण टाटा प्रेस बम्बई ।

सुविधायें उपलब्ध कराता था ।

सन् 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के बाद पुनर्वित्त निगम की आवश्यकता एक पृथक निगम के रूप में समाप्त हो गयी, क्योंकि पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान करना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक प्रमुख कार्य रखा गया और पुनर्वित्त की दुहरी व्यवस्था को कायम रखना आवश्यक समझा गया । अतः एक दिसम्बर 1964 से पुनर्वित्त निगम की समस्त सम्पत्तियों एवं देनदारियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया और क्षति पूर्ति के रूप में 2.5 करोड़ रूपये पुनर्वित्त निगम को दिये गये ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आरम्भिक पूँजी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ले ली गयी । आरम्भिक पूँजी के अन्तरण से, अध्यक्ष और कार्यपालक ट्रस्टियों के नामांकन से सम्बन्धित शक्तियाँ जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पास थी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम अन्तरित कर दी गयी हैं । साथ ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड और निवेश समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है ।[3]

औद्योगिक वित्त निगम का सूत्राधार

दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न औद्योगिक वित्त निगम के विषय में था कि इसके पृथक अस्तित्व को कायम रखा जाय अथवा इसका औद्योगिक विकास बैंक में विलय कर दिया जाय । औद्योगिक वित्त निगम का पुनर्संगठन करके इसे औद्योगिक विकास बैंक की ऐसी सहायक संस्था का रूप दे दिया गया जिसकी अंश पूँजी में विकास बैंक का 50 प्रतिशत भाग हो गया । औद्योगिक वित्त निगम में भारत सरकार एवं

---

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 19, डिजाइन : अण्डर पब्लिसिटी, रंगीन और आवरण मुद्रण टाटा प्रेस, बम्बई ।

रिजर्व बैंक द्वारा धारित अंशों को एक अगस्त 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया । पचास प्रतिशत स्वामित्व प्रदान करने के लिए अंशों के शेष भाग की पूर्ति के लिए औद्योगिक वित्त निगम ने 2,692 नये अंश निर्गमित किये और उन्हें औद्योगिक विकास बैंक के नाम पर दिया गया ।

पृथक्करण के तुरन्त बाद, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने शीर्षस्थ वित्तीय संस्था के रूप में अधिक कुशलता के साथ अपनी विस्तृत भूमिका के निर्वाह के लिए अनेक कदम उठाये हैं । पहला महत्वपूर्ण कदम था आन्तरिक पुनर्गठन । इसके बाद विभिन्न क्रियाविधियों का सरलीकरण, योजनाओं का उदारीकरण और सामाजिक दृष्टि से वांछनीय क्षेत्रों के लाभ के लिए सहायता की नई योजनाओं को आरम्भ किया गया है ।

निर्यात वित्त के सम्बन्ध में समन्वयकर्ता की भूमिका

इन्जीनियरी माल के निर्यातकों के लिए आवधिक ऋणदात्री विभिन्न संस्थाओं के कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मुख्य रूप से दो दलों की स्थापना की थी :-

1. अनौपचारिक परामर्शदाता दल एवं
2. तदर्थ कार्यकारी दल ।

परामर्शदाता दल जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग और बैंक परिचालन तथा विकास विभाग शामिल हैं । तदर्थ कार्यकारी दल जिसमें फिर से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सम्बन्धित बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी संगठन तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग और बैंक परिचालन तथा विकास विभाग शामिल हैं ।[4]

---

4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1972, पृष्ठ संख्या 15, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो0बा0नं0 1241, बम्बई 400039.

उपर्युक्त दोनों विभागों के द्वारा इन्जीनियरी माल के निर्यात में काफी सुविधा मिलती है ।

राज्य स्तरीय विचार विमर्श

परियोजना की रूपरेखा की जो सूझ बूझें प्रत्यक्षतः व्यवहार्य मालूम पड़ती हैं, उनके चयन के लिए प्रत्येक सम्बन्धित राज्य की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर राज्य सरकार, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों, प्रतिनिधियों और अन्य औद्योगिक हितों के बीच विचार विमर्श किया जाता है । असम, जम्बू और काश्मीर, विहार और उड़ीसा में ऐसे विचार विमर्श बहुत पहले किये जा चुके हैं । इस बारे में अन्य राज्यों के साथ भी 1972 के पहले ही विचार विमर्श किये गये थे ।

क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों की गतिविधियाँ

कलकत्ता और मद्रास के क्षेत्रीय कार्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालयों के समकक्ष बनाया गया तथा उन्हें उपमहाप्रबन्धकों के आधीन रखा गया जिन्हें स्वीकृतियों, वितरणों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं । अपने कार्यकलापों के विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 21 मई 1976 को अहमदाबाद में अपनी पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय खोला गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों तथा गोवा दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के संघ शासित क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा । क्षेत्रीय कार्यालय अपनी क्षेत्रीय समितियों के अनुरूप निर्देशन में अपने अपने क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बोर्ड एवं कार्यकारिणी समिति के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय समितियों का भी पुनर्गठन किया गया ।[5]

---

5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 86, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रणै, टाटा प्रेस, बम्बई ।

इसके साथ ही कोचिन एवं गोहाटी में तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्रों की स्थापना की गयी तथा साथ ही पटना में बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन नामक एक नया तकनीकी परामर्श संगठन स्थापित किया गया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने राज्य स्तरीय विकास पूरक संस्थाओं अर्थात् राज्य औद्योगिक विकास निगमों, राज्य औद्योगिक निवेश निगमों द्वारा विस्तृत अध्ययन कार्य भी समाप्त कर दिया गया था ।[6]

हिन्दी के प्रयोग में प्रगति

पृथक्करण के पूर्व हिन्दी के क्रमिक उपयोग के लिए कदम उठाये जाने की दिशा में रिजर्व बैंक द्वारा पहल की जाती थी और हिन्दी के प्रयोग के लिए नीति निर्धारण और क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशन में बनाई गयी रूपरेखा के अनुसार किया जाता था । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अब हिन्दी के क्रमिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए नये उपाय किये हैं और इस दिशा में पहले कदम के रूप में अलग से एक हिन्दी अनुभाग स्थापित किया गया है । जनता एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जाते हैं । सन् 1973-74 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित की जा रही है । सभी प्रेस विज्ञप्तियाँ तथा विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी में साथ साथ जारी किये जाते हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाई के लिए विशेष कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं ।[7]

---

6. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1974-75, अशोसिएटेड अंडर रिसर्च अंड प्रिन्टर्स ताड़देव, बम्बई 400034.
7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 87, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस, बम्बई ।

8 मार्च 1976 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रमुख कार्यों और कार्य कलापों को दो अलग पक्षों अन्तर्देशीय वित्त पक्ष और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पक्ष को सौंप दिया गया है । प्रत्येक पक्ष का दर्जा समान है । साथ ही प्रत्येक पक्ष एक ऐसे कार्यकारी निदेशक के अन्तर्गत कार्यरत हैं जिसे संबद्ध क्षेत्र का ज्ञान और अनुभव प्राप्त है । अध्यक्ष के सचिवालय सहित कुछ अन्य विभाग सीधे अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अधीन कार्य करते हैं, जो नीति निरूपण, कार्यपरिणामों के मूल्यांकन, अभिनव गतिविधियों के विकास और निदेशक बोर्ड द्वारा दिये गये नीति निर्देशों के आलोक में दोनों पक्षों के कार्यों के अधीक्षण में प्रबन्ध की सहायता करते हैं ।

अन्तर्देशीय वित्त पक्ष सहायता से सम्बन्धित उन सभी पहलुओं को देखता है जिसमें अन्तर्देशीय परियोजनाओं के चयन और समीक्षा, वित्तपोषण और अनुवर्तन शामिल हैं । वस्त्र, इन्जीनियरी, सीमेन्ट और चीनी जैसे उद्योगों की लड़खड़ाती इकाइयों को सहायता देने का दायित्व भी इस पक्ष को सौंपा गया है, इसके अलावा यह पक्ष ऐसी सहायिक इकाइयों की ओर विशेष ध्यान देता है जिनमें अस्वस्थता के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हों । इस पक्ष के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं - अल्पविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना, अखिल भारतीय औद्योगिक संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य स्तरीय औद्योगिक वित्तपोषक और विकास ऐजेन्सियों में प्रभावी समन्वय स्थापित करना ।

संवर्धनात्मक गतिविधियों में स्फूर्ति लाने के लिए भूतपूर्व परियोजना प्रवर्तन और परामर्श विभाग को एक सुदृढ़ क्षेत्रीय और पिछड़े क्षेत्र विकास विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया है । सम्बन्धित क्षेत्रों में संवर्धनात्मक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक अलग विकास कक्ष स्थापित किया जा चुका है ।

निर्यात विभाग को एक पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पक्ष के रूप में पुनर्गठित

किया गया है ताकि इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों को अच्छी और अधिक व्यापक वित्तीय और सलाहकारी सेवायें प्रदान की जा सकें और वह वास्तव में एक निर्यात बैंक की तरह कार्य कर सकें । यह पक्ष औद्योगिक आयातों के लिए देश को उपलब्ध की गयी विदेशी ऋण पूर्णालियों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान की गयी ऋण प्रणाली का कामकाज भी देखता है ।[8]

परियोजना विभाग को पुनर्गठित करके उसमें आवश्यक कार्मिकों, विशेष रूप से वरिष्ठ (प्रबन्धक) स्तर के अधिकारियों को रखा गया है । तीन उपमहाप्रबन्धकों (वित्तीय) और उपमहाप्रबन्धकों (तकनीकी) के अन्तर्गत 6 ऋण विभाग गठित किये गये हैं जो प्रत्यक्ष सहायता के कार्यकारी महाप्रबन्धक और तकनीकी सलाहकार के प्रति उत्तरदायी होंगे । प्रथम चार ऋण विभाग सामान्यत: मूल्यांकन, दस्तावेज बनाने, वितरण तथा अनुवर्तन का कार्य देखते हैं । पाँचवां ऋण विभाग चुने हुए उद्योगों के लिए रियायती ऋणों से सम्बन्धित आवेदनों का काम देखता है और छठा ऋण विभाग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त अस्वस्थ इकाइयों की देखभाल करता है । मूल्यांकन वितरण और अनुवर्तन की कार्यविधियों के विलियन से मंजूरी के बाद होने वाले विलम्ब को दूर करने और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त पृष्ठसूचना जुटाने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 'अग्रणी' संस्था के मूल्यांकन को स्वीकार करने का निश्चय किया है और अनुवर्तन सम्बन्धी कार्य 'अग्रणी' संस्था को सौंपने पर भी कार्यवाही पूरी हो गयी । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की क्रियाविधि के लिए नियुक्त समिति (नरसिंहम् समिति) द्वारा सुझाये गये समयबद्ध कार्यक्रम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने स्वीकार कर लिया और उसे कार्यान्वित भी कर

---

8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 20, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन और आवरण मुद्रण टाटा प्रेस, बम्बई ।

दिया । इसके अनुसार प्रत्यक्ष सहायता के आवेदन पत्र 4 से 6 महीने के भीतर निप-टाये जाते हैं । मंजूरी के बाद होने वाले विलम्ब की छानबीन करने और सम्बन्धित विषयों पर विचार करने के लिए एक और समिति नियुक्त की जा चुकी है ।

इस प्रकार पुनर्वित्त निगम के विलय एवं औद्योगिक वित्त निगम की अंश पूँजी में आधे स्वामित्व को प्राप्त कर लेने के बाद भारत के औद्योगिक विकास बैंक की स्थिति अत्यन्त अच्छी प्रतीत होती है । विकास बैंक पुनर्वित्त एवं ऋण पूर्ति के क्षेत्र में समन्वय संतुलन एवं नियन्त्रण लागू करने में सक्षम हो गया । सन् 1976 में इस बैंक को प्रदान की गयी भूमिका के सन्दर्भ में इसके महत्व एवं कार्यक्षेत्र में और अधिक वृद्धि दिखाई पड़ती है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने नये संगठित रूप में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में देश का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी संगठन बन गया है। वस्तुतः देश में स्थापित वित्तीय एवं विकास निगमों की श्रृंखला में अब औद्योगिक विकास बैंक भारत का एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान का दर्जा प्राप्त कर चुका है ।

---------::0::---------

सप्तम् अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों की प्रगति

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों की प्रगति

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 30 जून 1987 को अपने तेइस वर्ष पूरा कर चुका है । इस 23 वर्ष की अवधि में औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य बहुत ही सराहनीय रहे हैं । कुल मिलाकर विकास बैंक द्वारा उन्नीस वर्ष की अवधि अर्थात् 30 जून 1983 तक 10,390.3 करोड़ रूपयों की वित्तीय सहायता की स्वीकृति की गयी है जिसमें से केवल 7,410.8 करोड़ रूपयों की वित्तीय सहायता वितरित की गयी है । इस रूपये को विभिन्न मदों के लिए वितरित किया गया है जिसके लिए तालिका नं0 1 प्रस्तुत है :-

करोड़ रूपयों में

क्र0 स0	योजना	स्वीकृत	वितरित
1.	प्रत्यक्ष सहायता		
	(अ) परियोजना ऋण	2551.7	1799.7
	(ब) अभिगोपन एवं प्रत्यक्ष अभिदान	306.4	126.4
	(स) सुलभ ऋण	455.2	333.3
	(द) तकनीकी विकास फण्ड	68.2	53.7
2.	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	4356.5	3028.9
3.	बिलों की पुनर्भनाई	2175.8	1656.6
4.	वित्तीय संस्थाओं के अंशों एवं बांडों में अभिदान	283.4	379.5
5.	बीज पूँजी सहायता	18.6	8.8
	योग	10315.8	7386.9
6.	ऋणों की गारंटी और अन्तराल भुगतान	74.5	23.9
	कुल योग	10390.3	7410.8

तालिका नं0 1 में स्वीकृत एवं वितरित सहायता 1983 तक प्रस्तुत की गयी है । 1983 के बाद अब तक अर्थात् 1987 तक प्रदान की गयी सहायता के विवरण के लिए आगे तालिका नं0 2 प्रस्तुत है -

योजनाबद्ध स्वीकृत सहायता

करोड़ रूपयों में

क्र0 स0	योजना	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987
1.	परियोजना वित्त				
	(अ) परियोजना ऋण	623.47	1095.0	1021.4	1550.3
	(ब) अभिगोपन एवं प्रत्यक्ष अभिदान	70.28	137.5	74.7	136.3
2.	तकनीकी विकास फण्ड	17.56	20.9	25.2	39.0
3.	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	862.71	1241.9	1564.0	1643.4
4.	बिलों की पुनर्भुनाई	663.70	634.1	928.0	1014.2
5.	वित्तीय संस्थाओं के अंशों एवं वाण्डों में अभिदान	51.35	118.4	61.6	191.3
6.	बीज पूँजी	10.93	13.8	16.2	12.9
	योग	2300.00	3261.6	3691.1	4587.4
7.	ऋणों की गारंटी और अन्तराल भुगतान	17.47	192.6	23.7	68.9
8.	विदेशी मुद्रा के ऋणों में गारंटी	-	-	24.0	-
	कुल योग	2317.47	3454.2	3738.8	4656.3

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 16, बी0बरदाराजन टाटा प्रेस लि0 बम्बई 4000025.

तालिका नं0 2 से स्पष्ट है कि विकास बैंक द्वारा 1986-87 तक विभिन्न मदों पर सहायता की जो राशि स्वीकृति की गयी है उसमें इस बैंक द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लाभ औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त को मिला है । उसके बाद परियोजना ऋणों और बिलों की पुनर्भुनाई का स्थान आता है । अन्य प्रकार की विभिन्न सहायताओं में सुलभ ऋणों, वित्तीय संस्थाओं के अंशों एवं बाण्डों में अभिदान एवं अभिगोपन तथा प्रत्यक्ष अभिदान के नाम उल्लेखनीय हैं ।

उपर्युक्त जो राशियाँ सहायता के रूप में बताई गयी हैं यह पिछले 1978-79 की अपेक्षा काफी अधिक हैं जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कार्यों की प्रगति का प्रतीक है क्योंकि 1979 में यह राशि मात्र 4919 करोड़ रूपये ही थी और इसमें से वितरण भी केवल 2777 करोड़ रूपये ही किया गया था ।

चौथी योजना के अन्त तक स्वीकृत एवं वितरित सहायता की वार्षिक राशि अधिक नहीं थी किन्तु इसके बाद वार्षिक राशियों में काफी वृद्धि हुई है । छठीं योजना में वृद्धि की दर विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है । विभिन्न वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गयी सहायता तथा उसके वितरण का व्यौरा एक तालिका नं0 3 द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है ।

तालिका नं0 3 से स्पष्ट है कि विकास बैंक ने पिछले वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है । केवल इस अवधि में विकास बैंक ने अब तक स्वीकृत सहायता की कुल राशि का तीन चौथाई भाग ही मंजूर किया । 1978-79 के दौरान विकास बैंक ने 1126 करोड़ रूपये मंजूर किये जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 400 करोड़ रूपये से भी अधिक था । इसी प्रकार हाल के वर्षों में वितरित की गयी सहायता राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा 200 करोड़ रूपये अधिक रही है और 1979 के बाद स्वीकृत तथा वितरित सहायता में लगातार आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है । इसी प्रकार 1981-82 की

तालिका नं0 3

वर्ष	स्वीकृत	वितरित
1964-65	28.6	20.7
1965-66	69.8	51.0
1966-67	62.4	59.3
1967-68	39.7	34.7
1968-69	62.6	48.7
1969-70	60.6	52.2
1970-71	69.6	57.6
1971-72	148.9	80.1
1972-73	96.6	81.7
1973-74	167.0	137.0
1974-75	253.7	203.1
1975-76	304.6	223.5
1976-77	539.6	341.4
1977-78	679 .5	410.3
1978-79	724.8	618.1
1979-80	1131.9	752.9
1980-81	1291.2	1014.1
1981-82	1549.8	1217.9
1982-83	1800.2	1498.5
1983-84	2375.5	1774.3
1984-85	3454.2	2073.7
1985-86	3738.8	2783.7
1986-87	4656.3	3205.9
मार्च 1987 के अन्त तक संचयी[2]	23232.1	16749.7

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87 पृष्ठ संख्या 15 बी0बरदाराजन टाटा प्रेस लि0 बम्बई 400025.

अपेक्षा 1982-83 में भी स्वीकृत और वितरित सहायता में अभूतपूर्व प्रगति हुई है । क्योंकि 1981-82 में स्वीकृति सहायता 1742.1 करोड़ रूपये की जो 1982-83 में बढ़कर 2183.8 करोड़ रूपये स्वीकृति हुई और जिसमें से 1580.9 करोड़ रूपये वितरित हुई । यह पिछले वर्षों की अपेक्षा अभूतपूर्व प्रगति का प्रतीक है ।

विशेष रूप से तो 1975-76 से ही विशेष सहायता का दौर चला था क्योंकि इस वर्ष 445.7 करोड़ रूपये की सहायता मंजूर की गयी अर्थात् पिछले वर्ष की 319.6 करोड़ रूपयों की सहायता से 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई । पिछले वर्षों 1974 में मंजूर 6977 आवेदनों की संख्या के मुकाबले वर्ष 1975-76 में 10086 आवेदन मंजूर किये गये अर्थात् इस संख्या में भी 45 प्रतिशत की विशेष बढ़ोत्तरी हुई । 1975-76 के दौरान वितरित की गयी सहायता भी 38 प्रतिशत बढ़कर 291.6 करोड़ रूपये हो गयी थी जबकि 1974-75 में यह राशि 211.7 करोड़ रूपये ही थी ।[3] हाल के वर्षों में अर्थात् 1983-84 और 1984-85 में विकास बैंक द्वारा स्वीकृत राशि क्रमशः 2375.5 करोड़ रूपये तथा 3454.2 करोड़ रूपये थी जो पिछड़े वर्षों अर्थात् 1982-83 तथा 1981-82 की अपेक्षा काफी अधिक है ।

इसी प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत वर्षों (1985-86) में 3738.8 करोड़ रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गयी जो पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक है । 1983-84, तथा 1984-85 एवं 1985-86 में जो सहायता राशि स्वीकृत की गयी उसमें से क्रमशः 1774.3, 2073.7 एवं 2783.7 करोड़ रूपयों की सहायता राशि वितरित भी की गयी अभी गत वर्ष 1986-87 में 4656.3 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करके 3205.9 करोड़ रूपये वितरित किया गया जो इस बात का प्रतीक है कि विकास बैंक ने अपनी स्थापना से आज तक लगातार विकास में महत्त्वपूर्ण योग-दान दिया है ।

---

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 25, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

विकास बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता का क्षेत्रीय वितरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लगभग तीन चौथाई सहायता निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के लिए मंजूर की है। शेष एक चौथाई सहायता अन्य तीन क्षेत्रों में स्थापित किये गये उपक्रमों को प्रदान की है। जैसा कि तालिका नं0 4 से स्पष्ट हो रहा है यह राशि केवल 1979 तक ही दर्शायी गयी है।

क्षेत्र	धनराशि करोड़ रू0में	प्रतिशत
सार्वजनिक	529.13	13.7
संयुक्त	345.08	8.7
सहकारी	136.74	3.5
निजी	2848.57	73.9
योग	4318.9	100.0

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जिन क्षेत्रों की कम्पनियों को सहायता दी है वह दी गयी सारणी से स्पष्ट है। यह राशि जून 1979 तक प्रदान की गयी थी। इसके बाद जो राशि इन उपक्रमों के लिए मंजूर की गयी है वह तालिका नं0 5 में प्रदर्शित किया गया है।[4]

तालिका नं0 5 से भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि विकास बैंक ने निजी क्षेत्र में स्थापित उपक्रमों को सबसे अधिक सहायता प्रदान की है।

---

4. भारत में विकास बैंकिंग पर रिपोर्ट 1986-87 पृष्ठ संख्या 19, बी0वरदाराजन टाटा प्रेस, बम्बई।

तालिका नं० 5

विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृत सहायता का वितरण

करोड़ रूपयों में

क्षेत्र	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	मार्च 1987 के अन्त तक संचयी
सार्वजनिक	207.44	643.55	443.8	816.1	900.0	3750.3
संयुक्त	67.85	261.88	117.7	124.8	297.0	1399.9
सहकारी	119.37	54.26	46.2	77.4	67.2	554.9
निजी	1515.88	1588.36	2521.6	2591.1	3119.0	16262.3
योग	1910.24	2368.05	3229.3	3613.4	4388.2	21967.4

अब हम एक तालिका नं० 6 द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की कम्पनियों को वितरित की गयी सहायता का अध्ययन करेंगे ।

तालिका नं० 6

विभिन्न क्षेत्रों में वितरित की गयी सहायता[5] (करोड़ रूपयों में)

क्षेत्र	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	मार्च के अन्त संचयी
सार्वजनिक	119.78	434.00	393.57	514.34	614.40	2720.39
संयुक्त	84.49	53.40	72.48	118.38	168.26	862.01
सहकारी	32.38	50.34	64.02	97.33	55.20	447.00
निजी	1121.68	1179.10	1430.96	1809.54	2089.03	11632.32
योग	1438.33	1716.84	1961.03	2539.59	2926.89	15662.32

5. भारत में बैंकिंग विकास पर रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 19, वी० वरदाराजन टाटा प्रेस लि० बम्बई ।

तालिका नं0 6 से भी यह बात स्पष्ट हो रही है कि विकास बैंक ने ऐसे उपक्रमों को ही सहायता अधिक है जो निजी क्षेत्र में स्थापित हैं ।

उद्योग के अनुसार स्वीकृति सहायता का वितरण 1979

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा आधारभूत उद्योगों को सबसे अधिक सहायता प्रदान की गयी है । दूसरा स्थान ऐसे उद्योगों को प्राप्त है जो इण्टर-मीडिएट गुड्स इत्पादित करती हैं । तीसरा स्थान ऐसे उद्योगों को प्राप्त है जो पूँजीगत माल का उत्पादन करते हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने समय-समय पर उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध की है जो एक तालिका के द्वारा स्पष्ट है :-

तालिका नं0 7

	उद्योग	धनराशि करोड़ रू0 में	प्रतिशत
⁑	आधारभूत उद्योग		
⁅1⁆	आधारभूत धातु उद्योग	107.40	4.6
⁅2⁆	आधारभूत रासायनिक उद्योग	120.20	3.1
⁅3⁆	उर्वरक	265.45	6.8
⁅4⁆	सीमेन्ट	141.73	3.6
⁅5⁆	अन्य ⁅खनन, विद्युत, जनन आदि⁆	286.26	7.4
	योग	921.10	25.5
	पूँजीगत उद्योग		
⁅1⁆	संयंत्र उद्योग	402.82	10.3
⁅2⁆	विद्युत संयंत्र उद्योग	149.17	3.8
⁅3⁆	परिवहन उपकरण	87.39	2.3
	योग	639.38	16.4

	उद्योग	धनराशि करोड़ रू0 में	प्रतिशत
	उपभोज्य वस्तु उद्योग		
§1§	चीनी उद्योग	126.47	3.3
§2§	खाद्यान्न उद्योग	163.83	4.2
§3§	सूती वस्त्र उद्योग	584.77	15.2
§4§	अन्य उद्योग	148.83	3.7
	योग	1018.90	26.4
	विभिन्न उद्योग		
§1§	जूट	97.27	2.5
§2§	टायर्स एवं ट्यूब्स उद्योग	64.56	1.7
§3§	पेट्रोरासायनिक उद्योग	22.95	0.6
§4§	विविध रासायनिक उद्योग	193.63	5.0
§5§	धातु उत्पादन उद्योग	95.31	2.4
§6§	कागज उद्योग	170.73	4.3
§7§	काँच उद्योग	26.12	0.7
§8§	विविध उद्योग	116.12	3.0
	योग	786.69	20.2
	सेवा उद्योग		
§1§	होटल, सड़क एवं परिवहन तथा अन्य	448.55	11.5
	योग	448.55	11.5
	सम्पूर्ण योग	3814.62	100.0

उद्योग के अनुसार वितरित सहायता का विवरण तालिका नं0 7 से स्पष्ट हो रहा है। विकास बैंक ने जून 1979 तक विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को काफी सहायता प्रदान की है। 1979 के बाद भी इस बैंक द्वारा सहायता के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है जिसका विवरण निम्न तालिका नं0 8 में प्रस्तुत है :-

तालिका नं0 8

उद्योगों के अनुसार स्वीकृत सहायता[6]

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	उद्योग	1984-1985	1985-1986	1986-1987	संचयी मार्च के अन्त में
1.	खाद्यान्न उत्पादन	146.3	143.8	179.3	1166.9
2.	वस्त्र उद्योग	273.3	310.0	344.1	2647.4
3.	उर्वरक	391.0	103.5	426.4	1428.1
4.	आधारभूत रसायन उद्योग	143.0	213.6	139.4	960.7
5.	विविध रसायन	161.3	191.9	293.2	1376.7
6.	सीमेन्ट	209.8	143.7	170.3	1047.1
7.	विद्युत उत्पादन	312.8	621.8	526.7	2131.5
8.	सेवायें	527.0	594.8	781.6	3628.1
	योग (अन्य जोड़कर)	3129.3	3613.4	4383.2	21967.4

उद्योग के अनुसार स्वीकृत सहायता की तालिका से यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता का उद्योगवार वितरण सबसे अधिक

---

6. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1987, पृष्ठ संख्या 19, वी0 वरदारजन टाटा प्रेस लि0 4000025, बम्बई।

उपभोज्य वस्तु उद्योग को प्रदान किया गया है । कुल स्वीकृत सहायता में इन्हें 26.4 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई गयी । दूसरा स्थान आधारभूत उद्योगों का था जिन्हें कुल सहायता का लगभग एक चौथाई भाग प्राप्त हुआ । पूँजीगत उद्योग के लिए कुल 639.38 करोड़ रूपये राशि की सहायता स्वीकृत की गयी जो कुल सहायता का 16.4 प्रतिशत था । शेष 20 प्रतिशत सहायता अन्य उद्योगों को उपलब्ध की गयी थी ।

व्यक्तिगत उद्योग के दृष्टिकोण से वित्तीय सहायता के वितरण का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग का सहायता प्राप्त करने में प्रथम स्थान था जिसे कुल सहायता का अकेले 15 प्रतिशत से भी अधिक भाग प्राप्त हुआ । दूसरा, तीसरा तथा चौथा स्थान क्रमश: संयंत्र, निर्माणी उद्योग, उर्वरक तथा विविध रासायनिक उद्योगों का था ।

उक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा नवीनतम उद्योगों को सहायता प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया है । किन्तु साथ ही साथ सूती वस्त्र उद्योग को सहायता प्राप्त करने में जिसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है औद्योगिक विकास बैंक से भरपूर मदद मिली है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पहली बार 1976 में ही प्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत 108 औद्योगिक परियोजनाओं को 116.4 करोड़ रूपये के आंकड़े को पार कर दिया था ।[7] जबकि हाल के वर्षों में उससे भी अधिक सहायता विकास बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को प्रदान की गयी है । 1980 के बाद विकास बैंक द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के लिए 1982-83 और 1983-84 में क्रमश: 118.42

---

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 28, डिजाइन:इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस बम्बई ।

और 134.96 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये जिसमें से 69.00 करोड़ तथा 95.93 करोड़ रूपयों का वितरण भी हुआ । इसी प्रकार इन्हीं वर्षों के दौरान 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में क्रमश: 146.33, 143.84 तथा 179.33 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये जिसमें से 119.66, 114.66 और 139.67 करोड़ रूपये वितरित हुए ।

1982 से लेकर 1987 तक लगातार सहायता में वृद्धि हुई है । उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्व इन वर्षों के दौरान खाद्यान्न, वस्त्र, रसायन, उर्वरक, सीमेन्ट और विद्युत क्ष पर दिया गया है । इन उद्योगों पर 1984-85 में 3129.3 करोड़ रूपये की स्वीकृत दी गयी थी जो 1985-86 में बढ़कर 361.34 करोड़ रूपये हो गयी। इसी प्रकार यह राशि 1986 से 1987 में बढ़कर 4383.2 करोड़ रूपये हो गयी जो महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है ।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक भारतीय पूँजी बाजार को जो गति प्रदान की है अत्यन्त ही सराहनीय है । इसके अतिरिक्त विकास बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया है जिसका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे ।

<u>पिछड़े क्षेत्रों को सहायता</u>

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का निर्णय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अगस्त सन् उन्नीस सौ सत्तर में किया गया । पिछड़े हुए जिले वे होंगे जो केन्द्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों के लिए पिछड़े हुए घोषित किये जायँ । ये रियायती सहायता अनेकों प्रकार की होती हैं । जैसे ब्याज दर में छूट (एक प्रतिशत), ऋणों की भुगतान अवधि में वृद्धि, चुनी हुई परियोजनाओं की जोखिम पूँजी में प्रत्यक्ष अभिदान, अभिगोपन कमीशन में पचास प्रतिशत की छूट आदि । परामर्श सेवाओं के लिए वसूल किये जाने वाले शुल्क में छूट आदि। इसी प्रकार की सुविधाएं पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए औद्योगिक वित्त निगम द्वारा भी दी गयी हैं । सन्x1970 से पूर्व विकास बैंक द्वारा पिछड़े हुए जिलों में दी गयी

सहायता इसके द्वारा प्रदत्त कुल सहायता की तुलना में केवल 16.3 प्रतिशत थी जो कि सन् 1983 तक बढ़कर 53.1 प्रतिशत हो गयी थी ।

1976 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हुंडियों की पुनर्भुनाई के लिए 951 खरीददार उपयोग-कर्ताओं के सम्बन्ध में मंजूर की गयी 120.8 करोड़ रूपयों की राशि 1974-75 के दौरान 1062 खरीददार उपयोगकर्ताओं के सम्बन्ध में मंजूर की गयी 114.4 करोड़ रूपयों की राशि की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक थी । निर्यात वित्त योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी मंजूरियों की 42.8 करोड़ रूपयों की राशि पहले के मंजूरियों की तुलना में कम थी जबकि वितरणों की राशि काफी बढ़ गयी थी । पिछड़े हुए क्षेत्रों को 1976 के बाद दी गयी सहायता में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है अभी हाल के वर्षों में पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष सहायता राशि मंजूर की गयी है जिनका विवरण तालिका नं0 9 द्वारा स्पष्ट है[8]:-

तालिका नं0 9

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	पिछड़े क्षेत्र	बिना पिछड़े क्षेत्र	योग
1984-85	1598.6	1530.7	3129.3
1985-86	1634.0	1979.4	3613.4
1986-87	1846.8	2536.4	4383.2
मार्च 1987 के अन्त तक संचयी	9654.4	12313.0	21967.4

8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 19, वी0 वरदारजन टाटा प्रेस बम्बई 4000025.

औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त

राज्य वित्त निगमों तथा अन्य बैंकों द्वारा उद्योगों को प्रयाप्त मात्र में सहायता पहुँचाने की दृष्टि से औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक ऋणों के लिए पुन-र्वित्त प्रदान करता है । इस कार्य में बैंक ने काफी सुविधा एवं सुधार किये हैं । पुनर्वित्त में सबसे अधिक भाग राज्य वित्त निगमों का है जो विकास बैंकों द्वारा दिये गये कुल पुनर्वित्त का 2/3 है । 30 जून 1982 तक निगम द्वारा प्रदान औद्यो-गिक ऋणों के पुनर्वित्त की राशि 3.323 करोड़ रूपये थी । इस प्रकार औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त में 81 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है । 1974-75 में 5777 प्रार्थनापत्रों पर 96.4 करोड़ रूपयों की राशि बढ़कर 1975-76 में 8932 प्रार्थनापत्रों पर 174.4 करोड़ रूपये हो गयी । 1977-78 में, इस सम्बन्ध में, 224.2 करोड़ रूपया स्वीकृत किया गया जो 1978-79 में बढ़कर 417.31 करोड़ रूपया हो गया । इसमें से लगभग 64 प्रतिशत लघु स्तरीय उद्योगों और लघु सड़क परिवहन परियाकों के सम्बन्ध में था । बिल के पुनर्बट्टे की योजना में स्वीकृत राशि में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1978-79 में 139.3 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी जबकि 1977-78 में केवल 133.4 करोड़ रूपये था ।

औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त जो भी स्वीकृत किया गया है उसमें प्रत्येक वर्ष लगातार वृद्धि हुई है । 1982-83 तथा 1983-84 में 788.12 तथा 862.71 करोड़ रूपये की राशि औद्योगिक ऋणों के लिए स्वीकृत की गयी थी और यही राशि 1984-85 तथा 1985-86 में बढ़कर 1241.85 तथा 1564.03 करोड़ रूपये हो गयी तथा अन्त में ‡1987‡ में यह राशि बढ़कर 1643.43 करोड़ रूपये हो गयी । 1982 से 1987 तक इस स्वीकृत राशि में से क्रमशः 660.50, 730.80, 930.40, 1047.43 तथा 1246.26 करोड़ रूपये वितरित भी किया गया है । यह राशि लगातार बढ़कर औद्योगिक ऋणों में पुनर्वित्त की भूमिका लगातार निभा रही है ।

प्रत्यक्ष अभिदान एवं अभिगोपन के क्षेत्र में स्वीकृत राशि 11.2 करोड़ से बढ़ कर 1974-75 में 12.1 करोड़ थी । इसमें किया गया भुगतान 2.3 करोड़ रूपसे से

बढ़कर 6.8 करोड़ रूपये हो गया । 1977-78 में यह राशि बढ़कर 20.1 करोड़ रूपये और 1978-79 में बढ़कर 27.4 करोड़ रूपया हो गयी ।

1978 में इसके द्वारा परियोजना प्रत्यक्ष सहायता 134 परियोजनाओं पर 283 करोड़ रूपये की दी गयी इसमें से 116 परियोजनाओं के लिए 256 करोड़ रूपयों का ऋण दिया गया और 60 कम्पनियों की अंशपूँजी में प्रत्यक्ष अभिदान तथा अभिगोपन भी 27 करोड़ रू0 की राशि का किया गया । भुगतान की राशि 1977-78 में 169 करोड़ रूपयों से बढ़कर 1978-79 में 178 करोड़ रू0 हो गयी । कुल दी गयी सहायता का 88 प्रतिशत नवीन परियोजनाओं की स्थापना के लिए था । सार्वजनिक एवं सम्मिलित तथा सहकारी क्षेत्रों को दी गयी सहायता क्रमशः 40 एवं 60 प्रतिशत थी । आधारभूत उद्योगों को कुल सहायता का 69 प्रतिशत दिया गया। परियोजना प्रत्यक्ष सहायता योजना के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों को 134 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी । जिसमें से रियायती राशि 113 करोड़ रूपये थी टेक्नीकल डेवलपमेण्ट फण्ड योजना के अन्तर्गत 1978-79 में 46 इकाइयों को 6 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गयी जबकि 1977-78 में 29 इकाइयों को 4 करोड़ रूपये ही स्वीकृत किया गया ।

बीज पूँजी योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से जून 1979 तक 5 करोड़ रूपये के लिए 90 प्रार्थनापत्र आये, इसमें से 63 प्रार्थनापत्रों पर 2 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया और एक करोड़ रूपयों का भुगतान किया गया । पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्वीकृत धनराशि 1978-79 में 337.4 करोड़ रूपये की राशि थी जबकि 1977-78 में 298.4 करोड़ रू0 थी । परन्तु कुल स्वीकृत राशि के प्रतिशत के रूप में यह 1977-78 में 47.5 प्रतिशत से घटकर 1978-79 में 39.4 प्रतिशत हो गया था ।

प्रवर्तन से सम्बन्धित कार्यकलापों के अन्तर्गत इसने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, जम्बू एवं काश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में परामर्श देने के लिए संगठन स्थापित किये । इसने अण्डमान तथा नीकोबार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट

प्रस्तुत की । 17 राज्यों में इसने अन्तर्संस्थागत दल स्थापित किये । इसके संयुक्त संस्थागत दल के द्वारा 389 परियोजनाओं, जिसमें 2645 करोड़ रूपयों का विनियोग 74 परियोजनाओं पर हुआ ।

बिलों की पुनर्भुगतान योजना

स्थगित भुगतान के आधार पर बेंची जाने वाली घरेलू मशीनरियों से सम्बन्धित बिलों एवं प्रतिज्ञापत्रों के पुन: भुनाने की योजना अप्रैल सन् 1965 में प्रारम्भ की गयी और 30 जून सन् 1987 तक इस योजना के द्वारा 5320.34 करोड़ रूपयों की सहायता स्वीकृत की गयी ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों को सहायता

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पिछड़े हुए क्षेत्रों में सबसे अधिक वित्तीय सहायता देने पर जोर दिया है । 30 जून 1982 तक स्वीकृत 7895 करोड़ रूपयों की सहायता में से 3352 करोड़ रूपयों की राशि पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गयी थी ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वित्तीय सहायता के साथ ही विकासात्मक कार्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया है । देश के सभी पिछड़े हुए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में भी 'औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण' का कार्य पूरा किया गया है । विकसित राज्यों में पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण कार्य करने के लिए विकास बैंक ने सम्बन्धित राज्यों और राज्य वित्त निगमों से सम्पर्क बनाया है और उनको इस सम्बन्ध में आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करायी है ।

सन् 1981-82 में भारत सरकार ने राज्यों में 83 गैर औद्योगिक जिलों की घोषणा की थी औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन जिलों में औद्योगिक संभाव्यता का सर्वेक्षण करने की योजना बनाई गयी है । विकास बैंक द्वारा स्थापित तकनीकी सलाहकार संगठनों की संख्या 14 हो गयी है । विकास बैंक द्वारा देश में साहसी विकास

कार्यक्रमों में भी सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है । 1981-82 में अहमदाबाद में स्थापित हुए 6 साहसिक विकास का राष्ट्रीय केन्द्र' के लिए विकास बैंक ने 56 लाख रूपयों का अंशदान दिया है । देश के विभिन्न भागों में उद्योगों से सम्बन्धित तकनीकी सर्वेक्षणों और अनुसंधानों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तकनीकी सहायता कोष में से सहायता दी जाती है । पिछड़े हुए क्षेत्रों को 1984-85 तथा 1985-86 एवं 1986-87 में क्रमश: 1598.6, 1634.0 तथा 1846.8 करोड़ रूपयों की स्वीकृति की गयी थी ।[9]

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी स्थापना से अब तक इतनी अधिक महत्वपूर्ण प्रगति की है जो अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा कहीं अधिक है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 1982-83, 1983-84 और 1984-85 की सामान्य निधि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है जो विकास बैंक की प्रगति का संकेत है ।

तालिका नं0 10[10]

सामान्य निधि

लाख रूपयों में

ब्यौरा	1984-85	1983-84	1982-83
1	2	3	4
अधिकृत पूंजी			
साधन एवं उपयोग	50,000	50,000	40,000

9. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 19.
10. भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 भाग 1, खण्ड 3, पृष्ठ संख्या 636.

1	2	3	4
साधन एवं उपयोग	-	-	-
उपलब्ध साधन	-	-	-
चुकता पूँजी	41,500	3,850	25,500
<u>ऋण</u>			
केन्द्रीय सरकार से	33,218	33,283	32,501
विदेशी पार्टियों से	6,143	2,381	609
<u>औरों से</u>			
भारतीय रिजर्व बैंक बन्धपत्र एवं ऋणपत्र	2,53,828 3,32,898	2,30,278 2,60,311	1,93,627 2,00,050
कम्पनी के जमाखाते के अन्तर्गत जमाराशि (आयकर पर अधिकार) पर प्रभार	20,399	6,999	400
उपहार अनुदान दान एवं धर्मदान चालू देनदारियाँ और प्रावधान	73,791	55,432	36,241
<u>आन्तरिक साधन</u>			
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	28,474	23,622	19,360
मूल्य ह्रास (संचयी)	423	332	246
योग	7,90,677	6,51,138	5,08,990
2. <u>साधनों का उपयोग</u>			
सकल परिसम्पत्ति	3,737	1,323	1,549
नकद और बैंक जमा	1,649	698	2,432

1	2	3	4
हथरोकड़ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि एवं अन्य बैंकों में जमा राशि			
1. चालू खाते में	184	150	659
2. जमा खाते में	1,211	2,839	68
3. निवेश			
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	21,723	15,989	-
औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टाकशेयरों बन्धपत्र एवं ऋणपत्र में	58,062	42,753	40,751
परिवर्तित ऋणों सहित ऋण एवं अग्रिम	6,75,605	5,59,437	4,36,777
अन्य परिसम्पत्तियाँ	31,083	27,900	26,680
आस्थगित राजस्व व्यय	27	52	74
योग	7,90,677	6,51,138	5,08,990
निवल मूल्य	69,977	62,070	44,786
4. कार्यचालन परिणाम			
प्रचालन आय (सकल)	53,470	41,099	32,185
घटाकर-बिक्री पर कमीशन, छूट एवं बट्टा अन्य आय	850	1,014	1,392
	54,320	42,113	33,577
ब्याज			
केन्द्रीय सरकारी ऋणों पर	2,413	2,350	2,274

1	2	3	4
विदेशी ऋणों पर	392	139	18
अन्य ऋणों पर	41,477	31,529	24,253
प्रचालन व्यय	1,934	1,544	1,326
मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था	94	86	52
बट्टे खाते डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय	25	26	26
3. करपूर्व निवल लाभ	7,991	6,439	5,628
4. कर के लिए व्यवस्था			
5. कर पश्चात् निबल लाभ	7,991	6,439	5,628
6. घोषित लाभांश	3,240	2,156	1,541
7. प्रतिधारित लाभ	4,751	4,283	4,087
5. प्रतिशतता			
चुकता पूँजी की तुलना में निबल लाभ	193.0	16.7%	22.1%
निबल मूल्य की तुलना में निबल लाभ	11.4	10.4%	12.5%

उपरोक्त सारणी से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों में आय, व्यय एवं लाभ का क्या ब्यौरा है और विभिन्न तीन वर्षों में क्या उतार चढ़ाव आया है ।

--::0::--

अष्टम् अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वित्तीय सहायता के विभिन्न स्वरूप

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वित्तीय सहायता के विभिन्न स्वरूप

औद्योगिक विकास बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करता रहा है। प्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत परियोजना ऋण अभिगोपन एवं प्रत्यक्ष, अभिदान, उदार या सुलभ ऋण, तकनीकी विकास निधि से ऋण एवं स्थगित भुगतान की गारंटियाँ आदि सम्मिलित हैं। अप्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त, बिल पुनर्भुनाई, वित्तीय संस्थाओं के अंशों एवं ऋण पत्रों में अभिदान तथा बीज पूँजी सहायता आदि आते हैं।

प्रत्यक्ष सहायता

इसके अन्तर्गत देश के उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये जाते हैं। उदार ऋण योजना का उद्देश्य देश के चुने हुए सूती वस्त्र, जूट, सीमेंट, चीनी तथा इंजीनियरिंग आदि पाँच उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए उदार शर्तों पर सहायता देना है। फरवरी 1977 से यह सहायता प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अब तक 438 आवेदनपत्रों पर 455 करोड़ रूपयों की सहायता स्वीकृत की गयी थी जिसमें से 333 करोड़ रूपयों की सहायता वितरित की जा चुकी थी। उदार ऋण योजना के अन्तर्गत आई0एफ0 सी0आई0 तथा आई0सी0आई0सी0आई0 भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ साथ सहयोग प्रदान करते हैं। इन तीनों निगमों द्वारा जून 1983 तक उदार ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं वितरित सहायता क्रमशः 1024 करोड़ एवं 574 करोड़ रूपये थी। इस योजना का प्रारम्भ उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था। यह योजना भारतीय वित्तीय संस्थाएं मिलकर चला रहे हैं तथा सूती-वस्त्र और सीमेन्ट उद्योगों को अनुदार ऋण सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी बैंक को सौंपी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण सहायता अनुदार शर्तों पर दी जाती है। ये छूट व्याज दर, प्रवर्तक के अभिदान, ऋण साम्य पूँजी अनुपात तथा पुनर्भुगतान अवधि के सम्बन्ध में दी जाती है।

लघु तथा मझौले उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों को प्रेरित करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास बैंक ने कार्यकाल के प्रारम्भ से ही पुनर्वित्त योजना चलायी । इस योजना के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को दिये गये मियादी ऋणों के लिए औद्योगिक विकास बैंक उन्हें पुनर्वित्त की सुविधा देता है । सामान्यतया ऋण स्थिर सम्पत्तियों के वित्तपोषण के लिए होना चाहिए किन्तु कार्यशील पूँजी के लिए भी यह सुविधा दी जा सकती है, बशर्तें कि दीर्घकालीन अवधि के लिए इस पूँजी की जरूरत हो ।

साधारणतया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता देता रहा है । यह क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण योगदान द्वारा आय के न्यायपूरक वितरण, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, उद्यम के आधार को व्यापक करने और अधिक छितरी हुई औद्योगिक वृद्धि से सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करा सका है। स्थापना और उत्पादन प्रारम्भ होने की अवधि के अन्तराल में कमी और पूँजी की सघनता होने से लघु उद्योग क्षेत्र कम लागत पर अधिक रोजगार प्रदान करने में समर्थ है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ आकार की विशालता से पर्याप्त मितव्ययिता की संभावना नहीं है ।[1]

साधारणतया जिस ऋण के लिए पुनर्वित्त की सुविधा दी जाती है उनकी न्यूनतम राशि 2 लाख रू0 निर्धारित की गयी थी । पुनर्वित्त की अधिकतम सीमा राज्य वित्तीय निगम के सम्बन्ध में 30 लाख रूपये, राज्य औद्योगिक विकास निगम के सम्बन्ध में 60 लाख रूपये तथा बैंक के सम्बन्ध में 50 लाख रूपये निश्चित की गयी थी । केन्द्रीय सरकार की ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित लघु उद्योगों व

---

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 65, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

लघु सड़क परिवहन चालकों को दिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में पुनर्वित्त की न्यूनतम सीमा क्रमशः दस हजार रुपये और बीस हजार रुपये निश्चित की गयी थी जो जुलाई 1978 से समाप्त कर दी गयी है ।

इस लघु उद्योग विभाग की स्थापना नवीन औद्योगिक नीति के द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सौंपी गयी नई भूमिका के निर्वाह के लिए सन् 1977-78 में की गयी । लघु क्षेत्र एवं अति लघु क्षेत्रों के लिए वित्तीय सुविधाओं का विकास करने तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन उद्योगों को प्रदान की जाने वाली साख सुविधाओं का समन्वय करने तथा उनका मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की गयी । औद्योगिक विकास बैंक लघु क्षेत्र को प्रत्यक्ष सहायता नहीं देता है । ऐसी सहायता अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती है जिनके निम्न तीन रूप हैं :-

1. राज्य के लघु क्षेत्र को वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा देकर ;

2. मशीनरी एवं स्थगित भुगतानों के बिलों की पुनर्भुनाई करके तथा

3. उद्यमियों को बीज पूँजी सहायता प्रदान करके ।

एक जून 1983 तक विकास बैंक द्वारा लघु क्षेत्र को प्रदान की गयी कुल सहायता 4356 करोड़ रुपयों की थी जिसमें से 3029 करोड़ रुपयों की सहायता वितरित की जा चुकी थी ।

पुनर्वित्त कार्यकलापों को उत्तरोत्तर उदार और सरल बनाने के फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र को दी जानेवाली भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता में गत 6 वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है ।[2]

---

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 65, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सामान्यतया योग्य ऋणों के 90 प्रतिशत भाग तक के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है । पिछड़े इलाकों में स्थापित उपक्रमों तथा ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत छोटी इकाइयों तथा छोटे सड़क वाहन चालकों तथा अन्य मामलों में 5 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए शत-प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा दी जाती है ।

विकास बैंक जनवरी 1971 से उदार शर्तों पर पुनर्वित्त सुविधा प्रदान कर रहा है । ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत शामिल होने वाले छोटे उपक्रमों, लघुसड़क परिवहन चालकों तथा निर्दिष्ट पिछड़े इलाकों में स्थापित परियोजनाओं के सम्बन्ध में पुनर्वित्त सहायता रियायती व्याज दर पर दी जाती है ।

एक जुलाई 1978 को विकास बैंक ने 'स्वयंक्रिय पुनर्वित्त योजना' चालू की जिसके अन्तर्गत उपक्रमों को दी जाने वाली 5 लाख रूपयों की ऋण सुविधा तथा ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत शामिल होने वाले छोटे उपक्रमों एवं लघुसड़क परिवहन चालकों को दी जाने वाली ऋण सुविधा के लिए पुनर्वित्त सहायता 'स्वयंक्रिय' आधार पर दी जाती है विकास बैंक योग्य संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधा विस्तृत मूल्यांकन किये बिना प्रदान करता है । केवल थोड़े से आवश्यक तथ्यों के आधार पर विकास बैंक पुनर्वित्त सुविधा तुरन्त प्रदान करता है । प्रत्येक ऋण के पुनर्वित्त के लिए पृथक ऋण संविदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । समस्त ऋणों के पुन-र्वित्त के लिए केवल एक ही संविदा पर्याप्त होती है ।

ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत 5 लाख रूपयों से अधिक राशि के ऋणों के संदर्भ में ऐसे ऋणों के 80 प्रतिशत (या विशेष मामलों में इसके अधिक) तक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है । ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों को दिये जाने वाले 25000 रूपयों तक की तकनीकी सहायता योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले ऋणों के सन्दर्भ में प्रदान किये जाने वाले पुनर्वित्त के व्याज की दर 5 प्रतिशत थी बशर्ते की ऋण देने वाली संस्थाएं 8.5 प्रतिशत से अधिक व्याज न ले । 25,000

रूपयों से अधिक ऋणों के पुनर्वित्त पर व्याज की दर 5.5 प्रतिशत थी बशर्ते ऋण देने वाली संस्थाएं 9 प्रतिशत से अधिक व्याज न लें ।[3] सामान्य व्याज दरों में वृद्धि के अनुरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी मार्च 1981 में इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए व्याज दरों में वृद्धि कर दी है । अब प्रत्यक्ष ऋणों के लिए आधारभूत उदार दर 14 प्रतिशत है जबकि कुछ ही समय पूर्व 11.85 प्रतिशत थी । विदेशी मुद्रा में ऋणों पर भी यही दर लागू है । रियायती ऋणों के लिए अब व्याज दर 12.50 प्रतिशत है जबकि पहले यह विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए 8.10 से 11.25 प्रतिशत थी ।

तकनीकी विकास कोष

भारत सरकार द्वारा मार्च सन् 1976 में तकनीकी विकास कोष की स्थापना की गयी । यह एक विशेष कोष है जिसका उद्देश्य स्थापित औद्योगिक क्षमताओं के पूर्ण उपयोग, तकनीकी सुधार एवं निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहन देना है । इस कोष में से औद्योगिक विकास बैंक ऋण स्वीकृत करता है जिसके लिए समयव कार्यक्रम निर्धारित है - अर्थात् आवेदनपत्र की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऋण स्वीकृत किये जाते हैं । इस कोष से ढाई लाख डालर तक के विदेशी मुद्रा में ऋण भी स्वीकृत किये जा सकते हैं ताकि ऋण प्राप्तकर्ता विदेशों से तकनीकी परामर्श ड्राइंग्स, डिजाइन तथा अति-आवश्यक उपकरण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कर सके ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जून 1983 के अन्त तक 68 करोड़ रू0 तकनीकी विकास कोष से स्वीकृति किये गये और 58 करोड़ रूपये वितरित भी किये गये थे । 1984-85 तथा 1985-86 में पुनः इस मद पर 20.9 करोड, 25.2 तथा 39 करोड़ रूपये स्वीकृत करके 11.22 करोड़, 14.87 करोड़ तथा 19.83 करोड़ रू0 वितरित हुए ।

---

3. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1972-73, पृष्ठ संख्या 157, श्री यू0एस0 नवानी प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

<u>बीज पूँजी सहायता योजना</u>

यह सर्वथा नई योजना है जिसके अन्तर्गत ऐसी परियोजनाओं के लिए, जिनकी कुल पूँजी लागत एक करोड़ रूपये तक हो, औद्योगिक विकास बैंक बीज पूँजी के रूप में सहायता प्रदान करता है । ऐसी परियोजनाएं, जो तकनीकी दृष्टि तथा आर्थिक दृष्टि से संभाव्य हों, किन्तु जिनके लिए पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था न हो पा रही हो, इस योजना के अन्तर्गत बीज पूँजी प्राप्त कर सकती हैं । औद्योगिक विकास बैंक इस योजना को एस0एफ0सी0एस0 तथा एस0आई0आई0सी0एस0 एवं एस0आई0डी0सी0एस0 के द्वारा संचालित करता है । ऐसी सहायता कुल परियोजना लागत की दस प्रतिशत अथवा दस लाख रूपये दोनों में जो कम हो स्वीकृत किया जाताहै । इस योजना को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने छोटे तथा मझौले उद्यमियों के सहायतार्थ इस योजना के 1976 के अन्त में प्रारम्भ किया था । बीज पूँजी सहायता बिना व्याज के दी जाती है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक केवल एक प्रतिशत के बराबर सेवा शुल्क वसूल करता है । ऋण का पुनर्भुगतान सहायता देने से पाँच वर्ष बाद किश्तों में किया जाता है । जून 1983 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत 326 आवेदनपत्रों पर 19 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये थे जिसमें से 9 करोड़ रू0 वितरित किये गये थे ।

एक मई 1976 से भारत सरकार ने लघु एवं अनुसंगी उद्योग की परिभाषा में संशोधन कर दिया है । संशोधित परिभाषा के अधीन लघु उद्योगों को एक ऐसे प्रतिष्ठान के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अचल आस्तियों में संयंत्र और मशीन के पिछले 7.5 लाख रूपयों की तुलना में 10 लाख रूपयों से अनाधिक निवेश किया है । अनुषंगी उद्योगों को एक ऐसे प्रतिष्ठान के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने 1 मई 1975 के पिछले 10 लाख रूपयों की तुलना में 15 लाख रूपयों से अनधिक निवेश अचल आस्तियों में संयंत्र और मशीन के लिए किया है ।[4] इस प्रकार

---

4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 65.
डिजाइन:इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

विकास बैंक का स्वरूप पहले से काफी बदल गया है ।

<u>उद्देश्य के अनुसार सहायता का वितरण</u>

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नई परियोजनाओं के निर्माण तथा विद्यमान उपक्रमों के विस्तार, विकेन्द्रीकरण, आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है । तालिका नं0 1 द्वारा स्वीकृत ऋण सहायता का उद्देश्य के अनुसार वितरण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

तालिका नं0 1

नई परियोजना	65.2 प्रतिशत
विस्तार विकेन्द्रीकरण	20.4 प्रतिशत
आधुनिकीकरण पुनर्वास	5.7 प्रतिशत
पूरक सहायता	8.7 प्रतिशत
कुल योग	100.0 प्रतिशत

जून 1979 तक उद्देश्य के अनुसार सहायता का जो विवरण दिया गया है उससे पता चलता है कि नई परियोजनाओं में इस सहायता का विशेष लाभ रहा है तालिका नं0 2 द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हाल के वर्षों में इस सहायता से कितनी राशि की स्वीकृति दी गयी है ।

तालिका नं0 2 को देखने से ज्ञात होता है कि बैंक ने कुल ऋण सहायता का लगभग दो तिहाई भाग नई परियोजनाओं के निर्माण के लिया दिया गया । इस प्रकार विद्यमान उपक्रमों को कुल सहायता का केवल एक तिहाई भाग प्राप्त हुआ । औद्योगिक विकास बैंक ने विद्यमान उपक्रमों के विस्तार तथा विकेन्द्रीकरण कार्यक्रमों की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया है । जून 1979 के अन्त तक औद्योगिक

तालिका नं0 2

उद्देश्य के अनुसार स्वीकृति की गयी प्रत्यक्ष सहायता[5]

ऋकरोड़ रू0 मेंऋ

उद्देश्य	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	मार्च के अन्त तक संचयी
नई परियोजना	481.92	871.0	666.6	983.5	4662.4
विस्तार विकेन्द्रीकरण	73.97	85.9	231.8	209.5	996.2
आधुनिकीकरण, पुनर्वास	120.49	191.5	167.4	319.8	1421.8
पूरक सहायता	66.83	105.0	55.5	212.8	804.1
कुल योग	743.21	1253.4	1121.3	1725.6	7884.5

विकास बैंक ने इस उद्देश्य के लिए लगभग 254 करोड़ रूपयों की सहायता मंजूर की जो कुल स्वीकृत सहायता का 20 प्रतिशत से भी अधिक है, इसके विपरीत, आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए विकास बैंक ने केवल 70.5 करोड़ रूपया स्वीकृत किया जो कुल सहायता का 5.7 प्रतिशत है । पूरक सहायता के रूप में अब तक 108 करोड़ रूपया स्वीकृत किया गया है । उद्देश्य के अनुसार सहायता में अब ऋ1987ऋ तक 1725.61 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

प्रयोजनवार सहायता

परियोजन वित्त योजना के अन्तर्गत 5 परियोजनाओं के लिए सहायता स्वी-

---

5. भारत में बैंकिंग विकास पर रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 20, वी0 वरदाराजन टाटा प्रेस लि0 बम्बई 4000025.

कृत की जाती है :

1. नवीन परियोजनाएं
2. विस्तार एवं विशाखीकरण
3. आधुनिकीकरण एवं पुनर्वास
4. अनुपूरक सहायता तथा
5. राइट अंशों के निर्गमन में अभिदान ।

इनमें सर्वाधिक 63.8 प्रतिशत सहायता नवीन परियोजनाओं के लिए दी गयी है । इसके अतिरिक्त शेष परियोजनाओं की सहायता तालिका में दर्शाया जा चुका है । राइट निर्गमन में अभिदान के लिए 0.1 प्रतिशत सहायता प्रदान की गयी ।

आकार के अनुसार सहायता का स्वरूप

औद्योगिक विकास बैंक ने छोटे, मझौले तथा बड़े सभी उपक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण सहायता प्रदान की है । आकार के अनुसार सहायता के स्वरूप को तालिका नं0 3 द्वारा दर्शाया जा रहा है ।

तालिका नं0 3

परियोजनाओं का आकार	परियोजनाओं की संख्या	धनराशि करोड़ रू0 में	प्रतिशत
0.5 करोड़ रूपये तक	19	1.8	0.2
0.5 से 1.0 करोड़ रूपये	64	10.3	0.8
1.0 से 3.0 करोड़ रूपये	190	91.9	7.4
3.0 से 5.0 करोड़ रूपये	128	135.8	10.9
5.0 से 10.0 करोड़ रूपये	120	220.8	17.7
10.0 से 20.0 करोड़ रूपये	44	122.9	9.9
20.0 से 50.0 करोड़ रूपये	34	252.5	20.3
50.0 करोड़ रूपये से अधिक	20	408.9	32.8
कुल योग	619	1244.9	100.0

तालिका नं0 3 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि छोटी परियोजनाओं को, जिनकी लागत एक करोड़ रूपये से कम है, कुल स्वीकृत सहायता का एक प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ । इसके विपरीत, कुल सहायता का लगभग दो तिहाई भाग ॥63 प्रतिशत॥ बड़ी परियोजनाओं को, जिनकी लागत 10 करोड़ रूपयों से अधिक है, उपलब्ध हुआ । यद्यपि सहायता पाने वाली परियोजनाओं की संख्या का कुल सहायता राशि में अनुपाती भाग 16 प्रतिशत था । यद्यपि मझौली परियोजनाओं को कुल सहायता का लगभग एक तिहाई भाग प्राप्त हुआ किन्तु सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या 438 थी जो कुल परियोजनाओं की संख्या के लगभग 71 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है । अतः यह विश्लेषण इस तथ्य का द्योतक है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मझौली तथा बड़ी परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से ऋण सहायता प्रदान करने की नीति अपनायी है ।

<u>निर्यातों के वित्त पोषण</u>

योग्य बैंकों द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के पूँजीगत एवं इन्जीनियरी निर्यात माल के निर्यातकों ॥इनमें निर्माता, स्वीकृत प्रतिष्ठान या अन्य प्रतिष्ठित निर्यातक शामिल हैं॥ को प्रधान किये गये मध्यावधि निर्यात ऋण पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पुनर्वित्त प्रदान करता है । विदेशों में निष्पादित की जाने वाली भारतीय प्रतिष्ठानों द्वारा निर्माण परियोजनाओं की समग्र लागत के बारे में भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जाती है, बशर्ते कि करार की गयी उक्त परियोजनाओं में अधिकांशतः भारतीय मूल के उपकरणों, सामग्री और सेवाओं ॥ आदि का उपयोग होता हो ।[6]

---

6. मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट 1974-75, पृष्ठ संख्या 159, गायतोड़ प्रकाशन निदेशक द्वारा प्रकाशित ।

प्रदेश के अनुसार वित्तीय सहायता का स्वरूप, 1970 तक

औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं की भाँति विकसित प्रदेशों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों को सहायता प्रदान करने में अपेक्षाकृत अधिक उत्साह दिखलाया है ।

सारणी नं0 4 के माध्यम से 1970 से 1979 तक स्वीकृत सहायता के प्रादेशिक वितरण को दर्शाया जा रहा है -

विकसित/अविकसित प्रदेश		प्रतिशत
विकसित प्रदेश		
महाराष्ट्र		20.1
पश्चिमी बंगाल		11.4
गुजरात		21.6
तमिलनाडु		10.0
पंजाब		1.0
कर्नाटक		3.4
केरल		2.1
	योग	69.6
अविकसित प्रदेश		
आन्ध्र प्रदेश		7.2
राजस्थान		1.7
उत्तर प्रदेश		5.8
आसाम		0.0
बिहार		6.2
मध्य प्रदेश		1.8
उड़ीसा		3.3
अन्य प्रदेश		4.4
	योग	30.4
सम्पूर्ण		100.00

अभी हाल के वर्षों में कुछ विशिष्ट राज्यों को विकास बैंक द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी उनका वितरण सारणी नं0 5 में इस प्रकार है :

सारणी नं0 5

प्रदेश के अनुसार स्वीकृत सहायता[7]

(करोड़0 रू0 में)

राज्य	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	मार्च 87 के तक संचय
आन्ध्र प्रदेश	145.27	281.73	291.3	232.9	615.3	2028.5
गुजरात	248.83	361.34	237.3	418.2	528.5	2762.1
कर्नाटक	128.30	203.94	207.3	239.9	247.1	1521.4
महाराष्ट्र	266.06	286.61	338.7	542.5	508.8	3056.6
तमिलनाडु	195.36	221.85	280.0	387.5	291.7	2120.6
उत्तर प्रदेश	149.54	174.31	604.0	410.7	579.5	2398.9
पश्चिमी बंगाल	91.05	101.19	172.1	301.2	227.4	1282.9
कुल योग	1144.41	1630.97	3129.3	3613.4	4383.2	21967.4

उपर्युक्त विशिष्ट प्रान्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रान्तों को भी अभी हाल के वर्षों में सहायता प्रदान की गयी जिसका विवरण तालिका नं0 6 में स्पष्ट किया

---

7. बैंकिंग पर एक रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 19, आर0एस0 पाटिल द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए प्रकाशित ।

गया है[8]:

तालिका नं0 6

(करोड़ रूपयों में)

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
पंजाब	63.65	92.57	69.26	113.76	171.01
केरल	55.73	64.47	100.50	93.22	*133.60
राजस्थान	120.17	106.07	108.42	154.22	167.07
बिहार	47.85	78.79	62.12	95.13	127.17
मध्यप्रदेश	98.05	111.55	189.81	185.44	294.20
उड़ीसा	75.85	79.03	159.72	98.01	102.37
जम्बू एवं काश्मीर	20.17	21.04	35.05	34.72	34.99
हिमांचल प्रदेश	25.51	19.35	47.97	62.32	44.51
हरियाणा	78.63	81.98	100.38	92.12	112.30
योग	585.61	644.85	873.23	938.94	1187.22

सभी तालिकाओं का अध्ययन करने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि विकसित राज्यों को कुल सहायता का दो तिहाई से भी अधिक भाग मंजूर किया गया । इन राज्यों में भी महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की प्रधानता थी । प्रत्येक को सहायता का 20 प्रतिशत से भी अधिक भाग प्राप्त हुआ । इसके विपरीत उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान जैसे बड़े किन्तु अविकसित प्रदेशों की आशा के विपरीत अपेक्षा की गयी ।

8. भारत में विकास बैंकिंग पर एक रिपोर्ट 1986-87 पृष्ठ संख्या 96, वी0 वरदारजन टाटा प्रेस बम्बई, 4000025.

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत सरकार ने देश के समुचित विकास के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति को तीव्रतर करने की नीति अपनाई तथा इन क्षेत्रों में उद्यमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राजकोषीय तथा वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की। वित्तीय संस्थाओं को भी पिछड़े क्षेत्रों में रियायती शर्तों पर भरपूर सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास बैंक ने 1970-71 से रियायती शर्तों पर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों को सहायता प्रदान करने की स्पष्ट नीति अपनाई। और इसके परिणामस्वरूप पिछड़े क्षेत्र काफी आगे बढ़े हैं।

स्वामित्व के दृष्टिकोण से सहायता का स्वरूप

तालिका नं0 7 के द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता का स्वामित्व के दृष्टिकोण से वितरण प्रदर्शित किया जा रहा है :

	प्रतिशत
बड़े औद्योगिक गृह	43.8
इनमें से बीस विशाल गृह	31.4
द्वितीय निश्रेणी	3.4
विदेशी नियंत्रित कम्पनियाँ	0.9
बड़ी स्वतंत्र कम्पनियाँ	4.6
अन्य कम्पनियाँ	43.3
योग	100.0

तालिका नं0 7 को देखने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बड़े औद्योगिक गृहों को कुल सहायता का लगभग 44 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। इसका दो तिहाई से भी अधिक भाग देश के बीस विशाल व्यापार गृहों को दिया गया।

इसके विपरीत बड़े तथा अन्य स्वतन्त्र कम्पनियों को कुल सहायता का लगभग 48 प्रतिशत भाग मिला । विदेशी नियंत्रित कम्पनियों को एक प्रतिशत से भी कम सहायता प्रदान की गयी । स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास बैंक ने बड़े व्यापार गृहों से सम्बद्ध परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने में अधिक रुचि दिखलाई ।

परियोजनाओं की रूपरेखाओं का स्वरूप

बहुत पहले ही परियोजनाओं की रूपरेखाओं के लिए प्रारूप निर्धारित किया गया था और अब इस प्रारूप के अनुसार सहायता की गयी परियोजनाओं के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है । जहाँ तक पुराने मामलों का सम्बन्ध है यह प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था, कुल 150 के आस-पास हैं । रिजर्व बैंक के अर्थविभाग और सांख्यिकी विभाग की सहायता से उनकी परियोजना-रूपरेखाएं पूरी की जा रही हैं ।[9] परिमाणात्मक दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 1973-74 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उस वर्ष मंजूरियों और वितरणों दोनों की राशियां सर्वोच्च स्तरों पर पहुँच गयी थीं क्योंकि इसके पहले के वर्षों की तुलना में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । प्रत्यक्ष सहायता, औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त, हुंडियों की पुनर्भुनाई, और निर्यात वित्त से सम्बन्धित सभी प्रमुख सहायता योजनाओं के कारण उस वर्ष के दौरान मंजूरियों के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।[10]

निर्यात ऋणों एवं स्थगित भुगतानों के लिए गारंटियाँ

इस विभाग का कार्य मशीनों एवं इन्जीनियरिंग के माल की निर्यात में वृद्धि

---

9. औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1972, पृष्ठ संख्या 16, प्रबन्ध (प्रशासन) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जारी मेकर चैम्बर्स, नारीमन पाइंट, बम्बई ।

10. वार्षिक रिपोर्ट भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1974-75, पृष्ठ संख्या 77, अशोसिएटेड अंडवट रिसर्च अंडप्रिंटर्स, ताडदेव, बम्बई 400034.

के लिए ऋण प्रदान करना है तथा प्रदान किये गये ऋणों की गारंटी देना है । विदेशों में निर्माण के ठेके तथा टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्यात की गारंटी दी जाती है । इस प्रकार की गारंटी अनेक रूपों में दी जा सकती है जैसे प्रत्यक्ष निर्यात ऋण, निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा, विदेशी क्रेताओं को साख, विदेशी विनियोग साख योजना तथा निर्यात गारंटी । ऐसी गारंटियों की बकाया राशि 74.5 करोड़ रूपये थी । यह कार्य मुख्यत: निर्यात-आयात बैंक द्वारा किया जा रहा है । अत: इन तमाम सारे स्वरूपों के द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहायता प्रदान कर रहा है ।

--------::0::--------

नवम् अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का औद्योगिक विकास में योगदान

भारत औद्योगिक विकास बैंक का औद्योगिक विकास में योगदान

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा पिछले 23 वर्षों (1964 से 1987 तक) में देश के औद्योगिक विकास के लिए जो वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में दी गयी है वह अत्यन्त उत्साहवर्धक रही है। इसने भारतीय पूँजी बाजार को गति प्रदान की है, तथा दीर्घकालीन पूँजी की पूर्ति के लिए औद्योगिक विकास बैंक अब देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के विकास में इसके योगदान का मूल्यांकन केवल इसके वित्तीय सहायता के आधार पर ही नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि इसका योगदान इससे कहीं अधिक है। औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव उत्पन्न किये हैं। इस बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं में पाँच लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। साथ ही इन परियोजनाओं ने उत्पादन करके देश की कुल राष्ट्रीय आय में भी काफी वृद्धि किया है। सरकार को करों के रूप में पर्याप्त राजस्व इन्हीं परियोजनाओं के द्वारा मिला है। इनके उत्पादनों के निर्यात से हमारी विदेशी मुद्रा की आय में भी काफी वृद्धि हुई है अथवा आयात प्रतिस्थापन होने से विदेशी मुद्रा में बचत हुई है। अखिल भारतीय स्तर के विकास बैंकों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान अब सबसे ऊपर है। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल साख के 39.3 प्रतिशत भाग की पूर्ति अब औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा की जाती है। यह साख पूर्ति अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा काफी अधिक है।

साख पूर्ति के विभिन्न आयामों में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ-साथ दीर्घकालीन वित्तीय नीतियों एवं गतिविधियों का समन्वय करने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने तथा राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के विभिन्न वित्तीय निगमों को एक सूत्र में आबद्ध करने में यह बैंक सफल हुआ है। इस दृष्टि से दीर्घकालीन वित्त एवं विकास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास बैंक को एक शीर्ष संस्था की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय साख की दिशा में भी इस बैंक की उपलब्धियाँ पहले की

अपेक्षा काफी अधिक है । इतना ही नहीं, नीतियों में नये मोड़ के फलस्वरूप उत्पादित की गई नई चुनौतियों का सामना भी विकास बैंक ने सफलतापूर्वक किया है ।

औद्योगिक विकास बैंक की विकासात्मक भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से जाना जा सकता है :-

<u>उद्योग विहीन जिलों एवं पिछड़े क्षेत्रों में विकास</u>

उद्योग विहीन जिलों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम की देखरेख राज्य स्तर पर गठित विशेष समितियों द्वारा की जा रही है । इन समितियों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं ।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन का काम अपने हाथ में लिया है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस अध्ययन से सम्बन्धित है और इस प्रयोजन के लिए गठित सलाहकारी समिति में उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है । अध्ययन के लिए चुने गये 13 राज्यों के निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थिर इकाइयों को मंजूर और वितरित की गयी सहायता सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया जाता है और उन्हें योजना आयोग के 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' को सौंप दिया जाता है ।[1] पिछले तीन वर्षों में देश के 118 जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है । ये जिले पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी (क) में रखे गये हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संवर्धन कार्यकलापों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए रियायती दर पर प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और रियायती पुनर्वित्त सहायता की योजनाएं चला रहा है । पिछले कई वर्षों में योजनाओं को क्रमशः अधिक उदार बनाया गया है । भारतीय औद्योगिक विकास निगम और भारतीय

---

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 60-61, डिजाइन : पब्लिसिटी रंगीन और आवरण मुद्रण टाटा प्रेस, बम्बई ।

औद्योगिक वित्त निगम की सहभागिता से भारतीय औद्योगिक विकास बैंकनेनई परियोजनाओं और साथ ही वर्तमान इकाइयों के विस्तार, विशाखन और नवीनीकरण और पुनःस्थापन कार्यक्रमों के लिए, परियोजना लागत कुछ भी हो, रियायती प्रत्यक्ष सहायता प्रदान किया जाता है । गुणवत्ता के आधार पर समुचित मामलों में निर्धारित सीमा से अधिक रियायती सहायता भी प्रदान की जा सकती है ।[2]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जम्बू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्यों में ऐसे जिलों के विकास के लिए प्रयास करेगा । जिन पिछड़े जिलों की परियोजनाओं के मामले में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सहायता मंजूर की है उनके लिए यह अखिल भारतीय संस्थाओं की ओर से केन्द्रीय अभिदान सहायता योजना का काम भी संभाल रहा है ।[3]

संवर्धन सम्बन्धी गतिविधियों और रियायती सहायता की योजनाओं के फलस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता में, विशेष रूप से 1970 से क्रमशः वृद्धि हुई है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली कुल सहायता का चालीस प्रतिशत भाग पिछड़े जिलों एवं क्षेत्रों को प्राप्त होता है ।

संयुक्त संस्थागत दलों तथा राज्य आंतर-संस्थागत दलों द्वारा सिफारिश की गयी सुस्पष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित राज्य स्तरीय एजेंसियों तथा

---

2. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1981, पृष्ठ संख्या 143, डी0वी0सेठ गलियाकोट वाला प्रिन्टर्स, बम्बई 400023.

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1984, पृष्ठ संख्या 62, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस बम्बई ।

राज्य सरकारों के कार्यों पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बराबर ध्यान रखता रहा है तथा हमारे कार्यालयों को इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने के लिए सूचित किया जाता है ।[4] इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का योगदान पिछले जिलों एवं क्षेत्रों में सराहनीय रहा है ।

बीमार इकाइयों में योगदान

बीमार इकाइयों के पुनर्वास की सहायता के लिए विकास बैंकों द्वारा अनेक उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं । जैसे बीमारी के कारणों का पता लगाना, पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता का मूल्यांकन करना, अन्य सहयोगी संस्थाओं एवं बैंकों के परामर्श से समुचित उपाय निर्धारित करना, बीमार इकाइयों पर कठोर निगरानी रखना तथा पुनर्वास उपायों की सफलता का मूल्यांकन करना आदि । इस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक अकेली ऐसी संस्था कही जा सकती है जो बीमार इकाइयों की समस्याओं के लिए उपाय कर रहा है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली में 28 अप्रैल से 3 मई 1986 तक आयोजित कार्यकारी प्रबंधकों की कार्यशाला में राष्ट्रीय बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री जी0पी0 भावे ने अपने व्याख्यान में इस बात को पूर्णरूप से स्पष्ट किया था कि बीमार इकाइयों का सामना करना आसान नहीं है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बीमार इकाइयों की समस्याओं से जूझ रहा है और यह समस्या हमारे सामने नहीं आनी चाहिए ।[5] उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि हमें बीमार उद्योगों की योजना नहीं बनानी है एक बार किसी उद्योग के स्थापित होने पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उद्योग बीमार नहीं पड़ना चाहिए । सुलभ ऋण और सुलभ साख से कभी-कभी

---

4. वार्षिक रिपोर्ट और भीरतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति 1975-76, पृष्ठ संख्या 89, डी0वी0सेठ, गलियाकोर्ट वाला प्रिं0प्रा0लि0 फोर्ट बम्बई 400023.
5. नेशनल बैंक न्यूज रिव्यू, मई 1986, खण्ड 2, संख्या 3, पृष्ठ संख्या 7, आर्थिक विश्लेषण एवं प्रकाशन विभाग, गारमेंट हाउस वर्ली बम्बई 400018.

उद्योग बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि कठोर समीक्षा का अभाव रहता है ।[6]

बीज पूँजी योजना

इस योजना का उल्लेख पूर्व अध्यायों में किया जा चुका है । एक करोड़ रूपये तक की लागत की तकनीकी दृष्टि से संभाव्य परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की दस प्रतिशत अथवा दस लाख रूपये (जो भी कम हो) की वित्तीय सहायता प्रारम्भिक बीज पूँजी के रूप में स्वीकृत की जाती है । इसके अन्तर्गत अब तक 326 प्रस्तावों पर 19 करोड़ रूपयों से भी अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है और साथ ही इस प्रकार की सहायता के लिए व्याज भी नहीं लिया जाता है । बैंक केवल एक प्रतिशत के बराबर है । सेवा के रूप में शुल्क वसूल करता है । दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान सहायता देने से पाँच वर्ष बाद किश्तों में प्रारम्भ किया जाता है ।

उद्यम वृत्ति विकास कार्यक्रम

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य बैंकों एवं परामर्शदाता संगठनों के सहयोग से सम्पन्न किये जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इसके लिए गुजरात सरकार एस0बी0आई0, आई0एफ0सी0आई0, आई0सी0आई0सी0आई0, के सहयोग से "भारतीय उद्यमवृत्ति विकास संस्थान" की स्थापना सन् 1983 में की गयी थी । इस प्रकार के कार्यक्रमों से अभी केवल 4,500 प्रशिक्षार्थियों को लाभ पहुँचाया जा सका है ।

लघु उद्योगों का विकास

आय के अधिक समानतापूर्ण वितरण और उत्पादन साधनों के स्वामित्व, उद्यम के आधार को विस्तृत करने और सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र

---

6. नेशनल न्यूज रिव्यू, मई 1986, खण्ड 2, संख्या 3, पृष्ठ संख्या 7, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आर्थिक विश्लेषण एवं प्रकाशन विभाग, गारमेंट हाउस वर्ली, बम्बई ।

द्वारा किये जा सकने वाले महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टि में रखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योगों को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। लघु उद्योगों का क्षेत्र अपनी कम उत्पादन क्षमता और पूँजी की अपेक्षा के साथ-साथ कम पूँजीगत लागत पर अधिक रोजगार देने में समर्थ है विशेष करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर उद्योगों के अन्य पैमाने से होने वाली आर्थिक बचत विशेष नहीं है। इसकी सहायता मुख्य रूप से औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त पोषण की योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है। और बिल पुनर्कटौती योजना के माध्यम से एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती है। अपने कार्यकाल के आरम्भ से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योगों के लिए रियायती सहायता की एक विशेष योजना का परिचालन कर रहा है। जो उदारीकृत योजना के तहद् जनवरी 1971 से लागू है। राज्य वित्त निगमों को पुनर्वित्त पोषण के विभिन्न प्रस्तावों के लिए अलग अलग आवेदनपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि ऐसे अनेक प्रस्तावों को एक ही आवेदनपत्र के द्वारा भेजा जा सकता है। जनवरी 1975 से यही सुविधाएं व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों को भी दी जाने लगी है। साथ ही आवेदनपत्र को भी सरल बना दिया गया है। पुनर्वित्त पोषण सहायता के द्वारा सहायता का क्षेत्र बढ़ाकर उसे शेडों के निर्माण के अतिरिक्त भूमि के विकास और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने पर होने वाले व्यय के सन्दर्भ में औद्योगिक परिसम्पत्तियों को प्रदत्त ऋणों पर लागू कर दिया गया है। पुनर्वित्त पोषण सहायता के द्वारा राज्यवित्त निगमों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उनके शेयरों एवं वाण्डों के निर्गमों में भी अंशदान करता है जो लघु उद्योगों की अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रबन्ध है। पिछले दशक (1970-1980) में औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गयी कुल सहायता में लघु उद्योगों का हिस्सा बीस प्रतिशत था जो 1983 में बढ़कर 40.6 प्रतिशत हो गया। सहायता प्राप्त लघु इकाइयों की संख्या सन् 1977-78 में केवल 11,432 थी जो 1985 में बढ़कर 78,110 हो गयी। लघु उद्योगों के विकास के लिए विश्व बैंक भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं राज्य वित्त निगमों को ऋण प्रदान करता है। 1976 में

अनुमोदित 250 लाख डालर की प्रथम ऋण प्रणाली के समान विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली 400 लाख डालरों की दूसरी ऋण प्रणाली से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राज्य वित्त निगमों को दिये जाने वाले अपने ऋणों के माध्यम से लघु इकाइयों की विदेशी मुद्रा के आवश्यकताओं को पूरा किया है ।[7]

अन्य संस्थाओं को संसाधनगत सहायता

पूरक स्रोतों के प्रबन्धक के रूप में औद्योगिक विकास बैंक ने अंशपूंजी एवं वाण्ड निर्गमों में अंशदान करके अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है । जिन संस्थाओं को यह वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है उनके नाम इस प्रकार हैं: राज्य वित्त निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निर्माण निगम, तकनीकी सलाहकार संगठन, यू0टी0आई0, आई0सी0आई0सी0आई0, इत्यादि।

सन् 1982-83 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय वित्तीय एवं विकास संस्थाओं की अंशपूंजी एवं वाण्डों में 42 करोड़ रूपयों का अभिदान किया था । जून 1983 तक कुल मिलाकर 379 करोड़ रूपयों का अभिदान विकास बैंकों द्वारा किया जा चुका था ।

अन्तर संस्थागत समन्वय

अखिल भारतीय वित्तीय निगमों की संयुक्त बैठकें समय-समय पर औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिनमें अन्तर संस्थागत मामलों पर विचार विमर्श होता है । इनमें संस्थाओं के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ राज्य स्तरीय वित्त एवं विकास निगमों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है । इस

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1979, पृष्ठ संख्या 66, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

प्रकार की बैठक प्रधान कार्यालय बम्बई में 14 एवं 15 अप्रैल 1978 को क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखा कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों की हुई थी। चर्चा मुख्य रूप से इस बात पर हुई थी कि लघु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रभावी वित्तीय सहायता देने और इन क्षेत्रों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं के पूरे कार्य में एक समन्वय पैदा करने, मार्गदर्शन देने तथा इस कार्य के देखरेख में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो भूमिका है, शाखा कार्यालय उसे कैसे जीवन्त रूप से अदा कर सकते हैं।[8] क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारीयों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता मंजूर करने और वितरित करने के सम्बन्ध में सीमाओं के भीतर अधिकार दिये जा चुके हैं।

नामांकित संचालक

सहायता प्राप्त कम्पनियों की प्रगति की देखरेख करने के उद्देश्य से ऐसी कम्पनियों के संचालक मंडलों में संचालक नियुक्त करने का अधिकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को है। जून 1983 तक कम्पनियों के संचालक मंडलों में औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 288 व्यक्ति संचालक के रूप में प्रमुख रूप से नामांकित किये गये थे।

अन्य विविध योगदान

राज्य औद्योगिक विकास निगमों राज्य औद्योगिक निवेश निगमों और ऐसी अन्य संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन करने तथा इन संस्थाओं को भारतीय औद्योगिक

---

8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 104, डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लि0, बम्बई 400025 द्वारा मुद्रित।

विकास बैंक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सुसंबद्ध करने की संभाव्यताओं का सुझाव देने के उद्देश्य से एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गयी थी जिसने अनेक राज्यों में विचार विमर्श पूरे किये हैं ।[9] पिछले वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त यूनिटों ने लोहे एवं इस्पात, मशीनों और सीमेंट के उद्योग जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योगों में नई क्षमता स्थापित करने या वर्तमान क्षमता का विस्तार, दिशांतरण करने की परिकल्पना की । इसमें विशेष कागज पर इस्पात की ढली वस्तुओं के क्षेत्र में तकनीकी उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित दो परियोजनाएं शामिल थीं । उसी के दौरान सहायता प्राप्त बड़ी परियोजनाओं में असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड की पेट्रोल रासायनिक परियोजना, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की विस्तार परियोजना, टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनियों, मद्रास सीमेंट लिमिटेड की पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण की योजना शामिल की गयी थी ।[10]

भारत की वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों ने उद्योगों के विकास का वित्तपोषण करने के क्षेत्र में काफी अनुभव प्राप्त किया है । यह जरूरी भी है कि इस अनुभव का विश्लेषण भी हो जिससे भविष्य की कार्यवाहियों के लिए क्षेत्रों का पता लगाया जा सके । इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों को जनता तथा अन्य संस्थाओं के सम्मुख समेकित तथा सउद्देश्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके । जिससे वे वित्तीय संस्थाओं के एक समूह के रूप में किये गये कार्य को भलीभाँति समझ सकें तथा इसके साथ ही यह भी आवश्यक है जो परिस्थिति उभरकर सामने आ रही है उनके अनुरूप बदलती हुई आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में उचित नीतियाँ बनाने के लिए उद्योगों के विकास के

---

9. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72, पृष्ठ संख्या 15, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो0बा0नं0 1241, बम्बई 400039.

10. वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति एवं प्रगति 1972-73, पृष्ठ संख्या 80, अशोसिएटेड अण्ड व्हटाजर्स अंड प्रिंटर्स ताड़देव बम्बई 400034.

वित्त पोषण के क्षेत्र की समस्याओं का निरन्तर अध्ययन और परीक्षण किया जाये। अतः इन सभी परियोजनाओं की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास निगम और भारतीय औद्योगिक निर्माण निगम तथा रिजर्व बैंक के अर्थ, सांख्यिकी एवं औद्योगिक वित्त विभागों के सहयोग से 'विकास बैंकिंग' की एक त्रैमासिक पत्रिका 'क्वार्टरली जनरल आफ डेवलपमेन्ट' शुरू की गयी और 1972 के अन्त में इसका आरम्भ किया गया।[11]

गैर वित्तीय प्रोत्साहनात्मक योगदान

कम विकसित क्षेत्रों में निरन्तर औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन ही पर्याप्त नहीं होते बल्कि इस अत्यावश्यक बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य अखिल भारतीय बैंकों के सहयोग से यथेष्ट गैर-वित्तीय प्रोत्साहनात्मक कार्य भी हाथ में लिये हैं। प्रोत्साहनात्मक उपायों का लक्ष्य ऐसी बाधाओं को दूर करना है जो पिछड़े क्षेत्रों को सामान्य विकास प्रक्रिया से और विशेषकर विभिन्न अभिप्रेरक योजनाओं से पूरा लाभ उठाने में रुकावट डालते हैं वे इस प्रकार की हैं :

1. राज्य-जनपद सर्वेक्षण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रयत्नों में पहला महत्वपूर्ण कदम पिछड़े क्षेत्रों का उनकी औद्योगिक संभावनाओं का आकलन करना और विशेषकर उनके संसाधनों एवं मांगों तथा उनके आधारभूत सुविधाओं के प्रकाश में परियोजनाओं की पहचान करना था।

---

11. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1971-72, पृष्ठ संख्या 16, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो0बा0नं0 1241, बम्बई 400039.

2. <u>अनुवर्ती परियोजना</u>

विस्तार से किये गये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनेक परियोजनाओं के बारे में विचार किया गया है और बाद की कार्यवाही के रूप में औद्योगिक विकास बैंक ने अनेक व्यवहारिकता अध्ययन दल गठित किये हैं ।

3. <u>अन्त : संस्थान वर्ग</u>

सतत् आधार पर परियोजनाओं के पहचान एवं उनके कार्यान्वयन की समस्या के निदान के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगम, और प्रमुख बैंकों को मिलाकर अन्त: संस्थान वर्गों के रूप में एक प्रभावी आधार पद्धति का निर्माण किया गया है जो विभिन्न संस्थाओं की प्रोत्साहन गतिविधियों के समन्वय का उपयोगी आधार प्रदान कर सकते हैं ।

<u>तकनीकी तथा अन्य विकास</u>

परियोजनाओं की पहचान और रूपरेखा तैयार करने में उद्यमियों की सहायता हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निम्न प्रकार से सहायता प्रदान करता है :

1. अनुरोध करने पर विशेष उत्पादों, कार्यविधियों और अन्य संगत आर्थिक आँकड़ों की सूचना दी जाती है ।

2. परामर्शदाताओं के चयन में मार्ग दर्शन किया जाता है ।

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में तैयार की गयी परियोजनाओं के पार्श्व चित्र उपलब्ध कराये जाते हैं ।

4. नये उद्यमियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है ।

आंतरिक पुनर्गठन

जैसा कि इस बात का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि भारत सरकार के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य को कार्यान्वित करने के लिए लघु एवं ग्रामीण उद्योग पक्ष के एक हिस्से के रूप में 'लघु एवं ग्रामीण' उद्योग नामक एक नया विभाग खोला गया है । लघु एवं ग्रामीण उद्योग पक्ष एक नया पक्ष है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक ऋण पुनर्वित्त विभाग, राज्य वित्तीय निगम और अन्य राज्य स्तरीय एजेंसी विभाग तथा क्षेत्रीय और पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग आते हैं । एक महाप्रबन्धक की सेवाओं से युक्त यह पक्ष एक समुचित नीति निर्धारण तथा ग्रामीण और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिन क्षेत्रों में तुरन्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों को पहचानने के लिए ऐसा किया गया है ।[13]

औद्योगिक संभावनाओं का सर्वेक्षण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य आवधिक ऋणदात्री संस्थाओं की सहायता से 1970 में पिछड़े राज्यों के इस उद्देश्य से सर्वेक्षण शुरू किये थे ताकि उनसे प्राकृतिक और अन्य साधनों, माँग की परिस्थितियों और आगामी वर्षों में उपलब्ध होने वाली अवस्थापना सुविधाओं के सन्दर्भ में विशिष्ट परियोजनाओं की रूपरेखा की नई सूझ-बूझों का पता लगाया जा सके । ये सर्वेक्षण एक निर्देश समिति के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में अध्ययन दलों द्वारा किये जाते हैं । इसलिए इस समिति में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय विकास बैंक, औद्योगिक ऋण निर्माण निगम, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कृषि पुनर्वित्त निगम और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं । प्रत्येक अध्ययन दल में अधिकांशतः

---

13. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ संख्या 103, डिजाइन : सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लिमिटेड, बम्बई 400025 द्वारा मुद्रित ।

सहभागी वित्तीय संस्थाओं, सम्बन्धित अग्रणी बैंकों और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी रहते हैं। पिछले दिनों असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्बू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण कार्य पूरे किये गये हैं।[14] इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं और परामर्शदाता सेवाओं की सहायता से कतिपय जिलों अर्थात् त्रिवेन्द्रम और मैसूर में सर्वेक्षण कार्य पूरे किये हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वावधान में यादवपुर विश्वविद्यालय के तकनीकी और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े जिले अर्थात् पुरुलिमा का सर्वेक्षण किया गया। आन्ध्र प्रदेश के राज्य वित्त निगम के मार्गदर्शन में एक दल द्वारा रायल सीमा के 'उपदान क्षेत्र' की औद्योगिक संभावनाओं का सर्वेक्षण भी किया गया है जो वित्तीय संस्थाएं आंतर-सांस्थानिक दल की सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक की परियोजना की रूपरेखा की नई सूझ-बूझ का पता लगाने की जिम्मेदारी उठाने तथा किसी एक राज्य के एक जिले में अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की गति विधियों का एक विशेष पहलू उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय आधारभूत सुविधाओं का ढाँचा तैयार करना है जिसके अन्तर्गत राज्यों के विकास निगमों के उन्नयन के प्रयास भी शामिल हैं। इस दिशा में अनेक प्रयास किये जाते हैं जैसे राज्यों के विकास निगमों एवं परामर्श संगठनों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्य क्रमों का आयोजन, समय-समय पर इनका निरीक्षण एवं प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा कारोबार, योजनाओं और संसाधन संभाव्यताओं पर सम्बन्धित निगमों से विचार

---

14. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1971-72, पृष्ठ संख्या 19, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो0बा0नं0 1241, बम्बई।

विमर्श, संस्थागत सामर्थ्य के निर्माण एवं कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता देना आदि । यही नहीं, अनुसंधान, अध्ययन, सर्वेक्षण आदि के कार्य भी विकास बैंक द्वारा किये जाते हैं, सर्वेक्षण कार्य का उल्लेख जैसा कि किया भी जा चुका है । विकास एवं प्रबन्ध सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन भी विभिन्न स्थानों पर अन्य निगमों के सहयोग से औद्योगिक विकास बैंक करता है ।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि औद्योगिक विकास बैंक अब विश्व के एक अग्रणी विकास बैंक के रूप में उभरकर आ चुका है ।

--------::0::--------

दशम् अध्याय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आलोचनात्मक समीक्षा

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आलोचनात्मक समीक्षा

औद्योगिक विकास बैंक एक शीर्षस्थ एवं समन्वयकारी वित्तीय संस्था के रूप में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । पुनर्वित्त के क्षेत्र में इसने लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को विशेष सहायता प्रदान की है, साथ ही शीर्षस्थ वित्तीय संस्था होने के नाते यह प्रायः बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में इसने वित्त व्यवस्था का योग-दान किया है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पुनर्वित्त की योजना द्वारा जहाँ अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रेरणा दी है, वहाँ उनके अंश एवं वाण्ड्स खरीदकर उनके प्रसाधनों में काफी वृद्धि भी की है । इस वित्तीय योगदान के अतिरिक्त औद्योगिक विकास की संस्था होने के नाते देश के अर्धविकसित क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करके इसने देश की औद्योगिक संरचना में अद्वितीय योगदान दिया है ।

भारत में औद्योगिक वित्त के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सन् 1947 में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के पश्चात् से देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रान्ति हुई है । डा0 पी0एस0 लोकनाथन के शब्दों में "इन विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से देश की औद्योगिक वित्तीय व्यवस्था की अनेक कमियाँ दूर हुई हैं । आज जो देश में तीव्र गति से औद्योगीकरण हो रहा है, वह इन नवीन संस्थाओं के अभाव में कभी भी सम्भव नहीं हो सकता था ।"

एक ओर औद्योगिक वित्त निगम ने विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट आधारशिला का कार्य करके अनेक नवीन उपक्रमों की स्थापना को सुदृढ़ बनाया है और दूसरी ओर औद्योगिक विकास निगम ने विशाल पूँजी प्रदान करके उपक्रमों के प्रवर्तन और विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभायी है । विदेशी मुद्रा में सहायता प्रदान करने में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का बहुमूल्य योगदान रहा है और केन्द्रीय तथा शीर्षस्थ संस्था के रूप में औद्योगिक विकास बैंक ने आशातीत सफलता प्राप्त की है ।

सहायता की योजनाओं और सहायता के मंजूर तथा वितरित किये जाने से सम्बन्धित प्रणालियों, क्रियाविधियों और मानदण्डों का समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण किया जाना जरूरी है ताकि उसमें बदलती हुई परिस्थिति की दृष्टि से संशोधन किया जा सके। इसके अलावा सहायता की मंजूरी के बाद उसके वितरण में होने वाले विलम्ब को दूर किया जाना आवश्यक है क्योंकि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि सहायता तो मंजूर हो जाती है किन्तु सहायता का वितरण समय से नहीं हो पाता है।[1]

यह भी देखा गया है कि सहायता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद उसकी कार्यवाही विलम्ब से प्रारम्भ होती है अत: यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि आवेदन पत्र की प्राप्ति पर सहायता सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जाय तथा पुनर्वित्त योजना का परिचालन और बिलों की पुनर्भाजन योजना का परिचालन ठीक प्रकार से हो। हालांकि उपर्युक्त समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के दल गठित किये गये हैं फिर भी दलों की रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही नहीं हो पाती है।

उद्योगों का वित्तपोषण करने से सम्बन्धित कार्यकलापों की लगातार वृद्धि और बढ़ती हुई जटिलताओं को देखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी संगठन व्यवस्था को सरल और कारगर नहीं बना पा रहा है। हालांकि बैंक के दिल्ली कलकत्ता और मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय हैं साथ ही विभिन्न राज्यों में कई शाखा कार्यालय हैं किन्तु शाखा कार्यालय विभिन्न राज्यों के औद्योगिक वित्तीय एवं विकास एजेंसियों से निकट सम्पर्क नहीं बना पा रहे हैं अत: शाखा कार्यालयों से उम्मीद की जाती है कि वे विकास ऐजेन्सियों से अच्छा सम्बन्ध बनायें तथा भारतीय औद्योगिक

---

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1972, पृष्ठ संख्या 17, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो0बा0नं0 1241, बम्बई 400039.

विकास बैंक के संवर्धन कार्यकलापों के लिए सम्पर्क स्थलों के रूप में कार्य करें ।[2]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि औद्योगिक विकास बैंक प्रार्थनापत्रों को स्वीकृत करने में आवश्यकता से अधिक समय लगाता है नरसिंहम् समिति ने भी इस विषय पर विचार विमर्श किया था कि यह वास्तव में अधिक समय लगा देता है । प्राय: 13 माह का समय प्रार्थनापत्र की स्वीकृति में लिया जाता है । समिति ने इसका कारण भी बताया था कि अधिकार के विकेन्द्रीकरण का अभाव, सत्ता का उचित न होना तथा इस बैंक में पर्याप्त स्टाफ के न होने से यह विलम्ब हुआ करता है किन्तु इस समस्या पर पर्याप्त विचार विमर्श के बाद जब 1976 में औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन हुआ तो प्रार्थनापत्र पर विचार करने के समय को 14 माह से घटाकर 6 माह कर दिया गया ।[3]

औद्योगिक विकास में अपेक्षाकृत अधिक बेहतर क्षेत्रीय वितरण लाने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1970 में रियायती, प्रत्यक्ष और पुनर्वित्त सहायता की योजनाएं प्रारम्भ की थीं जो निर्दिष्ट पिछले जिलों पर लागू होती हैं । प्रत्यक्ष सहायता योजना के अधीन की जाने वाली रियायतों में अपेक्षाकृत कम ब्याज दर, ऋण स्थगन एवं वापसी अदायगी की लम्बी अवधियाँ, पूँजी जोखिम के लिए अधिक मात्रा में अभिदान, आदि शामिल थे ।

जिन कार्यकलापों का उल्लेख परम्परागत कार्यकलापों के रूप में किया जा सकता

---

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74, पृष्ठ संख्या 59, प्रबन्ध, प्रशासन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो0बा0नं0 1241, बम्बई 400039.

3. कामर्स, बीस जनवरी 1977, पृष्ठ संख्या 26, कालम 2.

है । उनमें कुछ अंश तक परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने नवीन क्रियाओं और संवर्धन कार्यों का श्रीगणेश किया है ।

परम्परागत कार्यकलाप का उद्देश्य देश के औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि करना होना चाहिए और इसके साथ संवर्धन कार्यकलापों का उद्देश्य उनका क्षेत्रों तथा छोटे और नये उद्यमकर्ताओं दोनों के बीच सामाजिक रूप से अपेक्षित वितरण होना चाहिए और इसका व्यापक उद्देश्य अल्पविकसित क्षेत्रों में उद्योगों का प्रवर्तन करके क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति होना चाहिए ।[4]

उपर्युक्त के अतिरिक्त पहला प्रदान कार्य यह है कि पिछले क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की खाइयों को पाटा जाय तथा इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की संभावना का मूल्यांकन किया जाय ।[5] हालांकि 1970 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता में पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्णित क्षेत्रों के सर्वेक्षण कराने में पहल की थी और सभी पिछड़े क्षेत्रों के पर्यवेक्षण किये गये थे । इन पर्यवेक्षणों से अनेक परियोजना सूझ-बूझें सामने आयी हैं तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य स्तरीय एजेंसियों से इस बात के लिए विशेष आग्रह कर रहा है कि वे इन परियोजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करें ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने लक्ष्यों को स्पष्टतः निर्धारित करें तथा साथ संगठित होकर निश्चय करें कि निकट भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों पर बल दिया जायेगा जिनसे अधिक से अधिक सहायता प्राप्त हो सकती है । छोटे तथा नये उद्यम-

---

4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74, पृष्ठ संख्या 60, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो०बा०नं० 1241, बम्बई 400039.

5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1973-74 पृष्ठ संख्या 60, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो०बा०नं० 1241, बम्बई 400039.

कर्ताओं को, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को, देशी तकनीकी इस्तेमाल करने वाली परियोजनाओं को, जिनमें रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हों । तकनीकी उद्यमकर्ताओं द्वारा परिवर्तित परियोजनाओं को, साथ ही ऐसे उद्योगों को भी अधिकतर सहायता मिले जिनसे विदेशी मुद्रा कमाई या बचाई जा सकती हो या जो परियोजनाएं राष्ट्रीय दृष्टि से प्राथमिकता प्राप्त हों ।[6]

पिछले समय में कार्यान्वित मुद्रा स्फीति विरोधी नीतियों के फलस्वरूप उनके उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकी है । जहाँ शेष विश्व अभी तक मुद्रा प्रसार को रोकने का कोई उपाय नहीं खोज सका, वहाँ भारत ने औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से मूल्य वृद्धि की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में विश्व में अतुलनीय यश प्राप्त किया है ।

जहाँ पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इतने बड़े-बड़े कार्य किये हैं वहाँ यह भी आवश्यक हो जाता है कि यह निश्चित करने के लिए भी पर्याप्त ध्यान दिया जाय कि औद्योगीकरण की तीव्र प्रगति जहाँ तक संभव हो भुगतान संतुलन पर अनावश्यक बोझ न पड़े एवं औद्योगिकरण का लाभ क्षेत्र व्यापक हो । औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की गतिविधि को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने और उनके नियमन की क्रिया-विधियों के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान नहीं दिया गया अतः यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जायँ ।

पिछले वर्षों में परियोजना सम्बन्धी मानदण्डों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुका है । वर्तमान वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष सहायता से सम्बन्धित प्रस्तावों के मामलों में दो मानदण्ड अर्थात् प्रतिलाभ की आन्तरिक दर तथा अंतर्निहित विदेशी मुद्रा की दर लागू की गयी थी । इन मानदण्डों से सहायता की जाने वाली परियोजनाओं

---

6. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 1, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

के मूल्यांकन तथा उनके लागत, लाभकारी स्वरूप के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणाएं बनाने और इस प्रकार उनके बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलती है ।

उपर्युक्त मानदण्डों को लागू करते समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है । अधिकांश परियोजनाओं में परिचालन की मात्रा, मूलभूत तकनीकी प्रतिक्रियाएं, सहभागिता करार और आयात की जाने वाली सामग्री का निर्धारण लाइसेंस प्रदान करने वाले विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और इस सीमा तक परिवर्तन सम्बन्धी सुझाव देने की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है । कुछ मामलों में यह पाया गया कि यदि मानदण्ड से सम्बन्धित किफायतों को काम में लाया जाय तो परियोजना की लाभप्रदता में काफी सुधार हो सकता है । फिर भी चूँकि ये बातें कहीं और निर्धारित की जाती हैं अतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की चयन प्रक्रिया को इन विवशताओं के अधीन कार्य करना पड़ता है । वास्तविक व्यवहार में इन मानदण्डों को लागू करते समय यह जरूरी है कि इन विवशताओं को ध्यान में रखा जाय ।[7]

उपरोक्त बातों के अलावा विनिमय दर के मानदण्ड के लिए यह जरूरी है कि जिन सेवाओं का उत्पादन जाँच पड़ताल के अधीन रहने वाली परियोजना में किया जाता है उनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखी जाय । कई मामलों में यह जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हुई है परन्तु अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आई०बी०आर०डी० के विकास वित्त कम्पनी विभाग, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, और ऐसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय

---

7. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1981-82, पृष्ठ संख्या 18, न्यू इण्डिया सेंटर, 17 कूपरेज, पो०बा०नं० 1241, बम्बई 400039.

संस्थाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध बना लिया है । दोनों विकास संगठनों ने इस बहुमूल्य जानकारी को एकत्रित करने और उसको उपयोगी बनाने के लिए एक विशेष तन्त्र स्थापित किया है जो विकास बैंकों, समस्त संसार के योजना निकायों तथा विशेष रूप से कम विकसित देशों के लिए उपयोगी होगा ।

प्रस्तावित एवं लागू की गयी नई योजनाएँ

पुनर्गठित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सक्रिय रूप से ऐसे क्षेत्रों और तरीकों की तलाश नहीं कर पा रहा है जिसकी सहायता से वह अधिक प्रभावशाली ढंग से औद्योगीकरण प्रक्रिया में और 'नये आर्थिक कार्यक्रम' में अपना योगदान कर सके । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त की योजना, जिसका लाभ मुख्यत: देश भर में फैली लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयों द्वारा उठाया जाता है, उसे समाज के पिछड़े वर्गों, पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं, नये एवं छोटे उद्यम-कर्ताओं और अन्य अग्रताप्राप्त क्षेत्रों के लिए उदार बना दिया जाना चाहिए ।[8]

प्रशासनिक प्रतिभा की विवशता

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि पता लगायी गयी परियोजनाओं की प्रबन्ध व्यवस्था कैसे की जाय । अनेक राज्यों में अनुभव प्राप्त प्रशासनिक कर्मचारियों के अभाव की दृष्टि से कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे उपलब्ध प्रतिभाओं का उपयोग परियोजनाओं की कार्यान्विति और संभाव्य उद्यमकर्ताओं, प्रबन्धकों को उनके कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जा सके ।

---

8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1986-87, पृष्ठ संख्या 22, डिजाइन : इन्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

विभिन्न तथ्यों के अध्ययन स्वरूप हम कह सकते हैं कि विभिन्न समस्याओं के बावजूद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश की औद्योगिक संरचना में सराहनीय कार्य किया है परन्तु देश इससे अधिक उपयोगी भूमिका निभाने की अपेक्षा रखता है । अभी राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों से समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने के लिए काफी गुंजाइश है । प्रादेशिक समस्या के समाधान की जिम्मेदारी अभी और सक्रियता से निभानी है । बैंक को चाहिए कि पूँजी बाजार में पुनर्जीवन डाले, वित्तीय संस्थाओं को औद्योगिक वित्त व्यवस्था में निश्चित प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सहायक बनाये, अधिक तकनीकी को भारतीय दशाओं के अनुकूल बनाने पर ध्यान दे और एशियाई विकास बैंक के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता है । अध्ययन के फलस्वरूप यह पता चलता है कि विकास बैंक ने अधिकांश ऋण विकसित क्षेत्रों को दिये हैं, लेकिन उसमें दोष औद्योगिक विकास बैंक का नहीं है बल्कि देश की आर्थिक परिस्थितियों और औद्योगिक संरचना का है ।

औद्योगिक वित्त संस्थाओं से वित्तीय सहायता दिलाने में यह बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है । औद्योगिक विकास बैंक की जिम्मेदारियाँ निरन्तर बढ़ रही हैं और बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को उचित रूप से निभाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है । आशा है कि अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से यह संस्था शीर्षस्थ संस्था की भूमिका उचित ढंग से निभाते हुए देश के औद्योगिक विकास में वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में पूरी तरह से सफल होगी ।

---------::0::---------

एकादश अध्याय

समाधान एवं सुझाव

समाधान एवं सुझाव

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अब एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है अतः कोई ऐसी विशेष समस्यायें नहीं हैं जिनका निदान सम्भव नहीं है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्था के नाते यह केवल बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में ही सहायता का योगदान दे पाया है । छोटी परियोजनाओं के लिए सहायता की संख्या काफी कम है अतः यह एक समस्या है कि छोटी परियोजनाओं को सहायता कैसे मिले । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए सरल तरीका यह है कि यह उपयुक्त मामलों में छोटी परियोजनाओं को भी अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करे । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को चाहिए कि वह अविकसित क्षेत्रों का अच्छी तरह से सर्वेक्षण करे क्योंकि यह देखा गया है कि सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप जो योगदान दिया गया है वह अधिकांश ऋण विकसित क्षेत्रों को ही मिले अतः औद्योगिक विकास बैंक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक ऋण सहायता अविकसित क्षेत्रों को ही प्रदान करे ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करे तथा उद्योगों के वित्तपोषण, प्रवर्तन या विकास में संलग्न सभी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को उसके अनुसार समन्वित करे । यह देखा जाता है कि सही ढंग से उद्योगों को वित्तपोषण एवं विकास में जिन संस्थाओं द्वारा योगदान दिया जा रहा है उन संस्थाओं को उनके अनुरूप सहयोग और अच्छे ढंग से किया जा सकता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए सुझाव के रूप में यह पिछले कार्यपरिणामों का पुनरीक्षण करे, वर्तमान कार्यविधियों और संगठन की सशक्तता तथा अक्षमताओं का विश्लेषण करें । साथ ही राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए संस्था के सामर्थ्य को उपयोग में लाने के सर्वोत्तम उपायों पर भलीभाँति विचार करें । हालांकि विकास बैंक ने पुनर्गठन के बाद उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने का निर्णय लिया था किन्तु उनका कार्यान्वयन देखने में उस तरह नहीं आ रहा है ।[1]

---

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 1, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी रंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस ।

उपरोक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि पूँजी बाजार की वर्तमान स्थिति में अपेक्षाकृत छोटे आकार के इजारों पर काफी ज्यादा खर्च आता है और कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पाता है । अतः वित्तीय संस्थाओं को यह निश्चित करना चाहिए कि वे, हामीदारी के बजाय, लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयों के शेयरों में सीधे अभिदान करें ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ओर से राज्य औद्योगिक विकास निगमों, राज्य औद्योगिक निर्माण निगमों द्वारा परिचालित एक योजना के जरिये, नये एवं तकनीशियन उद्यमकर्ताओं को राज्य वित्तीय निगमों को 'विशेष पूँजी' में से 'बीज पूँजी' उपलब्ध कराने की कार्यवाही 1976 में शुरू की गयी थी किन्तु इन सभी परियोजनाओं से नये आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ही सहायता मिली है अतः उन क्षेत्रों में भी विकास बैंक द्वारा सहायता की जानी चाहिए जो पिछड़े हुए तथा अल्पविकसित हैं ।[2]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को चाहिए कि वह जिस तरह विभिन्न क्षेत्रों में सहायता का योगदान कर रहा है उसी भाँति विभिन्न राज्यों में अस्पतालों की स्थापना के लिए भी सहायता का योगदान करे । हालांकि पता चला है कि इस क्षेत्र में भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एस०एल० महादेवप्पा जो कि बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हैं उन्होंने कर्नाटक में अस्पताल की स्थापना के लिए भी प्रत्यक्ष सहायता देने का निर्णय लिया है और योजना का खाका भी तैयार कर लिया गया था किन्तु सम्बन्धित प्राधिकार विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ था । अतः विकास बैंक को चाहिए कि वह भारत सरकार से शीघ्र

---

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1976, पृष्ठ संख्या 3, डिजाइन : इण्टर पब्लिसिटी इंगीन एवं आवरण मुद्रण टाटा प्रेस

मंजूरी के लिए प्रार्थना कर इस क्षेत्र में भी सहायता का योगदान करे ।[3]

समन्वय कार्य करने के नये क्षेत्र

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को चाहिए कि वह समन्वय के क्षेत्रों का विस्तार करे क्योंकि इस क्षेत्र में अभी काफी कमी है । सहायता के लिए दिये जाने वाले दस्तावेज पेश करने की औपचारिकताओं को सभी संस्थाओं के लिए एक जैसा बनाने पर विचार करना चाहिए । जिन परियोजनाओं की सहायता संघ के आधार पर सहायता की जाय उनके मूल्यांकन तथा निरीक्षण का समन्वय किया जाय ताकि अनुचित दोहराव और विलम्ब को हटाया जा सके । इस उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंकबहुत पहले बना था । यह बात बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1072 के अध्ययन से स्पष्ट होती है किन्तु इसका परिणाम विशेष रूप से सन्तोषजनक नहीं रहा है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को चाहिए कि वह परियोजना सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन तथा उनके अभिसंस्करण के लिए एक जैसा आधार बनाये जो नीति सम्बन्धी निर्णय लेने में उपयोगी हो ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह राज्य वित्त निगमों, विकास उपक्रमों और वाणिज्य बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के वित्तपोषणों के अपने परिचालनों का अच्छी भांति से विस्तार करे ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को चाहिए की वह उत्पादों की गुणवत्ता-नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए उपकरण खरीदने वाली कम्पनियों को राज्य एजेंसियों एवं बैंकों के द्वारा सहायता प्रदान करने का निर्णय लें ।

---

3. इकोनामिक टाइम्स, सोलह सितम्बर 1986, पृष्ठ संख्या 1, कालम 2.

इस प्रकार की उपर्युक्त सहायता प्रत्येक इकाई को 10 लाख रूपये तक प्रदेय होनी चाहिए और उस पर 10 प्रतिशत से अधिक व्याज देय न हो । प्रोत्साहक अंश-दान आवश्यक नहीं है हालांकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस विषय पर कर्नाटक राज्य उद्योग विकास निगम तथा अन्य एजेंसियों से विचार विमर्श करना एक साल पहले से ही प्रारम्भ कर रखा है किन्तु इस पर अभी विशेष सफलता नहीं मिली है ।

बड़े ही खेद की बात है कि राज्यों में स्थिति कम्पनियों से भारतीय औद्यो-गिक विकास बैंक की तीनों परियोजनाओं अर्थात् बीज पूँजी योजना सहायता कार्यक्रम आधुनिकीकरण सहायता योजना और उनके सामूहिक पुनर्वास ऋण के लिए बड़ी संख्या में आवेदनपत्र नहीं प्राप्त होते हैं । बीज पूँजी योजना सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक मुश्किल से दो करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं अतः विकास बैंक को चाहिए कि जिन राज्यों में उपर्युक्त सहायता के लिए आवेदनपत्र नहीं आ रहे हैं वहाँ सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करे । बीज पूँजी सहायता योजना की दो करोड़ रूपये की राशि कर्नाटक जैसे प्रान्त में नहीं के बराबर है अतः वहाँ इस योजना की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए ।

इसी प्रकार आधुनिकीकरण ऋण सहायता के अन्तर्गत केवल 1.26 करोड़ रूपये कर्नाटक में वितरित किये गये जो कुल वितरित सहायता 135 करोड़ रूपये का एक सामान्य भाग है । साथ ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए बीमार इका-इयों की समस्या है जिनमें 12000 हजार इकाइयाँ केवल कर्नाटक में ही है अतः विकास बैंक को चाहिए कि बीमार इकाइयों की समस्याओं को समझे और उनका अच्छे ढंग से निदान करे ।

<u>संवर्धन कार्यों को उत्तरोत्तर तीव्र करना</u>

परियोजना की रूपरेखा की सूझ-बूझ का पता लगाने से लेकर परियोजना पत्र

के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित कार्य के तारतम्य को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी राज्यों में अन्तर सांस्थानिक दल स्थापित किये जायँ जिससे उनका कार्य भली प्रकार से चल सके । इस उद्देश्य से कि यह दल अपनी भूमिका के द्वारा अच्छा प्रभाव डाल सकेगा । यह आवश्यक होगा कि पिछड़े राज्यों में 'केरल औद्योगिक तकनीकी परामर्शदाता' संगठन के समान परामर्शदाता सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाय । व्यापक जिला विकास के लिए उद्यमकर्त्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकास केन्द्र और क्षेत्रीय विकास निगम जैसे संस्थागत तन्त्रों की आवश्यकता है और सम्बंधित राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे आंतर सांस्थानिक दल की सहायता के लिए तन्त्र स्थापित करें ।[4]

उपर्युक्त बातों पर काफी कार्यवाही भी की जा चुकी है लेकिन विकास बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह कोई ऐसी विधि ढूँढ़ निकाले जिससे उपर्युक्त समस्याओं का हल उपयुक्त ढंग से निकाला जा सके ।

प्रशासनिक प्रतिभा की विवशता

एक और प्रमुख समस्या यह है कि पता लगायी गयी परियोजनाओं की प्रबन्ध व्यवस्था कैसे की जाय । हालांकि अनेक राज्यों में अनुभव प्राप्त कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है फिर भी प्रशासनिक कर्मचारियों के अभाव की दृष्टि से कोई ऐसा रास्ता औद्योगिक विकास बैंक को ढूँढ़ना चाहिए जिससे उपलब्ध प्रतिभाओं का उपयोग परियोजनाओं की कार्यान्विति और उद्यमकर्ताओं एवं प्रबन्धकों को उनके कार्य के दौरान उनके कार्यों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सके ।

---

4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1972, पृष्ठ संख्या 21, सुदर्शन धीर टाटा प्रेस लि0 बम्बई 400025.

<u>समन्वय कार्य का विस्तार</u>

स्वस्थ और संवर्धन कार्य के लिए विकास बैंक को चाहिए कि विभिन्न राज्य स्तरीय संस्थाओं के कार्यकलापों को मजबूत और समन्वित करे । जैसा कि पहले अध्ययन किया जा चुका है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करने का प्रयत्न कर रहा है फिर भी इन प्रयत्नों को लम्बे समय तक जारी रखना होगा ।

उपर्युक्त विश्लेषणों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वर्तमान ढाँचा साधन सम्पन्न है, नई चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम है और अवसर आने पर इससे भी बड़ा और अधिक जिम्मेदारी का काम करने में समर्थ है । आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि औद्योगिक विकास बैंक अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान की भूमिका उचित ढंग से निभाते हुए औद्योगिक विकास में वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा ।

---------::0::---------

सहायक ग्रन्थ सूची

सहायक ग्रन्थ सूची

खान, एम0वाई0, इण्डियन फाइनेन्शियल सिस्टम थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्राइवेट लिमिटेड, प्रधान कार्यालय विकास हाउस, 20/4 औद्योगिक क्षेत्र, सहीबाबाद, द्वितीय संस्करण, 1980.

श्रीवास्तव, आर0एम0, निगम वित्त, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण हिन्दी रूपान्तरण, सन् 1983.

प्रकाश जगदीश, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्ध, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्राइवेट लिमिटेड, अंसारी रोड नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण, सन् 1983.

सक्सेना कृष्णसहाय एवं गुप्ता के0एल0, भारत का आर्थिक विकास, नवयुग साहित्य सदन, लोहामण्डी, आगरा-2, एकादशम् संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण, सन् 1984.

कुलश्रेष्ठ, आर0एस0, निगमों का वित्तीय प्रबन्ध, साहित्य भवन, हास्पिटल रोड, आगरा, दसम् संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण ।

पाटनी, आर0एल0, निगमवित्त, विद्या प्रकाशन, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर, द्वितीय संस्करण, 1980.

शर्मा हरिश्चन्द्र, भारत में बैंक व्यवस्था, दि मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, तृतीय संस्करण, 1976.

कुच्छल, एस0सी0, निगम वित्त, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, द्वितीय संस्करण, 1977.

सक्सेना, आर0डी0 एवं भण्डारी वाई0एस0, भारतीय बैंकिंग विकास एवं समस्याएं टाटा प्रेस लिमिटेड बम्बई, पंचम संस्करण, 1979.

सिंह, आर0एन0, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्ध, विज्डम पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1978.

पेपर एवं पत्रिकाएं

इकोनामिक टाइम्स, 1984.
फाइनेन्शियल इक्सप्रेस, 1986.
इकोनामिक टाइम्स, 1986.
फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, 1987.
एन0आई0पी0, 1983.
इकोनामिक टाइम्स, 1988.
इकोनामिक टाइम्स, 1982.
इण्डियन इक्सप्रेस, 1986.
हिन्दुस्तान टाइम्स, 1986.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ।

मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट ।
कामर्स पत्रिका ।
वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति एवं प्रगति ।
नेशनल न्यूज रिव्यू ।
भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, लोक उद्यम सर्वेक्षण ।
भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ।
योजना ।
पंचवर्षीय योजना ।
करेन्सी एण्ड फाइनेन्स ।

---------::0::---------